खण्ड-187, अंक-2
मंगलवार, 12 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(3 सितम्बर, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 187 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ (विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द करने के प्रस्ताव पर तथा उसे जनमत प्राप्त करने के हेतु घुमाने के संशोधन पर विवाद—जारी)	१३८—१६१
उत्तर प्रदेश के मोटरगाड़ियों को हस्तगत करने (के सम्बन्ध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९५७ को स्थगित करने की प्रार्थना	१६१
कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ (विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द करने के प्रस्ताव पर तथा उसे जनमत प्राप्त करने के हेतु घुमाने के संशोधन पर विवाद—जारी) ..	१६१—१६३
नत्थियां	१६४—१६९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३ सितम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (२९७)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अबदुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असगरअली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदोरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री

चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवदत्त सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह, भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री

मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती

विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ३ सितम्बर, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

डाक्टर राममनोहर लोहिया को आगरा जेल देखने की इजाजत मिलना

**१--श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या समाज सुरक्षा मन्त्री बतलायेंगे कि जुलाई के अन्तिम सप्ताह में इटावा और आगरा जिला जेल देखने के लिए इन्स्पेक्टर जनरल प्रिजन्स से डाक्टर राम मनोहर लोहिया व डाक्टर रामचन्द्र शुक्ल, अध्यक्ष सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश तथा श्री विमल मेहरोत्रा द्वारा इजाजत मांगी गयी थी? यदि हां, तो क्या सबको इजाजत दी गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों?

नोट--अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न १ श्री नारायणदत्त तिवारी ने पूछा।

समाज सुरक्षा राज्य मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)---केवल डाक्टर राम मनोहर लोहिया के लिए आगरा जेल देखने की अनुमति मांगी गयी थी। उन्हें अनुमति दी गयी और वे उक्त जेल को २७ जुलाई को देखने भी गये थे परन्तु इटावा जेल के लिए न तो अनुमति मांगी गयी और न दी ही गयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जेल में जाने के लिए किन-किन ने अनुमति मांगी थी और उनको क्यों नहीं दी गयी ?

श्री मुजफ्फर हसन---मैं जवाब दे चुका हूं कि किसी ने नहीं मांगी और न दी गयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि आगरा जिला जेल में जाने की इजाजत डाक्टर लोहिया के साथ और २, ३ व्यक्ति जो थे, डाक्टर शुक्ला और विमल मेहरोत्रा इत्यादि, उन्होंने भी मांगी थी, लेकिन उनको नहीं दी गयी ?

श्री अध्यक्ष---वह उत्तर दे चुके हैं कि और किसी ने नहीं मांगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में इस वक्तव्य की ओर आकर्षित हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि डाक्टर लोहिया के साथ और लोग थे लेकिन उनको जाने की इजाजत नहीं दी गयी ?

श्री अध्यक्ष---अखबार की खबर पर आप कोई प्रश्न नहीं कर सकते और उन्होंने कह भी दिया है साफ-साफ कि और किसी ने अनुमति नहीं मांगी।

देवरिया जिले से भुखमरी के सम्बन्ध में श्री बांकेलाल हाटा का कथित तार

**२---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या अन्न मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास २४ अगस्त, १९५७ का भेजा हुआ तार श्री बांकेलाल हाटा जिला देवरिया का प्राप्त हुआ है, जिसमें भुखमरी की खबर बतायी गयी है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

न्याय उप-मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---प्रश्न में उल्लिखित तार सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या अन्न मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अगर यह तार उनके पास भेज दिया जाय तो क्या तीन-चार दिनों के अन्दर सूचना मंगाकर सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---तार अगर मिलेगा तो उस पर जरूरी कार्यवाही यकीनन की जायगी।

तारांकित प्रश्न

*१-२---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १० सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

वन-कर्मचारी संघ की मांगें अस्वीकृत करना

*३---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वन-कर्मचारी संघ की मांगों के सम्बन्ध में वन मन्त्री ने कोई आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या और उनमें अब तक कौन-कौन सी मांगें मंजूर हुई हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--वन कर्मचारी संघ की मांगों पर विचार करने का वन मन्त्री ने आश्वासन दिया था। विचार करने के पश्चात् सरकार ने यह निर्णय किया है कि वे मांगें स्वीकार नहीं की जा सकतीं।

*४--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फारेस्ट गार्डों के हेतु २ रुपया माहवार तनख्वाह बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि वन कर्मचारी संघ की कौन-कौन मांगों को अस्वीकृत किया गया?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--प्रायः सभी मांगें अस्वीकृत की गयीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि उनकी क्या मांगें थीं, जो अस्वीकृत की गयीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मांगें मोटे तौर पर यह थीं कि पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार स्केल्स आफ पे रिवाइज करने की बात थी, खासतौर से फारेस्टर्स के सम्बन्ध में और रेंजर्स के सम्बन्ध में और कुछ दूसरी सर्विसेज के सम्बन्ध में जिनका कि जिक्र डिमांड में किया गया था। इसके अलावा कुछ टेम्पोरेरी सर्विसेज को कन्फर्म करने की बात थी। जहां तक इन मांगों का प्रश्न है ज्यादातर मांगों का सम्बन्ध तनख्वाहों से था और सर्विस कन्डीशन से था। इस समय यह उचित समझा गया कि आज की परिस्थिति में उन मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यदि इन मांगों को स्वीकार किया जाता तो अन्य सर्विसेज पर भी उसका असर पड़ता। इसलिए इन मांगों को स्वीकार करना सम्भव नहीं था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि भूतपूर्व वन-उप-मन्त्री, श्री जगमोहन सिंह नेगी, ने पिछले वर्ष वन विभाग के ऊपर कटौती के प्रस्ताव का जवाब देते हुए सदन में यह आश्वासन दिया था कि फारेस्ट गार्ड्स की तनख्वाह २ रुपये बढ़ा दी जायगी और उन को टी० ए० भी दिया जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--वह प्रश्न तो अब भी सरकार के विचाराधीन है और जो माननीय श्री जगमोहन सिंह नेगी ने सदन के समक्ष कहा था वह भी सरकार के ध्यान में है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालेगी जिनसे प्रेरित होकर इन फारेस्ट गार्ड्स को, जो कि इन्फीरियर श्रेणी के कर्मचारी हैं, अभी तक दो रुपये तनख्वाह देने के लिए फैसला सरकार नहीं कर सकी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--माननीय सदस्य से मैं, आप के द्वारा, श्रीमन्, केवल इतना कहना चाहूंगा कि फारेस्ट गार्ड्स की कैटेगरी इन्फीरियर सर्विस में नहीं है, बल्कि सुपीरियर सर्विस में है। इसके पहले वह तीन श्रेणियों में विभाजित थे, लेकिन अब उनकी केवल एक श्रेणी हो गयी और उनका पे स्केल २२-१-४५ हो गया। ऐसी परिस्थिति में वह लोग सुपीरियर सर्विस में थे, और यही एक कठिनाई हुई जिससे कि दो रुपये वाली बढ़ोत्तरी उनके पे में नहीं की जा सकी, लेकिन मैं केवल इतना निवेदन और करना चाहता हूं कि यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है और विचार करने के बाद बहुत सम्भव है कि सरकार इस निश्चय पर पहुंचे कि उनको भी यह सुविधा दी जाय।

*५--श्री नारायणदत्त तिवारी--[१७ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

राज्य से अन्न का निर्यात प्रतिबंधित करने का कथित अनुरोध

*६--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वे इस राज्य से अन्न का निर्यात प्रतिबन्धित करने की इजाजत दे दें ?

श्री सैयदअली जहीर--जी नहीं।

नगरपालिकाओं का आगामी चुनाव

*७--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि नगरपालिकाओं का आम चुनाव प्रदेशीय सरकार ने कब कराने का निश्चय किया है ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--नगरपालिकाओं के आगामी आम चुनाव १६ अक्तूबर, १९५७ को कराने का विचार है।

हरदोई जिले में गांव सभा 'करावां' के प्रधान का चुनाव न हो सकना

*८--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में कितनी ग्राम सभा ऐसी बाकी हैं जिनके प्रधानों का चुनाव आज तक नहीं हो सका है और उसका कारण क्या है ?

स्वशासन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)--रजिस्टर भाग १ व २ ठीक न बना होने के कारण केवल गांव सभा 'करांवा' के प्रधान का चुनाव अभी तक नहीं हो सका है।

श्री मोहनलाल वर्मा--क्या सरकार यह बतलायेगी कि यह रजिस्टर भाग 'अ' और 'ब' कब तक ठीक हो जायगा और गांव सभा का चुनाव कब तक होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैं समझता हूं कि उनका प्रकाशन अब तक हो चुका है। केवल चुनाव की ही विधि बाकी रही है, वह भी बहुत जल्दी हो जायगी।

हरदोई जिले में पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में अपीलें

*९--श्री मोहनलाल वर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि हरदोई जिले में अदालती पंचों का चुनाव किन-किन क्षेत्रों का नहीं हुआ है और कौन-कौन अदालतें ऐसी बाकी हैं जो पूरे सदस्य न होने की वजह से कार्य नहीं कर रही हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--हरदोई जिले की समस्त पंचायतों के पंचों का नामांकन हो चुका है और सब न्याय पंचायतें अपना कार्य कर रही हैं।

*१०--श्री मोहनलाल वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में कितनी अपीलें अदालतों में फाइल हुईं और ऐसी कितनी अपीलें अभी अदालतों में चल रही हैं जिन्हें एक वर्ष से अधिक दायर हुए हो गया है, और उनका निर्णय अभी तक नहीं हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव--पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में ३८४ अपीलें अदालतों में दायर हुईं। इनमें से २ अपीलें ऐसी हैं जिन्हें एक वर्ष से अधिक दायर हुए हो गया है और उनका निर्णय अभी तक नहीं हुआ है।

अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सम्बन्ध में आडिट नोट न मिलना

*११--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार का ध्यान अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के १९५५-५६ में वेटेरिनरी अस्पताल के लिए जो अंग्रेजी दवायें और औजार खरीदे गये थे उनकी बाबत सीनियर आडीटर द्वारा की गयी आपत्तियों की ओर गया है ? अगर हां, तो सरकार ने उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं। सरकार के पास जिला बोर्ड अलीगढ़ का १९५५-५६ का आडिट नोट अभी तक नहीं आया है।

*१२--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के १९५५-५६ के दूसरे हिसाबों की बाबत भी आडीटरों ने कुछ एतराज किये थे ? उनमें से मुख्य-मुख्य क्या थे ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रश्न नहीं उठता ।

*१३--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार आडिट के इन एतराजों में से खास-खास की कापियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि आडिट नोट सरकार के पास भेजे जाने के लिये कोई अवधि मुकर्रर है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जिस वक्त आडिटर्स अपना आडिट कर लेते हैं, तो शासन के पास अपना नोट भेज देते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार आडिट नोट को मंगा कर देखने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह विभाग का कर्तव्य है कि वह शासन के पास भेजे। मेरे खयाल से तैयार नहीं होगा, इसलिये नहीं भेजा गया होगा।

*१४-१५--श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)--[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*१६-१८--आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--[२३ सितम्बर, १९५७ के लिए प्रश्न संख्या ३७-३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१९-२१--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२२-२४--श्री रामसुन्दर पांडेय--[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२५-२६--श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)--[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

फैजाबाद जिले में हरिजन पंचायत मंत्री तथा पंचायत मन्त्रियों का बकाया वेतन

*२७--श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार बतायेगी कि फैजाबाद जिले में सन् १९५६ में कुल कितने पंचायत मंत्री थे और उनमें से कितने हरिजन थे ?

श्री रामस्वरूप यादव--फैजाबाद जिले में सन् १९५६ में कुल २२० पंचायत मंत्री थे और उनमें से ६ पंचायत मंत्री हरिजन थे।

*२८—श्री सुखरामदास—क्या यह सही है कि उक्त जिले में पंचायत मंत्रियों का वेतन बकाया पड़ा है और बार-बार लिखने पर भी नहीं मिल रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। फैजाबाद जिले में पंचायत मंत्रियों के वेतन का ३१,४२३ रु० ४ आना बकाया है। यह अवशिष्ट वेतन जून, १९५२ के पूर्व का है।

श्री सुखरामदास—क्या सरकार बतलायेगी कि भर्ती के वक्त हरिजनों के कितने प्रार्थना-पत्र आये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—पंचायत मंत्रियों का चुनाव तो हर साल हुआ करता है, किस वर्ष से आपका तात्पर्य है ?

श्री सुखरामदास—सन् १९५६-५७ के बारे में पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—यह सवाल इससे नहीं उठता, क्योंकि आपने कुल पंचायत मंत्रियों के बारे में पूछा है। १९५६-५७ में वहां पर कितने भर्ती किये गये यह प्रश्न इसमें नहीं आयेगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे जिनके कारण वे वेतन अब तक बकाया चला आ रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—वह वेतन जून, १९५२ से पूर्व का है। उस समय वेतन की जिम्मेदार ग्राम सभायें हुआ करती थीं। वह रुपया जैसे उन ग्राम सभाओं में आता रहता है दे दिया जाता है। वह वेतन शासन की ओर से नहीं दिया जाता है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि १८ प्रतिशत के हिसाब से हरिजनों का कोटा पूरा हो गया है या नहीं ? अगर नहीं, तो उसकी पूर्ति के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस सम्बन्ध में संचालक, पंचायत राज को आदेश भेजे गये हैं कि वह १८ प्रतिशत करें, लेकिन प्रगति उस ओर संतोषजनक नहीं है, केवल संख्या ६ से ८ हो गई है। लेकिन प्रयत्न यह किया जा रहा है कि उनका प्रतिशत पूरा कर दिया जाय।

श्री सुखरामदास—क्या १९५७ का भी कोई वेतन बाकी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—१९५७ का तो कोई वेतन बाकी नहीं है।

बस्ती जिले में कठनैया नदी पर महुली, हरिहरपुर के बीच पुल की आवश्यकता

*२९—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बस्ती जिले में कठनैया नदी पर महुली, हरिहरपुर के बीच पुल बनवाने का तय कर चुकी है ? यदि हां, तो कब से यह कार्य प्रारम्भ होगा ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*३०—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—[१७ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३१-३२—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

नोट—तारांकित प्रश्न २९ श्री राजाराम शर्मा ने पूछा।

इटावा जिले में सीमेंट का वितरण

*३३--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले की तहसील इटावा, औरैया, बिधूना, भर्थना को जनवरी सन् १९५७ से अब तक सीमेंट का कितना कोटा दिया गया और जो कोटा दिया गया उसमें कितना परसेंट (सैकड़ा) प्लानिंग के लिये रिजर्व किया गया और कितना जनता को दिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इटावा जिले में जनवरी से जुलाई, १९५७ तक विभिन्न कार्यों के लिये तहसीलवार सीमेंट के वितरण की सूची मेज पर रख दी गई है।

इस काल में नियोजन तथा विकास तथा कृषि कार्यों के लिये ७१ प्रतिशत तथा जनता को २९ प्रतिशत सीमेन्ट दी गई ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १६४ पर)

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो यह प्लानिंग के लिये ७१ प्रतिशत और जनता के कार्य के लिये २९ प्रतिशत सीमेन्ट दिया गया है, उसमें जो आंकड़े दिये गये हैं वह गलत हैं। २९ परसेंट न होकर कहीं २४ परसेंट और कहीं ३९ परसेंट है ?

श्री अध्यक्ष--यह पूछना कि जो जवाब दिया है वह गलत है, मैं समझता हूं ठीक नहीं है। आप किसी दूसरी जगह का प्रश्न पूछते हों तो बात दूसरी है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो २९ प्रतिशत सीमेंट दिया जाता है इससे कठिनाई है, इसे बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--हम तो बराबर कोशिश कर रहे हैं कि इसमें बढ़ोत्तरी हो, लेकिन इतना ज्यादा मिलता ही नहीं। इतने ज्यादा सरकारी काम बन रहे हैं कि उसी काम में लग जाता है, इसलिये प्राइवेट सेक्टर के लिये बहुत कम बचता है और जितना मिलता है उतना हम बांट देते हैं।

श्री मोहनलाल वर्मा--क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि यह २९ परसेंट जो जनता के लिये दिया जाता है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कितना दिया जाता है और शहरी रकबों के लिये कितना दिया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर--यह जो तफसील दी गयी है वह तहसील वाइज है। इटावा में १,०३१ बैग है, भर्थना में १,२१९ बैग, बिधूना में १,३७८ बैग और औरैया में ८११बैग है। तहसील वाइज इस तरह से डिस्ट्रिब्यूशन होता है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--माननीय मंत्री महोदय ने अभी जो यह बतलाया तो यह तो नियोजन के लिये है और २९ परसेंट सिर्फ जनता के लिये है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां, सही है। यह साधारण जनता के लिये जो दिया गया है वह पहली सूची में है और यह नियोजन वाला जो है वह माननीय मंत्री जी ने बतलाया।

*३४-३६--कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)--[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

अन्न की कमी वाले जिलों के लिए कमेटी बनाने का आश्वासन

*३७--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि राज्य के कुछ जिले जो अन्न उगाही के समय में अभाव-ग्रस्त माने गये थे वे अब भी अभाव-ग्रस्त हैं ? यदि नहीं, तो वह कौन जिले थे जिन्हें पहले अभाव-ग्रस्त माना गया था और वे स्वावलम्बी हो गये हैं और यदि हां, तो ऐसे कौन जिले हैं और उनमें कितना अन्न पैदा होता है और कितने की कमी है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ३७-३८ श्री नारायण दत्त तिवारी ने पूछे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---पिछले उगाही के समय में कुछ जिले जिन की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, अभावग्रस्त तो नहीं, बल्कि कमी के क्षेत्र माने गये थे। वह जिले रबी की फसल के सम्बन्ध में अब भी कमी के क्षेत्र माने जाते हैं। शेष प्रश्न लागू नहीं होते।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६५ पर)

*३८---श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)---अन्न की कमी को दूर करने के लिये सरकार आगे क्या करने जा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सरकार ने खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने के लिये सिंचाई के साधन, अच्छे बीज और अधिक से अधिक मात्रा में खाद इत्यादि उपलब्ध करने का प्रबंध किया है। संकटकाल में खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने के लिये सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है। केन्द्रीय सरकार से विदेशी गेहूं मंगाया जा रहा है और मोटे अनाज प्रदेश से खरीद कर एकत्रित किये गये हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन जिलों को अभाव-ग्रस्त माना गया है उनकी संख्या क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---१६ जिले हैं, किन्तु वे अभावग्रस्त न होकर कमी वाले क्षेत्र हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बतायेगी कि सरकार के दृष्टिकोण में अभाव-ग्रस्त और कमी वाले क्षेत्रों में क्या फर्क है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---उसका मतलब स्केयरसिटी एरिया और डैफीसिट एरिया से है। मोटे तौर पर उसका अर्थ यह है कि जो एरिया स्केयरसिटी एरिया डिक्लेअर होता है उसके लिये दूसरे साधनों को प्रयोग में लाना पड़ता है, जिनमें राशनिंग भी हो सकता है तथा और भी बहुत सी बातें होती है, लेकिन डेफीसिट एरिया के लिये इस बात की आवश्यकता नहीं होती।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार का विचार इस विशेष परिस्थिति को देखते हुये डैफीसिट एरिया में भी लगान छोड़ देने का है ?

श्री सैयदअली जहीर---यह तो कई दफा कहा जा चुका है कि उसके लिये रूल्स बने हुये हैं उन्हीं के अनुसार जहां-जहां वैसी हालत होती है छूट दी जाती है और वैसी हालत नहीं होती तो छूट नहीं दी जाती।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या इन कमी के क्षेत्रों में इस कमी को दूर करने के लिये कोई जांच कमेटी या कमीशन बैठाने का भी सरकार का विचार है ?

श्री सैयदअली जहीर---इसके मुताल्लिक कोई नयी बात नहीं है। बराबर यें बातें अखबारों में निकलती रहती है। मुख्य मंत्री जी अभी एलान कर चुके हैं कि इस वक्त जो इन्तजामात हो रहे हैं उनको देखत हुये देखने के लिये मुनासिब मौके पर हाउस की कमेटी वे बनाने को तैयार हैं लेकिन कमीशन बैठाने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ये जिले जो कि बराबर अभावग्रस्त जिले रहे हैं और सरकार के कदम उठाने पर भी अभावग्रस्त हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुय क्या तुरन्त कोई ऐसा कमीशन बनान का सरकार विचार कर रही है ?

श्री सैयदअली जहीर---जी नहीं, इस वक्त कोई कमीशन बनाने का विचार सरकार नहीं कर रही है।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---जिस कमेटी को बनाने का सरकार का विचार है, वह सरकार कब तक बना देगी ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---बहुत जल्द ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतायेगी कि कमी वाले जिलों की अन्नपूर्ति के लिये स्थायी हल निकालने का क्या विचार है ?

श्री अध्यक्ष---प्रश्न ३८ के उत्तर में इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---क्या ऐसी आशा की जाय कि जिस कमेटी के बारे में मुख्य मंत्री जी ने कहा उसकी घोषणा आज हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी हो जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस कमेटी में कितने सदस्य होंगे और इसके टर्म्स आफ रिफरेंस क्या होंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---टर्म्स आफ रिफरेंस का कोई सवाल ही नहीं है यह मैंने स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई कमेटी मुकर्रर की जायगी तो उसका काम इतना ही होगा कि वह तात्कालिक सहायता के सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट को सुझाव दे । कितने सदस्य होंगे इस सम्बन्ध में मैंने अभी नहीं सोचा है क्योंकि जो पार्टी के लीडर्स हैं उनसे भी इस सम्बन्ध में बातचीत करना जरूरी है ।

अनाज के विक्रय पर नियंत्रण करने के सम्बन्ध में जानकारी

*३९---श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान परिस्थिति को काबू में करने के लिये गल्ले के विक्रय पर कोई वह नियंत्रण करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सदन की मेज पर उसकी रूपरेखा रखेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---गल्ले के विक्रय पर नियंत्रण करने का कोई प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गल्ले के नियंत्रण पर सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री सैयदअली जहीर---गल्ले के नियंत्रण करने पर यह कठिनाई है कि अभी कुछ दिन हुये जब गल्ले पर नियंत्रण था तो हर तरफ से जनता की मांग थी कि नहीं होना चाहिये । तो उससे बहुत सी मुश्किलें पड़ जाती हैं, जो माननीय सदस्य जानते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि गल्ले के विक्रय के सम्बन्ध में और गल्ले के सम्बन्ध में वर्तमान परिस्थिति क्या है ?

श्री सैयदअली जहीर---यह तो फूड डिबेट में बयान किया जा चुका है । बहरहाल जो नई फसल है वह बाज बाज जगह पर कट रही है और हालत सुधरती जा रही है । और गिर्ख भी घटता जा रहा है और हालत अच्छी हो रही है । इसमें कोई वजह घबराने की नहीं है ।

*४०---श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)---[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४१---श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)---[१७सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

फर्रुखाबाद -फतेहगढ़ नगरपालिका को सड़कों के निर्माण के लिए दिये गये अनुदान का व्यय न होना

*४२--श्री रामकृष्ण सारस्वत--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ नगरपालिका को सरकार द्वारा गत वर्ष सड़कों को बनाने के लिये कितना रुपया दिया गया, कितनी सड़कें बनीं, कितनी की मरम्मत हुई, कितना धन व्यय हुआ और कितना बचा है ?

श्री रामस्वरूप यादव--नगरपालिका फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ को गत वर्ष सड़क अनुदान के अन्तर्गत ५३,६०० रुपये दिये गये थे। किन्तु इस समय नगर में पाइप लाइन बिछाई जा रही है इसलिये उक्त धनराशि में से कुछ भी व्यय नहीं किया जा सका।

श्री रामकृष्ण सारस्वत--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ५३,६०० रुपये की धनराशि नगरपालिका को सड़कों के लिये दी गई है तो वह एक बार दी गई या इससे अधिक बार दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस वर्ष में एक ही धनराशि है और वह एक ही बार दी गई।

श्री रामकृष्ण सारस्वत--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन सड़कों के ऊपर पाइप लाइन बिछाने की योजना नहीं है, उनकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह सोचा गया होगा कि मुमकिन है कि इन सड़कों पर पाइप लाइन डाली जाय।

*४३-४४--श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)--[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी जिले में सीमेंट के वितरण की शिकायत

*४५--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार को पता है कि झांसी जिले की गरौठा व मोठ तहसीलों में बहुत दिनों से सीमेंट सप्लाई बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार यहां पर शीघ्र ही सीमेंट भेजने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--गरोठा तहसील में सीमेन्ट जनवरी के मध्य से नहीं आया। मोठ तहसील में सीमेन्ट चिरगांव के स्टाकिस्ट द्वारा १७ जुलाई, १९५७ तक प्राप्त हुआ है। सीमेन्ट के भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कि झांसी में उस वक्त काफी स्टाक सीमेंट का था तो वहां से क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री सैयदअली जहीर--तरीका यह है कि जो आयरन स्टील कंट्रोलर हैं वह हर एक स्टाकिस्ट के पास सीमेन्ट भेजते हैं और तहसील मोठ और गरौठा में सीमेन्ट जनवरी से नहीं भेजा गया। बहरहाल हम बार-बार कह रहे हैं और उम्मीद है कि वह जल्द पहुंच जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी इसको देखते हुए कि अनेक तहसीलों को, जैसे गरौठा है, इस तरह से सीमेन्ट से वंचित हो जाना पड़ता है तो जो व्यवस्था है उसको बदल कर दूसरा इन्तजाम करने की सोच रहे हैं ?

श्री सैयदअली जहीर--जी नहीं, उसको हम नहीं बदल सकते क्योंकि सीमेन्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से बंटता है और उनका आफिसर कानपुर में रहता है वह एलाट करता है कि कितना सीमेन्ट किसके पास जायगा और जब सीमेन्ट वहां पहुंचता है तब बांटा जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेगी कि वर्तमान स्टाकिस्ट्स की व्यवस्था को बदला जाय जिससे तहसीलों में सीमेन्ट मिल सके?

श्री सैयद अली जहीर---इसमें कोई स्टाकिस्ट्स का कसूर नहीं है कि उसको बदलने की जरूरत है।

*४६---श्री धनुषधारी पांडेय---[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*४७-४९---श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)---[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५०---श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बांसी और बालूसासन घाटों के पुलों से गुजरने पर पथ-कर लेना

*५१---श्री राजारामशर्मा (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो पुल बांसी और बालूसासन घाट पर नये बन रहे हैं उन पर फेरी महसूल सरकार लेगी? यदि उत्तर हां में है, तो कितने वर्षों तक फेरी महसूल लिया जायेगा?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी हां, इन पुलों पर पथ-कर लिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं।

द्वितीय भाग---इन पुलों पर पथ-कर उस समय तक लिया जायगा जब तक इनकी लागत वसूल हो या अधिक से अधिक २० वर्षों तक।

श्री राजाराम शर्मा---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पथ-कर लिये जाने के कारण रोडवेज की बसें पुल के आरपार नहीं जा रही हैं जिससे यात्रियों को कष्ट हो रहा है?

श्री गिरधारीलाल---इसकी तो मुझे कोई इत्तला नहीं है। बाकी टैक्स तो जाने के लिये देना ही होगा।

श्री राजाराम शर्मा---क्या सरकार रोडवेज और लोक निर्माण विभाग का आपसी झगड़ा दूर करेगी जिससे रोडवेज की बसें आरपार जा सकें?

श्री गिरधारीलाल---कोई आपसी झगड़ा किसी किस्म का नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों पुलों के निर्माण में कुल कितना रुपया व्यय होने जा रहा है?

श्री गिरधारीलाल---एक पुल में १४,७७,००० रुपये खर्च हुये हैं और दूसरे में ३,२७,००० रुपये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को पता है कि रोडवेज विभाग इन पुलों का फेरी टैक्स नहीं दे रहा है जिसके परिणामस्वरूप बसें नहीं जा पा रही हैं?

श्री अध्यक्ष---वह तो उन्होंने बता दिया।

*५२-५३---श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)---[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५४-५५---श्री रामलखन (जिला वाराणसी)---[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किय गये।]

इटावा व भिण्ड जिलों को यमुना व चम्बल पर पुल बना कर मिलाने का सुझाव

*५६—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले व मध्य भारत के भिन्ड जिले को मिलाने के लिये यमुना व चम्बल नदियों में पुल बनाये जाने का कोई विचार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार रखती है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

*५७—श्री श्यामलाल यादव (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला बोर्ड वाराणसी को देय फेरी ग्रान्ट

*५८—श्री श्यामलाल यादव (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड वाराणसी को कुल कितनी ferry grant सरकार द्वारा देय है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार द्वारा जिला बोर्ड, वाराणसी को कुल ४५,६५४ रुपये २५ नये पैसे फेरी ग्रान्ट के रूप में देय है।

बस्ती जिले के लिए सीमेंट और कोयले का एलाटमेंट

*५९—श्री धनुषधारी पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती में वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये कितना सीमेंट तथा कोयला 'एलाट' किया गया था ?

श्री सैयद अली जहीर—सीमेन्ट ३,०३६ टन, कोयला १६९ बेगन।

गोरखपुर जिले में पंचायत मंत्रियों को विलम्ब से वेतन मिलना

*६०—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले के पंचायत मंत्रियों का वेतन गत तीन माह से क्यों नहीं दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—गोरखपुर जिले के पंचायत मंत्रियों का वेतन दे दिया गया है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन मंत्रियों का वेतन समय पर क्यों नहीं दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—वेतन देने में कुछ विलम्ब तो अवश्य हुआ क्योंकि जिलों से जो अनुदान की मांग आयी वह पंचायत डायरेक्टर के पास में कुछ देर में आयी। जब मांग आ गयी उसके बाद फौरन रुपया भेज दिया गया।

*६१-६२—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—
—[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

मथुरा जिले में राया सादाबाद कच्ची सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*६३—श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मथुरा में राया से सादाबाद जाने वाली सड़क जो २० मील है और बहुत कच्ची व पुरानी है उसको पक्की व ठीक कराने की योजना सरकार की है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग— प्रश्न नहीं उठता।

नोट :—तारांकित प्रश्न ६० श्री मदन पांडेय ने पूछा।

*६४-६६--श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*६७-६८--श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)--[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।)

बांदा नगरपालिका में ड्रेनेज स्कीम लागू करने की आवश्यकता

*६९--श्रीमती सियादुलारी--क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत ड्रेनेज स्कीम लागू की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं।

*७०--श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)--[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

फर्रुखाबाद नगरपालिका को बाढ़ से बचाव के लिए कथित अनुदान

*७१--श्री रामकृष्ण सारस्वत--गत वर्ष शहरी क्षेत्र में बाढ़ से बचाव के लिये सरकार द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड फर्रुखाबाद को अनुदान के रूप में दी गई रकम का वितरण किस प्रकार हुआ और उसमें से अधिक से अधिक रकम कितनी और कम से कम रकम कितनी एक व्यक्ति को दी गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--गत वर्ष शहरी क्षेत्र में बाढ़ के बचाव के लिए सरकार द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड फर्रुखाबाद को अनुदान के रूप में कोई भी रकम नहीं दी गयी। अतः वितरण के विवरण का प्रश्न नहीं उठता।

*७२--श्री रामशरण यादव--[१८ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७३--श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--[८ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सीमेंट की बचत के लिये चूने के प्रयोग का आदेश

*७४--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सीमेंट की कमी होने के कारण केन्द्र ने राज्य सरकार को यह सुझाव दिया है कि सरकारी निर्माण कार्यों में चूना का भी प्रयोग किया जाय ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां। जून १९५७ में केन्द्रीय सरकार के सुझाव के अनुसार आवश्यक आदेश सभी सुपरिन्टेंडिंग तथा एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों को भेजे गये।

*७५--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार ने पी० डब्लू० डी० (बिल्डिंग्स), रिसर्च विभाग से इस मामले पर कोई राय ली है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं। क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग में चूना भी प्रामाणिक विशिष्टियों (Standard Specifiation) के अनुसार प्रयुक्त होता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट की कमी के कारण जो निर्माण के कार्य पूरे नहीं हो सकते हैं उन पर अब कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--वह काम तो हो ही रहा है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जैसा कि जवाब में बताया गया है, यदि चूना पहले से ही प्रयुक्त होता रहा है तो उसका इस्तेमाल सीमेंट की जगह क्यों नहीं किया जाता रहा है ?

श्री गिरधारीलाल---वास्तव में जब से सीमेंट की कमी हुई है उस वक्त से सरकार की तरफ से इस बात की हिदायतें गयी हैं कि सीमेंट के स्थान पर चूने का ही इस्तेमाल किया जाय ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो आदेश सरकार की ओर से चूने के लिये गये हैं उनके साथ-साथ क्या सरकार की ओर से जिलों में चूने की सप्लाई का कोई इन्तजाम किया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल---नहीं, इसका कोई प्रबन्ध नहीं किया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि पी० डब्लू० डी० रिसर्च विभाग ने जो स्पेसिफिकेशन तयार किया है उसमें कितन चून और कितने सीमेंट की मात्रा रखी गई है ?

श्री गिरधारीलाल---इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

जल-कर की दर के सम्बन्ध में पूछताछ

*७६---श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जिन जगहों पर Waterworks लगे हुये हैं वहां जल-कर की दर क्या है ?

*७७---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त Waterworks किन-किन सालों में लगे और क्या उनके जल-कर की दर में लगने से अब तक कोई अन्तर किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या स्वायत्त शासन विभाग की ओर से ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं कि जिनसे यह मालूम हो सके कि कितने वाटर वर्क्स हैं और उनके क्या रेट्स हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---यहां विभाग में नहीं है । यह तो लोकल बाडीज के पास रहते हैं और उन्हीं से सूचना मंगाई गई है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---लोकल बाडीज जो वाटर वर्क्स के रेट्स निश्चित करती हैं उनके लिये अनिवार्य रूप में सरकार की अनुमति प्राप्त करना जरूरी है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या जहां वाटर वर्क्स लगे हुए हैं और वहां की जो दरें हैं उनकी सूचना लोकल सेल्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास भी नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इन सबकी सूचना लोकल सेल्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास नहीं है । वह तो स्थानीय संस्थाओं के पास है । सूचना उन्हीं से मंगाई जायगी और कई भिन्न बातें पूछी गई हैं जो उन्हीं से जानी जा सकती हैं ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---यह सूचना कब मांगी गई है और उसके कब तक आने की आशा की जा सकती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रश्न के आने के बाद सूचना मगाई गई है । मैं समझता हूं कि एक महीना तो लग ही जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सूचना सदन की मेज पर रखी जायगी ?

श्री अध्यक्ष--यह तो सदन में रक्खी जावेगी ही ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---आज तक तो सरकार ने कोई सूचना नहीं रखी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमान् जी की ऐसी आज्ञा होगी तो मेज पर रख दी जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---उत्तर बड़ा अस्पष्ट है । मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रश्न के उत्तर में जो सूचना जगदीश शरण अग्रवाल जी ने मांगी है वह सदन को मेज पर रखी जायगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---जब यह सूचना आ जायगी तो मेरे पास इत्तला गवर्नमेंट भेज दे कि यह सूचना वह सदन को देना चाहती है तब सदन को वह दे दी जायगी ।

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, तो वह अवश्य दे दी जायगी ।

लखनऊ में विधान सभा मार्ग पर फूलों के रखने के खंभों पर व्यय

*७८---श्रीमती चन्द्रावती (अनुपस्थित)---क्या स्वशासन मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ शहर के म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा कौंसिल हाउस की सड़क से लगा कर चारबाग तक जो फूलों के रखने के लिये खम्भे लगवाये हैं, उन पर कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल---यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित किया जा रहा है । अभी तक इस कार्य पर ११,७८२ रुपये व्यय किये गये हैं ।

*७९---श्रीमती चन्द्रावती (अनुपस्थित)---क्या स्वशासन मंत्री यह सूचित करने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सजावट की व्यवस्था केवल उपर्युक्त लिखी सड़क पर की गई है अथवा शहर की समस्त सड़कों पर ?

श्री गिरधारीलाल---सजावट की यह व्यवस्था केवल विधान सभा मार्ग से चारबाग तक की जा रही है । नगर की अन्य सड़कों पर सजावट की कोई योजना नहीं है ।

कृष्णा कत्था कम्पनी हल्द्वानी को पेड़ों का ठेका

*८०---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने किसी कृष्णा कत्था कम्पनी हल्द्वानी को कत्थे के पेड़ों का कोई ठेका दिया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां ।

*८१---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---यह कम्पनी प्राइवेट है या पब्लिक ? ठेका कितने पेड़ों का दिया गया है और कितने साल के लिये तथा कितने प्रति वर्ष की कीमत पर ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है । ठेका ४,५०० पेड़ों का, प्रति पेड़ १३२-४-० की दर से, एक साल के लिये दिया गया था ।

*८२---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ठेका कब दिया गया था ? उस वक्त प्रति पेड़ सालाना कीमत क्या थी और इस वक्त कीमत क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---उक्त ठेका फरवरी, १९५६ में दिया गया था । उस वक्त प्रति पेड़ की कीमत २४३ रु० १५ आ० थी । इस वक्त की कीमत कोई लाट न बेचे जाने के कारण ज्ञात नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब पेड़ की कीमत उस वक्त करीब २४४ रु० के थी तो १३२ रुपये में ठेका क्यों दिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कृष्णा कत्था कम्पनी, हल्द्वानी ने एक आवेदन-पत्र सरकार को दिया था कि वह आधुनिक साधनों से सुसज्जित एक फैक्ट्री कत्थे की हल्द्वानी में लगाना चाहते हैं और उसके लिये उन्होंने यह चाहा था कि हमें ७,००० पेड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से दिये जायं और यदि हमको प्रोत्साहन दिया जाय तो उससे इस कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा। इसी प्रकार से एक कत्थे का कार्य करने वाली इंडियन गुड्स प्रोडक्शन कम्पनी, बरेली में भी है। तो इस सारे क्षेत्र में केवल एक कृष्णा कत्था कम्पनी और इंडियन गुड्स प्रोडेक्शन कम्पनी यह दो थीं। तो सरकार ने विशेष रूप से इस कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये यह विचार किया कि इसको कुछ रियायती दाम पर पेड़ दिये जायं और उसके लिये ऐसा निर्णय किया गया कि ३ वर्षों से जो औसत पेड़ों की कीमत हो उसमें १५ फीसदी कमी करके एक वर्ष के लिये प्रयोग के रूप में कुछ प्रोत्साहन दिया जाय। इसलिये जब इसको देखा गया तो १९५२–५५ के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक की कीमत १५५ रुपये ८ आना आती थी। उसमें १५ फी सदी कम करके १३२ रु० ४ आने केवल इस कार्य को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने के लिये, इस कम्पनी को यह कार्य दिया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस तरह से उस वक्त जो पेड़ों की कीमत थी उसके बजाय १३२ रुपये में देने की वजह से सरकार को जो ५ लाख रुपये का नुकसान हुआ वह क्या उस कम्पनी को दी हुई सबसीडी मानी जायगी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रोत्साहन के लिये किया हुआ कार्य माना जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि १५ फीसदी रियायत पर देना जो उसने तय किया उसके स्थान पर वर्तमान कीमत पर देना क्यों तय नहीं किया? ३ साल के एवरेज पर क्यों दिया गया?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह तो औसत ही पेड़ों का समझा गया था। यह जरूरी नहीं था कि उस साल २४५ रुपये में ही बिकते या फिर बाद को बिक सकते। लेकिन औसत निकाला गया था और उस पर १५ फीसदी की रियायत दी गयी।

श्री भगवती सिंह विशारद—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन पेड़ो को ठेके पर दिये जाने के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन निकाला गया था?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं ठीक तौर से समझ नहीं पाया लेकिन शायद मेरे मित्र का आशय किसी विज्ञप्ति से है। वह तो नीलाम करने की स्थिति में होता है। कोई नीलाम नहीं किया गया। किन्तु एक विशेष रियायत के तौर पर प्रोत्साहन देने के लिये यह कार्य किया गया था और इसमें विज्ञप्ति का प्रश्न नहीं उठता था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह कम्पनी अभी चल रही है या नहीं चल रही है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरे ज्ञान में तो यह अभी चल रही है।

श्री मदन पांडेय—क्या इस कम्पनी को और अधिक रियायत देने की व्यवस्था की जा रही है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अभी वह प्रश्न विचाराधीन नहीं है और न इस सम्बन्ध में आवेदन-पत्र ही हमें प्राप्त हुआ है।

मिर्जापुर जिले में पक्की की जाने वाली सड़कें

*८३—श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी मील कच्ची सड़कें पक्की होने वाली हैं और उनकी प्राथमिकता क्या है?

श्री गिरधारी लाल---प्रथम भाग-वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी तालिका में दी गई है।

द्वितीय भाग---द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ली गई सड़कों की कोई प्राथमिकता अभी निश्चित नहीं की गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १६६ पर)

अलीगढ़ नगरपालिका के अन्तर्गत निर्माण कार्य

*८४---श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ नगरपालिका में इस वर्ष क्या निर्माण कार्य हो रहा है?

श्री गिरधारी लाल---माननीय सदस्य का मतलब यदि १९५६-५७ के आंकड़ों से है तो वे नीचे दिये जा रहे हैं। यदि उनका मतलब १९५७-५८ के आंकड़ों से है तो वे आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं :---

१९५६-५७

		रु०
(१)	१४ नाले (drain capital out lay) ..	३,५४,४००
(२)	१५ नालों की मरम्मत (drain repairs) ..	५,९७६
(३)	२९ बिल्डिंग	९,५६५
(४)	३० सड़कें	३,३०,३५८
(५)	३२ स्कूल बिल्डिंग	५,११८

झांसी जिले में मऊ-गरौठा सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*८५---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड की मऊ-गरौठा सड़क को पक्की बनवाने के लिये झांसी जिला विकास समिति ने सिफारिश कब की थी?

श्री रामस्वरूप यादव---जिला विकास समिति, झांसी ने ९ नवम्बर, १९५६ के अपने अधिवेशन में यह निश्चय किया था कि इस सड़क का जीर्णोद्धार किया जाय।

*८६---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार को पता है कि उपर्युक्त सड़क की दशा दिन ब दिन और बदतर होती जा रही है तथा उस पर से अब आमदरफ्त दुश्वार हो गई है?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार को जो सूचना प्राप्त हुई है उससे ज्ञात होता है कि यह सड़क कच्ची है और इसकी मिट्टी काली होने के कारण बरसात में इस पर आना-जाना मुश्किल हो जाता है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि झांसी जिला बोर्ड ने उक्त सड़क को विकास विभाग को हस्तान्तरित कर दिया है या वह उसी के अधिकार में है?

श्री रामस्वरूप यादव---इस सम्बन्ध में सूचना की आवश्यकता है लेकिन जहां तक मैं समझता हूं विकास समिति को कोई सड़क हस्तान्तरित नहीं की जाती है। वह या तो जिला बोर्ड रखता है या पी० डब्लू० डी० रखता है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी झांसी जिला बोर्ड को आदेश देने की कृपा करेंगे कि वह इस सड़क को शीघ्र ही पक्का बना दे?

श्री रामस्वरूप यादव--यह तो जिला बोर्ड का कर्तव्य है। आदेश इस सम्बन्ध में उसको नहीं दिये जा सकते।

स्थानीय निकायों में दो सहायक एकाउण्टेण्ट रखने के सम्बन्ध में जानकारी

*८७--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी प्रस्ताव संख्या २२६१/१९--७१८-४८, दिनांक २९, मार्च, १९४९ तथा एल० एस० जी० विभाग जी० ओ० नं० ४४०/१९--७१८-४८, दिनांक ३१ अक्तूबर, १९४९ के होते हुये भी कितनी स्थानीय निकायों ने दो सहायक एकाउण्टेण्ट रखे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस सम्बन्ध में वांछित सूचना अभी एकत्रित की जा रही है। समस्त जिलों से सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह सूचना कब तक प्राप्त हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--जैसे ही सूचना प्राप्त हो जायगी, वैसे ही मैं उसे सदन की मेज पर रख दूंगा।

टाण्डा कोआपरेटिव बैंकिंग यूनियन का चुनाव

*८८--श्री देवी प्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतायेगी कि ३० जून, १९५७ को टाण्डा कोआपरेटिव बैंकिंग यूनियन के हुये चुनाव में कितने प्रतिनिधि शामिल थे और डायरेक्टरी के प्रत्येक उम्मीदवार को कितना मत मिला था ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--२०३, प्रत्येक उम्मीदवार को निम्नलिखित वोट मिले :--

(१)	श्री रामचन्द्र आजाद	१०२
(२)	श्री तारकेश्वर प्रसाद	१००
(३)	श्री हयात मोहम्मद	९५
(४)	श्री सुलेमान	९१
(५)	श्री गणेश सिंह	९०
(६)	श्री सखावत अली	९०

*८९--श्री देवीप्रसाद मिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उक्त चुनाव में फिर से मत गणना की प्रार्थना की गयी थी किन्तु बिना उचित कारण के अस्वीकार कर दी गई ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी हां। परन्तु सभापति द्वारा स्पष्टीकरण करने पर प्रार्थी को कोई आपत्ति शेष नहीं रही थी।

*९०--श्री देवी प्रसाद मिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि एक उम्मीदवार के विरुद्ध यह आपत्ति उठायी गयी थी कि वे दो टर्म से अधिक दिनों से लगातार डायरेक्टर रह चुके हैं और फिर से खड़े होने की अनुमति नहीं प्राप्त की है, किन्तु सभापति ने डिप्टी डायरेक्टर की सलाह से इस आपत्ति को अस्वीकृत कर दिया जो बाइलाज के विरुद्ध है ?

नोट १ :--तारांकित प्रश्न ८७ श्री भुवनेश भूषण शर्मा ने पूछा।

नोट २ :--तारांकित प्रश्न ८८-९० श्री भगवती सिंह विशारद ने पूछे।

श्री मोहनलाल गौतम---सभापति ने यह व्यवस्था दी थी कि जो व्यक्ति दो अवधि (टर्म) डायरेक्टर रह चुका है वह चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, परन्तु रजिस्ट्रार की अनुमति बिना पद ग्रहण नहीं कर सकता। यह कानूनी प्रश्न है इसलिए न्याय विभाग की राय पूछी जा रही है।

श्री भगवती सिंह विशारद---क्या सहकारी मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन सज्जन ने मतगणना का प्रार्थना-पत्र दिया था उनसे भी इस सम्बन्ध में जांच की गयी है कि वे सभापति जी के स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट हो गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह तो जो वहां की मीटिंग की रिपोर्ट है उसी से मालूम होता है कि उन्होंने कहा और जब उनको कह दिया गया, उसके बाद कोई आपत्ति और नहीं हुई।

प्रान्तीय हाउसिंग कारपोरेशन बनाने का विचार

*९१---श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय वेयर हाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम The Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporations Act, 1956 (No. 28 of 1956) के अनुसार वह प्रान्तीय हाउसिंग कारपोरेशन बनाने जा रही है ? यदि हां, तो यह कारपोरेशन कब तक कायम किया जा सकेगा ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां। इसके स्थापना की शीघ्र आशा की जाती है।

*९२---श्री रामसूरत प्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कारपोरेशन बनने के पूर्व कृषकों के गल्ले रखने व उनको गल्ले के आधार पर कर्ज देने की वह कोई व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मोहन लाल गौतम---वर्ष ५६-५७ में संगठित की गई ४० मार्केटिंग सोसाइटियां अपने सदस्यों को पैदावार के बन्धक आधार (pledge of produce) पर कर्ज तथा गल्ला रखने की सुविधा दे रही हैं। क्षेत्रीय सहकारी समितियां भी अपने सदस्यों को "क्राप लोन" देती हैं।

श्री रामसूरत प्रसाद---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्लेज आफ प्रोड्यूस के आधार पर कर ब्याज रहित होता है या उस पर ब्याज लिया जाता है ?

श्री मोहनलाल गौतम---मैं ठीक नहीं कह सकता लेकिन मेरा अनुमान है कि उस पर ब्याज लिया जाता है।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला गोरखपुर)---इस कारपोरेशन में अभी तक कितना शेयर-मनी प्राप्त हो चुका है ?

श्री मोहन लाल गौतम---सवाल को मैं ठीक साफ़ नहीं समझ सका हूं लेकिन बजट में ४ लाख है और जरूरत उसे १९ लाख की है।

गोरखपुर जिलान्तर्गत नवीन सड़कों और पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में सूचना की मांग

*९३---श्री मदन पांडेय---गोरखपुर जिले की निचलौटन-ठूठीवारी, निचलौटन-चौक, नौतनवा-ठूठीवारी सड़कों का निर्माण कब तक समाप्त होगा ?

*९४---क्या सरकार के विचाराधीन ठूठीवारी से बैठबलिया तक भारत-नैपाल सीमा के समानान्तर सड़क निर्माण की योजना है ?

*९५---क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले की सिसवा बाजार से हेवती रोड पर बीजापार में तथा सवया से बागापार रोड पर चनकौरनी ग्राम में खेखड़ा नाले पर पुलों का निर्माण कब तक हो जायगा ?

श्री गिरधारी लाल---इन प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन सूचनाओं को एकत्र करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री गिरधारी लाल—नीचे से सूचना मंगाई जाती है और बहुत सी बातें वहां इकट्ठा भी करनी पड़ती हैं, समय तो उसमें लगता ही है।

श्री मदन पांडेय—क्या इन सूचनाओं के एकत्र होने पर उनकी सूचना मुझे भी दी जायगी ?

श्री गिरधारी लाल—हां, मैं आप को सूचना दे दूंगा।

श्री बलदेव सिंह—यह सूचना कितने दिन से एकत्रित की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—३१ जुलाई को ये प्रश्न आये हैं, तभी से है।

आगरा जिले की फीरोजपुर-कोटला रोड की खराब हालत

*९६—श्री भगवती सिंह विशारद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फीरोजाबाद-कोटला रोड, जिला आगरा की मरम्मत में गत ४ वर्षों में कितना रुपया व्यय हुआ है और इस सड़क की वर्तमान दशा क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस सम्बन्ध में वांछित सूचना अभी उपलब्ध की जा रही है।

श्री भगवती सिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कब तक उन्हें उपलब्ध हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—२० रोज के करीब में उपलब्ध हो जायगी।

श्री भगवती सिंह विशारद—उपलब्ध होने पर क्या माननीय मंत्री उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह सूचना कि कितना रुपया व्यय हुआ है, सदन की मेज पर रख दूंगा और पिछले हिस्से का उत्तर तो अभी दिये देता हूं कि यह सड़क अच्छी नहीं है।

इटावा कचौरा मार्ग को पक्का करने की प्रार्थना

*९७—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा से जो मार्ग संगावली हो कर कचौरा जाता है वह सड़क पक्की बनवाने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सड़क को वह पक्का जल्दी बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

इटावा जिले में यमुना के तीन घाटों का नीलाम

*९८—श्री भुवनेश भूषण शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला इटावा के जमुना नदी के तीन घाट (१) इटावा, (२) कचौरा, (३) शेरगढ़ को सितम्बर सन् १९४७ से जून सन् १९५७ तक कितनी बार नीलाम किया गया और कितनी धनराशि में ?

श्री रामस्वरूप यादव—वांछित सूचना जिलाधीश इटावा तथा आगरा से एकत्र की जा रही है ?

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वांछित सूचना आने के पश्चात् मुझे भी वह सूचना देने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां ।

गोंडा जिले में मनकापुर -मसकनवा सड़क पर लगाये गये पेड़ों का किसानों को पट्टा न मिलना

*९९—श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला के अन्दर मनकापुर–मसकनवा सड़क पर कुछ किसानों ने जिला बोर्ड से आज्ञा लेकर जगह–जगह पेड़ लगाये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां ।

*१००—श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह—क्या यह सही है कि पेड़ लग जाने पर जब काश्तकारों ने जिला बोर्ड से पट्टा मांगा तो पट्टा देने से इन्कार किया जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—पेड़ लग जाने के पश्चात् पट्टा देने का समय आने के पूर्व यह सड़क पी० डब्लू० डी० को हस्तांतरित कर दी गयी अतएव बोर्ड द्वारा पट्टा न दिया जा सका ।

*१०१—श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह—यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—पट्टा देने के प्रश्न पर अभी विचार हो रहा है, कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस समय पेड़ लगाने की आज्ञा दी गई थी उस समय काश्तकारों को पट्टा देने का विश्वास दिलाया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह आश्वासन तो जिला बोर्ड ने दिया था। उसके बारे में अभी इन्कार नहीं किया जा रहा है । लेकिन चूंकि सड़क पी० डब्ल्यू० डी० को हस्तान्तरित हो चुकी है वह इजाजत नहीं देते हैं । उस पर विचार हो रहा है ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह—यह सड़क पी०डब्ल्यू०डी० को कब हस्तांतरित हुई थी?

श्री रामस्वरूप यादव—सूचना की आवश्यकता है ।

श्री बलदेव सिंह—क्या यह सही है कि इस सड़क को जिला बोर्ड से लिये हुये ७ वर्ष हो गये और तब से काश्तकार परेशान हैं और बराबर सरकार के पास दरख्वास्त भेजते हैं, तो उन पर कब तक फैसला हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसका पी० डब्ल्यू० डी० ही स्वयं निर्णय करेगा ।

कोआपरेटिव बैंकों से मिलने वाले कर्ज की ब्याज दर कम करने की प्रार्थना

*१०२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० कोआपरेटिव बैंक जिला कोआपरेटिव बैंकों को ब्याज की किस दर पर रुपया उधार देता है तथा जिला कोआपरेटिव बैंक लोगों से क्या ब्याज लेते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—यू० पी० कोआपरेटिव बैंक जिला कोआपरेटिव बैंकों को ४ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण देता है । जिला कोआपरेटिव बैंक सहकारी समितियों को ६ ३/४ प्रतिशत की दर से ऋण देते हैं। ये समितियां सदस्यों से ८ ३/४ प्रतिशत ब्याज वसूल करती हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी ब्याज की दर कुछ कम कराने की कृपा करेंगे कि जिससे समितियों और सदस्यों को उसका अधिक से अधिक लाभ उठाने में सहूलियत हो ?

श्री मोहनलाल गौतम---बजट के समय मैंने निवेदन किया था कि हमारी इच्छा यह है कि यह ब्याज ८ ३/४ से घटकर ६ १/४ तक पहुंच जाय, इसका प्रयत्न हम करेंगे। यह मैंने सदन में कहा था।

सस्ते अनाज की दुकानें

*१०३---श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राज्य कार्यालय में कोई ऐसी सूचना है कि इस समय तक कितनी दुकानें सस्ते गल्ले की किस-किस जिलें में चल रही हैं और इन से कितना गल्ला प्रति सप्ताह बेचा जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, इस समय विभिन्न जिलों में चल रही सस्ते गल्ले की दुकानों तथा उनसे प्रति सप्ताह औसत विक्रय की मात्रा की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

*१०४---श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि दुकानें जो अब तक खोली गई हैं उनमें से अच्छी संख्या में काम नहीं कर रही हैं क्योंकि उन्हें अब तक अनाज नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और उनकी संख्या क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---राज्य के प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार सरकारी गल्ले की दुकानें खोली गई हैं और खोली गई दुकानों में से एक भी दुकान ऐसी नहीं है जो गल्ला न मिलने के कारण न काम कर रही हो। ऐसी दुकानों की कुछ संख्या अवश्य है जिनको खोलने के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है परन्तु अभी चालू नहीं हुई हैं क्योंकि उनको खोलने का प्रारंभिक प्रबन्ध किया जा रहा है और कुछ ऐसी भी जगह है कि जहां पर इनको आवश्यकता ही नहीं है। ऐसी दुकानों की कुल संख्या १७१ है।

*१०५---श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि अब तक किस जिले में कितना अनाज बांटा जा चुका है, कितना वहां स्टाक में है और कितना और बांटा जायेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---७ अगस्त, १९५७ ई० तक विभिन्न जिलों में बांटे गये अनाज की मात्रा तथा वहां पर उपलब्ध स्टाक की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

जब तक खाद्य स्थिति संतोषजनक नहीं होती तब तक सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों की योजना लागू रखने का विचार है। अगस्त के महीने के लिये केन्द्रीय सरकार ने ३०,००० टन गेहूं दिया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १६७-१६९ पर।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार का विचार यह भी है कि इस वर्ष की विशेष स्थिति को देखते हुये डेफिसिट क्षेत्र में प्रत्येक अदालती पंचायत में एक सस्ते गल्ले की दूकान खोली जाय ?

श्री सैयद अली जहीर---इसके ऊपर कई मर्तबा इस सदन में सरकार की तरफ से विचार जाहिर किया जा चुका है। जहां जरूरत समझी जायगी वहां वह खोली जायंगी। इसकी कोई पाबन्दी नहीं है कि हर एक पंचायती अदालत क्षेत्र में वह खोली जाय। फिर भी जहां जहां गल्ले की कमी मालूम होगी वहां वह खोल दी जायंगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या प्रत्येक अदालती पंचायत क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दुकान खोले जाने के सम्बन्ध में सरकार लेजिस्लेटर्स की कमेटी की राय लेगी ?

नोट:---तारांकित प्रश्न १०३-१०५ श्री नारायणदत्त तिवारी ने पूछे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर वह कमेटी इस सम्बन्ध में अपनी कोई राय देना चाहे तो दे सकती है।

श्री मदन पांडेय---क्या सरकार बतायेगी कि जो दुकानें इस वक्त खोली गई है उनमें से कितनी २६ अगस्त के बाद खोली गई हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री गंगा प्रसाद---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह जो दुकानें खोली गई हैं उन पर प्रति दिन कितने मन गल्ला बिकता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---वह तो तालिका में दिया हुआ है बाकी मोटे तौर पर ३० मन, २५ मन या २० मन इसी प्रकार बिकता है ।

अतारांकित प्रश्न

१-२---श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गय।]

रायबरेली जिले की महाराजगंज तहसील में पंचायत सेक्रेटरियों का न होना

३---श्री चन्द्रिका प्रसाद (जिला रायबरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महाराजगंज तहसील (जिला रायबरेली) में कितने ऐसे पंचायत सेन्टर्स हैं जहां पर पंचायत सेक्रेटरी नहीं हैं और कितने दिनों से इसका प्रबन्ध नहीं किया गया है और क्यों ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---महाराजगंज तहसील जिला रायबरेली में तीन न्याय पंचायत केन्द्र , बेढारू, सेमरौता तथा शिवगढ़, ऐसे हैं जहां पंचायत सेक्रेटरी नहीं हैं । ये पद क्रमशः दिनांक १ सितम्बर, १९५६, २८ जून, १९५७ तथा २७ जुलाई, १९५७ से रिक्त हैं। न्याय पंचायत केन्द्र बेढारू तथा सेमरौता के पंचायत मंत्री ग्राम सेवक पद का शिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र मैनपुरी तथा प्रतापगढ़ गये हैं। न्याय पंचायत केन्द्र शिवगढ़ के पंचायत मंत्री दिनांक २७ जुलाई, १९५७ से मुअत्तल हैं । इन पंचायत मंत्रियों के कार्य को निकटवर्ती मंत्रियों में वितरित कर दिया गया है।

गोंडा जिले में गोंडवा घाट का नीलाम तथा ढकिया नाले पर पुल की आवश्यकता

४---श्री शीतला प्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में गोंडवा घाट पर लगभग १५ वर्ष में बराबर साल ब साल उतराई के लिये नीलाम होता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां।

५---श्री शीतला प्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में तहसील तरबगंज में ढकिया नाला का पुल गिर गया है ? क्या सरकार उसे बनवाने की कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस सम्बन्ध में जिलाधीश गोंडा से पूछताछ की जा रही है और आवश्यक सूचना आने पर इस मामले पर विचार किया जायगा।

---

*३० अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न १२–१४ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष—अब माननीय कृषि मंत्री जी अपने ३० अगस्त के प्रश्नों के सम्बन्ध में उत्तरों में संशोधन उपस्थित करेंगे।

कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैंने दिनांक ३० अगस्त, १९५७ को प्रश्न संख्या १२, १३ व १४ के प्रसंग में श्री राम प्रसाद देशमुख तथा श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा के अनुपूरक प्रश्नों के जो उत्तर दिये हैं, उनमें संशोधन करने की आवश्यकता है। अतः सदन की सूचना के लिये संशोधित उत्तर इस प्रकार हैं :—

१—श्री राम प्रसाद देशमुख—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब इस डेरी में दूध देने वाले जानवर नहीं हैं तो दूसरे शहरों में जो मक्खन अलीगढ़ डेरी फार्म के नाम से बिकता है वह कहां से आता है ?

उत्तर—बाहर से क्रीम खरीद कर मक्खन बनाया जाता है।

२—श्री राम प्रसाद देशमुख—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि वह दूध देने वाली कितनी गायें हैं कि जिनसे इतना मक्खन सप्लाई होता है ?

उत्तर—दूध देने वाली गायें नहीं हैं। क्रीम से मक्खन बनता है।

३—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस डेरी में बाहर से भी दूध लेकर मक्खन निकाला जाता है ?

उत्तर—जी नहीं। क्रीम खरीद कर मक्खन बनाया जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—(जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस डेरी में जो क्रीम खरीदी जाती है वह दैनिक कितनी खरीदी जाती है ?

श्री अध्यक्ष—अब सप्लीमेंटरी प्रश्नों की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आपने इस तरह के जवाब की शुद्धि के समय पहले इजाजत दी है . . .।

श्री अध्यक्ष—लेकिन इस वक्त तत्काल ही क्या वह जवाब दे सकेंगे ? अगर दे सकते हैं तो वह दे दें।

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—काफी तादाद में खरीदी जाती है लेकिन बिना नोटिस के इग्जेक्ट तादाद बताना सम्भव नहीं है।

पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में सर्वश्री झारखंडे राय व सजीवन लाल द्वारा अनशन के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री मदन पांडेय तथा श्री चन्द्रजीत यादव ने अलग-अलग दो कामरोको प्रस्ताव भेजे हैं और उन दोनों में सम्बन्धित विषय वही है जो पूर्वी प्रदेश के अन्न संकट और खाद्य स्थिति से सम्बन्धित है और फिर उसमें एक बात यह कही है कि दो माननीय सदस्य, श्री झारखंडे राय और श्री सजीवनलाल आज, से अनशन शुरू कर

---

*३० अगस्त, १९५७ की कार्यवाही में तदनुसार शोधन कर दिया गया है।

[श्री अध्यक्ष]

रहे हैं यह भी उसमें शामिल है। मैंने अनशन के लिये कभी कामरोको प्रस्ताव श्री गेंदा सिंह के अनशन के लिए भी स्वीकार नहीं किया था। सिर्फ खाद्य परिस्थिति क्या है और मैं समझता हूं कि उसका बहुत सा पत्र-व्यवहार मुख्य मंत्री और श्री गेंदा सिंह वगैरह में हुआ था। तो ऐसी विशेष परिस्थिति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए कामरोको प्रस्ताव पहले स्वीकार किया गया था।

वही विषय इस वक्त भी है। तो एक दफा जब उसके ऊपर बहस हो गयी है तो दोबारा कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता है।

तो यह दोनों अवैध हैं। मैं इनकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपने अपना जो निर्णय दिया है उसे तो हम शिरोधार्य करते हैं। लेकिन मैं आप के द्वारा माननीय-मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि विवाद नहीं--इस सम्बन्ध में क्या वे अपना कोई वक्तव्य देने की कृपा करेंगे?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, उस दिन जो मैंने यहां निवेदन किया था उसके बाद खाद्य स्थिति में कोई परिवर्तन तीन, चार, पांच दिन के भीतर हुआ नहीं। इसलिए मेरी समझ में बात नहीं आती कि और कौन सा विशेष वक्तव्य मैं इस वक्त दे सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, जो अभी कामरोको प्रस्ताव आप के सम्मुख था उस को आप अवैध घोषित कर ही चुके हैं। लेकिन आप को विदित ही है व्यक्तिगत रूप से और वैसे भी सम्भवतः कि माननीय गेंदा सिंह जी की हालत काफी खराब होती चली जा रही है और जहां तक मेरी सूचना है, कल डाइरेक्टर आफ मेडिकल ऐंड हेल्थ सर्विसेज भी उनको देखने गये थे और उनकी राय भी है कि उनका स्वास्थ्य काफी गिरता चला जा रहा है।

दूसरे सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था उसमें शायद कुछ नयी बातों का भी उन्होंने कुछ संकेत किया था। गेंदा सिंह जी, झारखंडे राय जी और सजीवनलाल जी के अनशन के प्रश्न को हम भले ही अपने एक वैधानिक रूप से न लें, फिर भी बात यह है कि प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग है जिसमें इनके अनशन से व्याप्त चिन्ता से बड़ी गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है।

श्री अध्यक्ष--आप चाहते क्या हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने लेजिस्लेटिव कौंसिल में जो अपना वक्तव्य दिया था उसकी पृष्ठभूमि में उनका जो स्टैंड है उसको अधिक स्पष्ट करने की कृपा करेंगे तो प्रदेश में ज्यादा संतोष होगा। अगर वह उस वक्तव्य का स्पष्टीकरण दे सकें तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत दे सकता हूं। अगर वह तैयार हों तो इस वक्त स्पष्टीकरण दे दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी कह दूंगा मैं।

मैंने उस सदन में अध्यक्ष महोदय, कोई नयी बात नहीं कही थी। एक तरह से उसी बात को दोहराया था जिसको मैं इस सदन में कह चुका था। मैंने यहां जिक्र किया था कि माननीय गेंदा सिंह जी की मांगों में एक मांग यह थी कि एक सर्वदलीय कमेटी नियुक्त की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय जो कि तात्कालिक सहायता की आवश्यकता और स्वरूप का निर्णय करे। मैंने यहां कहा था कि निर्णय करने वाली बात मैं स्वीकार नहीं कर सकता। क्या तात्कालिक सहायता होगी इसका फैसला तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। गवर्नमेंट किसी कमेटी की आड़ में काम नहीं कर सकती है। अगर ऐसी बात होती कि कोई कमेटी नियुक्त की जाय जो कि गवर्नमेंट को सलाह दे तो मैं स्वीकार कर सकता था। वह बात यहीं खत्म हो गयी।

उसके बाद विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने एक प्रेस कान्फ्रेन्स में अपना एक वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य की एक आथराइज्ड प्रति मेरे पास भी आयी है। उसमें उन्होंने यह कहा था कि वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो कोई कमेटी नियुक्त की जायगी वह ऐडवाइजरी ही हो सकती है। ठीक शब्द मुझे अंग्रेजी के याद नहीं हैं, लेकिन शायद उस में यह शब्द थे—"It will be for the Government to implement the recommendations of the committee or not to do so." । इतना ही नहीं, एक बात और थी। उन्होंने लिखा था कि श्री गेंदा सिंह जी का भी यह ख्याल है कि कमेटी होगी तो ऐडवाइजरी, यों वह ऐसा समझते हैं कि जब ऐसी कोई कमेटी नियुक्त होगी तो स्वभावतः उसमें कांग्रेसमैन की मैजारिटी होगी। इसलिये ऐसी कमेटी का गवर्नमेंट जरूर लिहाज करेगी। तो मैंने कहा कि चूंकि त्रिलोकी सिंह जी ऐसा कहते हैं कि वह कमेटी ऐडवाइजरी हो इसलिये ऐसी कमेटी की नियुक्ति के सम्बन्ध में मुझको कोई आपत्ति नहीं है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। यही मैंने उस सदन में कहा था।

श्री अध्यक्ष—(श्री नारायणदत्त तिवारी के खड़े होने पर) अब तो इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी नहीं, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसा भी स्पष्ट किया था कि जो लगान कहीं अगर गलती से वसूल हो गया हो तो इस प्रकार के लगान के रिफ़ण्ड का प्रश्न और इंटरिम रिलीफ का प्रश्न भी उस कमेटी के सामने जा सकेगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने एक क्षण के लिये भी ऐसी कोई बात नहीं कही थी और न मेरा विचार है कि ऐसा कोई सवाल उस कमेटी के सामने जाय।

१९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २८ अगस्त, १९५७ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ अगस्त, १९५७ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ३१ अगस्त, १९५७ को प्राप्त हो गई और वह १९५७ का उत्तर प्रदेश का २२ वां अधिनियम बन गया।

*उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५७

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फ़ीस (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश कोर्ट फ़ीस (संशोधन) विधेयक, अन्तिम रूप से १९५२ में पारित हुआ था और उस ऐक्ट के अनुसार कार्य भी हो रहा था। लेकिन कुछ समय पश्चात् यह विदित हुआ कि उस ऐक्ट के आर्टिकिल ११ में कुछ ऐसी त्रुटियां रह गई हैं जिसके कारण काफी कठिनाइयां हो रही हैं और फलस्वरूप आर्टिकल ११ और १२ में क्लाज

*२ सितम्बर १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

[डाक्टर सीताराम]

(*a*) से लेकर (*h*) तक इंटरलिंक्ड हो जायं, यही एम्स और आब्जेक्ट्स में सब बातें दी हुई हैं। इस आर्टिकिल को संशोधित करने से कोर्ट फ़ीस में कुछ भी वृद्धि नहीं होगी। बल्कि एम्स और आब्जेक्ट्स को देखने से यह विदित होता है कि कोर्ट फ़ीस वही रियलाइज की जायगी जो १९५२ के ऐक्ट के अन्तर्गत होती थी।

(इस समय १२ बज कर ९ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुए।)

ऐसी परिस्थिति में इस विधेयक को ला कर के यह आवश्यक जान पड़ता है कि क्लाज (*a*) से लेकर (*h*) तक इंटरलिंक्ड किये जायं और जो कुछ अनियमिततायें रह गई हैं वे दूर हो जायं। खास कर के इस संशोधन को लाने की यों आवश्यकता पड़ी कि १९५५ में कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में इस ऐक्ट के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। फलस्वरूप हाईकोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद १४ के अन्तर्गत इस सेक्शन ४ को यानी सबक्लाज (डो) को अल्ट्रावायरस डिक्लेयर किया और यही कारण है कि अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करने के बाद सरकार ने यह उचित समझा कि इस ऐक्ट को तरमीम किया जाय, क्योंकि तरमीम न करने से इसमें काफी रेवेन्यू का लास होगा जिसके लिए इसको रेगुलराइज करना अति आवश्यक समझा गया। अतः इस बिल को प्रस्तुत करते हुए सदन से मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसमें सन् ५२ के ऐक्ट में जो बातें दी हुई हैं उसमें सिर्फ क्लाज (ए) से (एच) तक को इंटरलिंक करना है। उस में जरा भी कोर्टफीस की वृद्धि नहीं हुई। अतः यह स्पष्ट करते हुए मैं सदन से यह अनुरोध करूंगा कि थोड़े से समय में वह इस विधेयक को पारित कर दे।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--मान्यवर, यदि आप आज्ञा दें तो जो मेरा संशोधन है उसको मैं संशोधित रूप में पेश करना चाहता हूं। मेरा संशोधन यह था कि उत्तर प्रदेश कोर्टफीस (संशोधन) विधेयक, १९५७ जनमत प्राप्त करने के हेतु १५ अक्तूबर, १९५७ तक घुमाया जाय। यदि आप आज्ञा दें तो मैं यह चाहता हूं कि इस सदन की एक प्रवर समिति को यह सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट १५ अक्तूबर, १९५७ तक दे और प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद को दे दिये जावेंगे।

श्री अधिष्ठाता--हां, आप ऐसा कर सकते हैं। संशोधन की एक कापी मेरे पास भेज दीजिए।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मेरे पास इस वक्त है नहीं, मैं बाद में भेज दूंगा। वह तो बहुत साधारण सी वस्तु है।

मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्टफीस (संशोधन) विधेयक, १९५७ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो कि अपनी रिपोर्ट १५ अक्तूबर, १९५७ तक पेश कर दे।

श्रीमन्, इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को देखा जाय तो उससे यह प्रत्यक्ष है कि उत्तर प्रदेश में यथाप्रवृत्त कोर्टफीस ऐक्ट, १८७० की अनुसूची १ के अनुच्छेद ११ तथा १२ में कतिपय असंगतियां दृष्टिगोचर हुई थीं और इनका ठीक किया जाना आवश्यक है। अनुसूची का वर्तमान अनुच्छेद ११, २२ अक्तूबर, १९५२ से प्रचलित हुआ तथा उसके संशोधन को उसी दिनांक से प्रभावी किया जा रहा ह।

श्रीमन्, इस विधेयक के संबंध में सब से प्रथम आपत्ति जो मुझे है, वह यह है कि जो उद्देश्य और कारण दिया गया है वह इतना भ्रमात्मक है कि जिससे कोई चीज स्पष्ट नहीं होती। माननीय मन्त्री महोदय के भाषण से यह स्पष्ट होता है कि इस विधेयक पर माननीय हाई-कोर्ट में आपत्ति की गई। तदुपरान्त उस पर निर्णय हुआ और सरकार के विरुद्ध निर्णय हुआ।

०वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब उन खामियों और त्रुटियों को दूर करने के हेतु माननीय मंत्री महोदय ने यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है। मैं श्रीमन्, यह आवश्यक समझता था कि माननीय मन्त्री महोदय इसके उद्देश्य और कारण में कम से कम यह स्पष्ट कर देते जिससे कि हम यह समझ सकते और सदन में आने से पूर्व उस जजमेंट को देख सकते और उस पर एक अच्छे ढंग से, सुचारु-रूप से, उसके अध्ययन के उपरान्त उस विषय पर कुछ कह सकते।

आज माननीय मंत्री ने यकायक एक नई चीज हमारे सामने रक्खी। श्रीमन्, यही नहीं, कल माननीय वित्त मंत्री ने जब इलेक्ट्रिसिटी के सम्बन्ध में विधेयक उपस्थित किया जिसमें कि वे कुछ कन्सेशन्स दे रहे थे तो हर ध्यौरा उन्होंने पेश किया। लेकिन आज दूसरा विधेयक हमारे सामने आता है तो हम अंधेरे में रक्खे जाते हैं। कुछ गलतियों को दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इसके लिये बधाई है कि उन्होंने रेट में वृद्धि नहीं की है, लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कोर्ट फीस का जो रेट है वह इतना काफी है कि उसमें कुछ बढ़ाने की गुंजायश भी नहीं है। मैं आंकड़ों से प्रमाणित कर दूंगा कि सन् ५४–५५ के बजट के मुताबिक इस सरकार को कोर्ट फीस में ३१ लाख रुपये का फायदा मिल रहा है। श्रीमन्, ५४–५५ के बजट के आधार पर सरकार को १ करोड़ ७८ लाख रुपया इस मद में प्राप्त हुआ और ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में १ करोड़ ४७ लाख रुपया व्यय हुआ यानी ३१ लाख रुपये की सरकार को आमदनी हुई।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में यह नहीं होना चाहिये था। उतनी ही आमदनी इस मद में होनी चाहिये थी जितना कि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस पर सर्फा होता। लेकिन यह मुनाफा इस मद में शोभा नहीं देता। इस सम्बन्ध में मैं आप के द्वारा, माननीय मंत्री का ध्यान टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के पृष्ठ १०८ की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसको सुनकर संभवतः उनको आश्चर्य होगा। वह इस प्रकार है :—

"At the same time, it has to be added that we find ourselves in entire agreement with a view which has been expressed by the Chief Justice of India and the Chief Justice of certain High Courts—in replies which they kindly send to us, at our specific request on one or two points to the effect that court fees (assuming their charge at all) should only be on the basis of covering the expenses of the administration of justice. It has further been urged, in some of the replies we have referred to, that the eventual aim should be to abolish court fees altogether and that meanwhile there should be brought about both a substantial reduction in these fees and a substantial uniformity between different States."

इसके बाद श्रीमन्, फिर आगे उन्होंने कोट किया है :—

"On the more restricted question of reduction of Court fees, however we recommend an urgent review of these fees by those few State governments which now derive from them a revenue which substantially exceeds the cost of administration of justice in order that the fees may be suitably reduced and readjusted as soon as possible."

इसका आशय यह है कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि स्टेट गवर्नमेन्ट्स जिनको कोर्ट फीस से आमदनी होती है, वह आमदनी नहीं करना चाहिये। यदि वे चाहें तो उनको उतनी ही कोर्टफीस लेनी चाहिये जितनी कि उस ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस पर खर्च किया जाता है।

सब हाईकोर्ट्स में यूनीफार्मिटी होनी चाहिये। जहां तक इसका सम्बन्ध है, मैं इस पर अधिक नहीं कहना चाहता, हर हाईकोर्ट को हर स्टेट में अपनी अपनी परेशानियां हैं, उनके सामने अलग-अलग परिस्थितियां हैं। मैं उस यूनिफार्मिटी पर ज्यादा जोर नहीं देता हूं, लेकिन उसूलन इसके सम्बन्ध में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि वेलफेयर स्टेट और एक

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

सोशलिस्टिक पैटर्न के समाज में यह गुंजायश नहीं है कि कोर्ट फीस मुतवातिर ली जाय। आखिर इससे हर साल १,७०,००,००० रुपया मिल रहा है। लिहाजा ऐसी परिस्थिति में मैं यह नहीं समझ पाया कि किस आधार पर आप कोर्टफीस इतनी ले रहे हैं। कौन सा वह मौलिक सिद्धान्त था जिसके पीछे आप इस विधेयक को इस रूप में लाये हैं। आज सम्मानित सदन आपको बधाई इस पर देता, यदि आपने सन् ५२ में जो गलतियां की थीं उनको सुधार कर के उन रेट्स में कुछ कमी की होती। आप के पास और बहुत से तरीके हैं जिनसे आप अपनी आमदनी को पूरी कर सकते हैं। बहुत से लोग टैक्स को इवेड कर रहे हैं और काफी मतालबा आप तक नहीं पहुंच पाता, उसकी निगरानी कीजिये। यहीं बिहार और मध्यप्रदेश में इस तरह की जांचें हुई और एक लाख, कुछ हजार का बिहार में और ९० हजार का मध्यप्रदेश में, इतना रुपया सरकार को इवेजन के कारण नहीं मिल पाया। आप के टैक्सेशन आफिसर्स हैं और डिपार्टमेन्ट्स में भी इस तरह की जांचें होती हैं, लेकिन जो इन्क्वायरीज हैं वह विधिवत् नहीं होतीं और लोग टैक्सेज को छिपाने की कोशिश करते हैं। बहुत-सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि हाईकोर्ट में कुछ अलग कोर्ट फीस है और मुफस्सिल में अदालतों में अलग है। यदि यह किसी स्टेज पर दूर हो सके तो आप के लिए भी हितकर प्रतीत होगा।

मैं आपके द्वारा इस सरकार से एक बात और गम्भीरता से सोचने के लिये प्रस्तुत करूंगा। यह ठीक है कि रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से जो विधेयक आप पास कर रहे हैं, वह उस जजमेंट के आधार पर है, लेकिन जब कि हम इस भवन में इन कानूनों को बनाते हैं तो कुछ दुर्भाग्य ऐसा है कि बहुत से माननीय सदस्य उसकी गहराई में जाने के लिये तैयार नहीं होते हैं। यदि कोई बात कही भी जाय तो उसे केवल हास्य का पात्र समझ कर फंडामेंटल चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता। कांस्टीट्यूशन का इस भवन में यदि कोई हवाला भी दिया जाय तो ऐडवोकेट-जनरल और लीगल-रिमेंब्रेंसर की ओपीनियन इतनी बड़ी मानी जाती है कि मंत्री महोदय जरा सा भी प्रयास नहीं करते हैं कि उसकी गहराइयों और पेचीदगियों को समझने की कोशिश करें। आज कांस्टीट्यूशन में यह क्या तमाशा है कि बार-बार अमेंडमेंट होता है। यह अमेंडमेंट आफ कांस्टीट्यूशन क्या है? यह तो क्लियर रेप आफ दि कांस्टीट्यूशन है और इसके होते हुये भी आप अमेंडमेंट कांस्टीट्यूशन में तभी लाते हैं जब वह आपकी सहूलियत के लिये हो। इसी भवन में जब जमींदारी एबालिशन हुआ तब महज एक ऐक्ट के लिए आपने अमेंडमेंट कराया। जब कहीं कठिनाई होती है तो आप अमेंडमेंट कर देते हैं। क्या इसको मजाक समझ रखा है? हर जगह पर एक कंवेन्शन समझ रखा है कि जिस समय आप चाहें कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट कर दें, महज इसलिये कि आपको सूट नहीं कर रहा है।

हुजूरवाला, हमारे वित्त मंत्री जी वकील भी रह चुके हैं और कानूनी इल्म भी उनको है और वह उन पुराने लोगों में से हैं जो हर पेचीदगी में पहुंच सकते हैं। जो अमेंडमेंट आपके नहीं माने गये, आखिर उनके सम्बन्ध में जजमेंट्स का हवाला दिया गया होता तो पता चलता कि किस बुनियाद पर यह अल्ट्रा वायरस करार दिया गया। अगर इस पर ध्यान दिलाया गया होता तो हम लोग इन सब चीजों को समझ सकते थे।

लिहाजा, श्रीमन्, मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि जिस तरह से इस विधेयक को वैलीडेट किया जा रहा है, यह आपत्तियों से खाली नहीं है और पूर्व इसके कि आप आगे कदम बढ़ायें, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसको अच्छी तरह से सोच लें। जहां तक इस सहूलियत के लिये कि जो लेटर्स आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन.....

श्री अधिष्ठाता—मैं एक बात आप से पूछना चाहता हूं कि आपने जो संशोधन पेश किया है कि इसको क्यों सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, इस सम्बन्ध में आप कुछ नहीं बतला रहे हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, अन्त में मैं बतलाऊंगा ताकि मेम्बरों के दिमाग पर प्रभाव रहे। यह कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं है कि इसी के ऊपर कन्फाइन किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---करना तो चाहिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, सदन की परम्परा रही है, अगर आप कहें तो आप की आज्ञा शिरोधार्य है और वह यह कि इस मसले के अलावा हम और अंगों को भी टच कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता---मैं आपको बतलाऊं कि आपको तर्क देना चाहिये कि क्यों इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय? इसके क्या प्रिंसपिल्स हैं, इस पर प्रकाश डाला जाय। जो बातें आप कह रहे हैं वह तो सेलेक्ट कमेटी में भी कह सकते हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं उसी के अनुकूल कहूंगा।

मान्यवर, सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मुझे इसलिये आवश्यकता प्रतीत हुई कि एक बार सदन से यह पास हुआ और हाइकोर्ट में चैलेंज हुआ और अल्ट्रावायरस करार दिया गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें कानूनी कोई ऐसी बात न रह जाय कि यह हाईकोर्ट की कसौटी पर न तुल पाये। यह हमारी बौद्धिक शक्ति के लिये शोभा नहीं देता है क्योंकि हममें से बहुत से वकील हैं और हम कानून के हर अंग और हर पहलू को समझते हैं। तो हम किसी भी कानून को उसके हर अंग और पहलू को देख कर बनायें और फिर वह हर दूसरे तीसरे महीने हाईकोर्ट में या दीवानी अदालतों में कसौटी पर न निभ पाये और रोजाना अल्ट्रावायरस होता रहे और हम उसको वैलीडेट करते रहें, तो श्रीमन् यह डेमोक्रेसी में शोभा नहीं देता।

मान्यवर, जब हम कोई बिल बनायें तो जुडिशियरी की क्या राय हो सकती है इस को नहीं भूल जाना चाहिये। जो गलत बात होती है वह इसलिये कि हम लोग एक्जीक्यूटिव की तरफ ध्यान रखते हैं और जल्दबाजी में कदम उठा लेते हैं। अगर जुडीशियरी प्वाइंट से उसे देखा जाता है तो महान् त्रुटियां उस में रह जाती हैं। सेलेक्ट कमेटी में जाने से इन चीजों पर विधिवत् विचार किया जा सकता है। यह ठीक है कि अमेंडमेन्ट्स नहीं आये हैं लेकिन उसमें कठिनाई यह है कि हमें काफ़ी समय नहीं मिल पाया। श्रीमन्, कल मैंने ही यह आपत्ति की थी जिसको आपने अपहोल्ड किया था। आज जो विधेयक पेश है उसके उद्देश्य और कारण में कुछ है और मंत्री महोदय का भाषण कुछ है। हमारे वित्त मंत्री जी बुजुर्ग हैं। जब वे हंस कर यह कहते हैं कि इसमें रखा ही क्या है तो हम सिवाय उनकी बुजुर्गी के नाते यह कह दें कि किबला आप ठीक ही कहते हैं और क्या कहें? लेकिन वस्तु स्थिति इसके विपरीत है। आज एक ऐक्ट को जिसे हाईकोर्ट ने अल्ट्रा वायरस करार दिया है वैलिडेट करार देने के लिये यह विधेयक आया है। अगर उसका जजमेंट हमारे सामने होता तो हम इस सदन को यह बता सकते थे कि ये गलतियां आप दोहरा रहे हैं, इनको न कीजिये। बहुत से वक़ला साहबान यहां मौजूद होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वे मुझ से इसमें सहमत होंगे कि जब तक वे जजमेंट न देखें और यकायक उनसे कह दिया जाय कि इस को कर दो तो वे अपनी कोई राय नहीं दे सकते हैं। ऐडवोकेट-जनरल की भी नहीं बल्कि सिर्फ लीगल-रिमेम्ब्रेन्सर की राय के आधार पर ही हमें इसको पारित करने के लिये कहा जाता है। सेलेक्ट कमेटी में मैंने इसलिये भेजने का प्रस्ताव नहीं रखा कि वहां महज सदन का समय नष्ट हो बल्कि इसलिये रखा है कि यह गलती आइन्दा रिपीट न हो सके। जब ३१ लाख रुपये का मुनाफ़ा गवर्नमेंट को हो और कोई ऐसी बड़ी परेशानी उसके सामने न हो तो वह कौन सी विशेष परिस्थिति और कारण है जिसके आधार पर यह विधेयक सदन में लाया गया है? अगर यह परेशानी होती कि सरकार को ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में रुपया कम मिल रहा है तो बात समझ में आ सकती थी। रिट्रास्पैक्टिव एफ़ेक्ट का जहां तक सवाल है, वह केवल

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

शेड्यूल १, आर्टिकिल ११, से सम्बन्ध रखता है। जहां तक आर्टिकिल १२ का प्रश्न है उससे इसका कोई वास्ता नहीं है। जिस पीसमील रीति से यह हो रहा है मैं समझता हूं कि सरकार का मकसद इससे पूरा नहीं हो सकता।

इन जोरदार शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह सेलेक्ट कमेटी में जाय जहां पर इसका हर पहलू देखा जाय और तब निर्णय किया जाय।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

जहां तक इस छोटे से बिल में संशोधन का सवाल है, यह कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में न आ सके। माननीय अवधेश प्रताप जी ने अभी अपना संशोधन पेश करते हुये जो सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव रखा उसमें यह कहा कि जो बिल गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया गया है उसके उद्देश्य और कारण भ्रमात्मक हैं। अगर वह इस बात को देखते और माननीय मंत्री जी की स्पीच को गौर से सुनते तो उनको मालूम हो जाता कि इस में भ्रम पैदा करने की कोई बात नहीं है। एक तो इस बिल को लाने का यह कारण है कि हाईकोर्ट से जजमेंट हुआ और उसकी बिना पर यह जरूरी हो गया कि उस जजमेंट को निगाह में रखते हुये यह सदन उस ऐक्ट में अमेंडमेंट करे। यह बात, जो माननीय मंत्री जी ने बतलायी, साफ है। दूसरी बात उसके उद्देश्य और कारण में लिखी हुई है कि आर्टिकिल ११ और १२ में कुछ असंगतियां पायी गई हैं। उनकी वजह से इस बिल को लाने की जरूरत पड़ी। तो यदि वह अपनी स्पीच को आर्टिकिल ११, १२ तक ही सीमित रखते तो उचित बात थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत लम्बे दायरे में जाकर पूरे कोर्ट फीस बिल पर ही आलोचना करने की कोशिश की और उन्होंने उस सिलसिले में टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी का रिफरेंस दिया और उन्होंने यह कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो कि कोर्ट फीस की आमदनी को निगाह में रखकर कोर्ट फीस लागू करती है वह बेजा है। एक चार्ट जो उन्होंने पढ़ा, उसके जरिये उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में १७८ लाख रुपया कोर्ट फीस से आमदनी होती है और १४७ लाख रुपया ऐडमिनिस्ट्रेशन फार जस्टिस पर खर्च होता है। इस पर उन्होंने बहुत बल दिया कि यह ३१ लाख रुपया की आमदनी आलोचना का विषय है। उसी चार्ट पर अगर वह निगाह डालते तो उनको समझ में आता कि केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन् हिन्दुस्तान की बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं, जैसे बिहार, मद्रास, वेस्ट बंगाल, वगैरह वगैरह, जिनकी फीगर्स देखने से मालूम होगा कि इसी तरह से कोर्ट फीस का सिस्टम वहां है और वहां भी कुछ न कुछ आमदनी इससे होती है। कोर्ट फीस का ऐसा एक्जेक्ट सिस्टम नहीं हो सकता कि जितना खर्चा हो उतना ही या उसके बराबर ही उस से आमदनी हो या कुछ ऐसा हो कि जो आमदनी हो वह खर्च से जयादा न हो। मैं समझता हूं कि इतने बड़े स्टेट में जो ३१ लाख की बचत है वह कोई ऐसी बड़ी भारी बात नहीं है कि जो बहुत आलोचना का विषय हो। टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी ने जिस मकसद से यह कमेंट किया था वह यह था कि जस्टिस का खर्च कम किया जाय ताकि लोगों को न्याय सस्ता मिले। इस दृष्टि से उन्होंने यह रिकमेंडेशन की थी। मैं नहीं समझता कि ३१ लाख रूपये की बचत पर ऐसा कमेंट हो सकता है जो कि उन्होंने किया। क्योंकि जहां तक यह जस्टिस के खर्चे की कमी की बात है, वह स्वयं इस बात को जानते हैं कि अभी अपने यहां जो जस्टिस का सिस्टम है, वह इस तरीके का है और उसमें और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको स्वयं टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन ने माना है जिनकी वजह से कोर्ट फीस को कम करके जस्टिस को मन्दा नहीं किया जा सकता। वह जानते हैं कि इसमें वकीलों की फीस भी है। अगर मुद्दई का मुकदमा चले या जिसको इस बात का साइड लेना हो कि उनको जस्टिस मन्दा मिले तो फिर उनको इस बात का भी ख्याल करना होगा कि वकील वगैरह की फीस भी कम हो। केवल एक पहलू से कोर्ट फीस को कम कर देने से यह बात नहीं हो सकती कि उनको जस्टिस मन्दा मिल जाय। उनको फिर वकीलों की फीस को भी कम करना ही चाहिये। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से वह कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें इतना बड़ा कमेंट रखा जाय।

जहां तक सेलेक्ट कमेटी की मांग करने की बात है वह कोई इस बात का तर्क नहीं दे पाये जिस से यह जाहिर हो कि वाक़ई में सेलेक्ट कमेटी में भेजने से कोई ऐसी बात उसमें उत्पन्न हो जायगी या नये तरीके की कोई बात इस बिल के अन्दर आ जायेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से केवल संशोधन दो आर्टिकिल्स का है और उन्होंने यह प्रयास किया है कि यह कठिनाई दूर हो जाय। उन्होंने यह भी कहा कि यह तो केवल लीगल रिमेम्बरेंसर की राय से बिल लाया गया है और इस बिल के सेलेक्ट कमेटी में जाने से और लोगों की राय इस को मिल जायगी। मैं नहीं समझता कि कोई वहां नयी बात होगी। इस सदन में जब इसके पहले एक बिल आया था तो उस पर मैंने सुना था और अक्सर इस सदन में इस बात को विरोधी पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि यह बिल यहां पर पेश नहीं होना चाहिये और लीगल ऐडवाइजर को यहां पर बुलाया जाय और उससे राय ली जाय और उसके बाद इस बिल को सरकार लाये। मैं समझता हूं कि एक तरफ तो लीगल ऐडवाइजर की राय की कीमत की जाती है और दूसरी तरफ इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात कह कर उसी तर्क की अवहेलना करते हैं। अगर कोई ऐसी बात रह गयी हो जो परेशानी की बात हो तो उसके आधार पर राय ली जा सकती है, लेकिन सेलेक्ट कमेटी में जाने से सिवाय समय की बरबादी करने के और कोई फायदा होने वाला नहीं है।

जहां तक ११, १२ आर्टिकिल के संशोधन का सवाल है, अगर माननीय सदस्य जो नया ड्राफ्ट बिल का है देखें, उसमें जो रेट वैल्युएशन का दिया हुआ है और जो पुराना ऐक्ट है उनको एक साथ रखकर पढ़ें, तो उससे साफ जाहिर हो जाता है कि कुछ थोड़ी सी सहूलियत पैदा करने के लिये वैल्युएशन के आधार पर उसमें अमेंडमेंट किया गया है। मुझे तो उसके पढ़ने से ऐसा लगता है कि भले ही ज्यादा न हो लेकिन कुछ राहत जरूर ही मिलती है और इस चीज के कम होने से वैल्युएशन का स्कोप बढ़ गया है। तो ऐसी हालत में एक पवित्र भावना के साथ और थोड़ी सी अड़चन को मिटाने के लिये अगर यह बिल पेश किया गया है तो उसमें यहां पर कोई ज्यादा समझ सोच करने की बात नहीं है।

अगर इसमें कोई उसूलन किसी बड़े परिवर्तन की बात होती या अगर कोई मौका आया या टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी के सुझावों पर विचार होता तब तो यह मांग उचित जान पड़ सकती थी लेकिन इस समय पर, इस छोटी सी बात पर सेलेक्ट कमेटी की मांग एक ज्यादा मांग मालूम होती है।

कोर्टफीस के लिये यूनिफार्मिटी की बात भी कही गयी और यह भी कहा गया कि टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी ने यूनिफार्मिटी के लिये रिकमेंड किया है लेकिन उसी जगह उन्हें यह भी पढ़ना चाहिये था कि टैक्सेज इनक्वायरी कमेटी ने स्वयं ही इस बात को मान लिया था कि यूनिफार्मिटी हो जाय तो अच्छा है लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि यह पासिबिल नहीं है। मुकामी हालात को और रेलेवेन्ट कंडीशन्स के डिफरेन्स को देखते हुये यूनिफार्मिटी पासिबिल नहीं है। इसलिये जब उसका कोई जिक्र ही यहां नहीं है तो उस विषय का यहां पर जिक्र करना और आर्टिकिल ११,१२ का हवाला उसके साथ देना असंगत-सी बात है।

मैं समझता हूं और मेरी प्रार्थना यह है कि जिस प्रकार से माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने बिजली बिल पर अपने दृष्टिकोण को रखा था और हृदय से महसूस करने के बाद कोई संशोधन पेश नहीं किया था और जल्दी से उस बिल को पास हो जाने दिया, उसी प्रकार से इसमें भी कोई ज्यादा वैसी बात नहीं है जिसमें वह सोचें समझें या अड़े रहने की कोशिश करें कि यह सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। मैं आशा करता हूं कि वे इस को जल्दी पास करा कर कानून की शक्ल देने में मदद करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बिल का समर्थन करता हूं और बड़े नम्र शब्दों में माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी द्वारा पेश किये गये गैरजरूरी और असामयिक संशोधन का, कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय, विरोध करता हूं।

*श्री सैयद जरगाम हैदर (जिला बहराइच)---श्रीमान्, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है और जो गवर्नमेंट की यह ख्वाहिश है, मुझे उससे इत्तिफाक नहीं हो सकता। मुझे अफसोस इस बात का है कि इसके एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद भी यह पता नहीं लगता है कि इस कानून को पेश करने की क्या जरूरत है। आज पहली बार हमें यह मालूम हुआ, एम्स एण्ड आब्जेक्ट में इस दुश्वारी को बयान किया गया, कि इस कानून के कुछ प्रावीजन्स को अल्ट्रावायरस करार दे दिया गया है। जाहिर है, किसी ऐवान के सामने जिस पर कानून बनाने की जिम्मेदारी हो, उस से यह कहना हरगिज मुनासिब नहीं होगा कि वह अंधेरे में काम करे। इसी बिना पर असेम्बली रूल्स के प्रोसीजर में यह लिखा हुआ है कि वह काग़जात जिनकी बिना पर कोई कानून बनाया जा रहा है, अगर उनकी जरूरत हो तो पेश कराये जा सकते हैं। इसलिये मेरा हक़ है कि हाईकोर्ट का वह फैसला जिसकी बिना पर यह कानून पेश किया जा रहा है, उसको पेश कराऊं, लेकिन महज इस खयाल से कि इसमें तवालत होगी और मैं यह भी जानता हूं कि मंत्री जी उस हाईकोर्ट की रूलिंग को इस वक्त पेश नहीं कर सकते हैं, इस बात पर जोर नहीं देता, लेकिन श्रीमन्, मैं यह अपील जरूर करूंगा कि जो ऐसे काग़जात हों और जो आसानी से दस्तयाब हो सकते हों, बिलखुसूस जब कोई हाईकोर्ट का फैसला हो और उसकी बिना पर कोई कानून असेम्बली में पेश किया जाय, तो उन काग़जात को हाउस की टेबिल पर रक्खा जाय, न कि सिर्फ यह लिख दिया जाय कि हाईकोर्ट के फैसले की बिना पर इस कानून का लाया जाना जरूरी हुआ। उसी के साथ-साथ रिपोर्टेड केसेज के फैसले जो हाईकोर्ट ने किये हैं वे भी हमारे सामने होते तो हम यकीन कर सकते कि जो एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स कानून के हैं, जिनकी बिना पर आप इस बिल को पेश कर रहे हैं, वह सही हैं या नहीं हैं। सिर्फ उनका हवाला दे देने से ही हमारी दुश्वारियां दूर नहीं होतीं। अगर उनके पूरे डिटेल्स हमको मालूम हो जाते तो हम अपनी लाइब्रेरी में या किसी लाईयर की लाइब्रेरी में जाकर उस कानून को पढ़कर अपनी राय कायम कर सकते कि आया जो कानून आप पेश कर रहे हैं वह सही है या नहीं है। इस वक्त सिर्फ यह कह देने से कि हाईकोर्ट के फैसले की बिना पर हम इसको पेश कर रहे हैं, काम नहीं चलने का, क्योंकि इस वक्त जो कानून आप पेश कर रहे हैं, जब तक हमको कोई नजीर या फैसले नहीं दिखलायी पड़ते तब तक हम किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि यह कानून भी हमारे कांस्टीट्यूशन की मुताबिकत में है या मुताबिकत में नहीं है।

फिर आप इसको ५ वर्ष पहले से रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट दे रहे हैं। अगर मुझको इजाजत दी जाय तो मैं श्रीमान् के द्वारा इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस आसानी के साथ आप इस कानून को रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट देना चाहते हैं, वह भी किन्हीं खास हालात में ही किया जाना चाहिये। महज लिख देने से कि इसका निफाज आज से नहीं बल्कि ५ वर्ष पहले से यानी सन् १९५२ से हम कर रहे हैं, आप किसी तरह से इस से सुबुक दोष नहीं हो सकते। इस हालत में जब कि इस ऐक्ट के अल्ट्रावायरस हो जाने की वजह से आप इसे सन् ५२ से एफेक्ट देना चाहते हैं, तो लेटर आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन, सक्सेशन सार्टिफिकेट, प्रोबेट आफ बिल के डाकूमेंट्स हासिल करें और उन लोगों के जिनके राइट्स उसमें वेस्ट हो गये हैं, उनको आप फिर से ले सकते हैं, या नहीं, यह साफ बात है कि इस को भी किसी तरह से नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है।

मैं साफ अल्फाज में कहना चाहता हूं कि इस ऐवान के सामने कई अमेंडमेण्ट बिल्स पहले भी आ चुके हैं, कई कानून अल्ट्रावायरस हुए जिनकी बिना पर कानून के मुताबिक करने के लिये उनको यहां अमेंडमेंट बिल की शक्ल में लाना पड़ा और पड़ता है। लेकिन हाईकोर्ट का क्या फैसला हुआ, उसको बिल के एम्स ऐंड आबजेक्ट्स में लाना जरूरी होता है। मैं आपको बतलाऊं कि पंचायतराज ऐक्ट के सिलसिले में भी यही सवाल पैदा हुआ था। प्रधानों के चुनावों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिलसिले में जुडिशियल आफिसर का कोई फैसला हुआ, उसके बाद हाईकोर्ट में जब वह केस गया तो हाईकोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि जुडिशियल आफिसर को किसी तरह से यह अख्तियार नहीं है कि वह इस तरह का फैसला करे। इसी तरह से सेल्स टैक्स के सिलसिले में भी हाईकोर्ट का फैसला हुआ। इंडियन एविडेंस ऐक्ट का सेक्शन २७ भी मौजूद है। गरजे कि हमारे कहने का मतलब यह है कि कांस्टीट्यूशन के एनफोर्स हो जाने के बाद हर कानून के मुताल्लिक यह बात साफ होनी चाहिये कि वह आया कांस्टीट्यूशन के मुताबिक है या नहीं है। इसलिये मैं, श्रीमान् के द्वारा, माननीय मंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि बजाय इसके कि जो कानून हाईकोर्ट द्वारा अल्ट्रावायरस हो जाने की वजह से पेश हुआ है उसी के लिये नहीं बल्कि इस ऐक्ट द्वारा बने हुये जितने कानून हैं उन सब पर गौर करने के लिये गवर्नमेंट फौरन एक कमेटी मुकर्रर करे जो इस बात को देखे कि आया हमारे जितने कानून हैं वे कांस्टीट्यूशन के मुताबिक हैं भी या नहीं हैं। उस कमेटी की रिपोर्ट की बिना पर जहां-जहां हम समझें कि हमारे कानून में तरमीम की जरूरत है, या हाईकोर्ट ने उसे अल्ट्रावायरस करार दिया हो, उसके लिये अमेंडमेंट बिल फौरन पेश कर देना चाहिये। यह सही है कि उस कमेटी के एप्वाइंटमेंट के बाद भी इस बात का इमकान रहेगा कि जो हमारे बनाये हुये कानून हैं या जो इसके पहले बन चुके हैं, उनमें कुछ खामियां रह जायं लेकिन आये दिन दिमाग में हमेशा नयी-नयी बातें आती रहती हैं, आये दिन नयी-नयी बातें हाईकोर्ट के सामने पेश होती रहती हैं, इसलिये हम एक बार इस काम को करके ही अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोष नहीं हो जायंगे, जब तक कि हम कोई ऐसा प्राविजन न कर लें कि अपने सभी कानूनों को आईन के मुताबिक कर लें। इतना तो मुझे इस सिलसिले में अर्ज करना था।

इसके बाद मुझे एम्स एण्ड आवजेक्ट्स के बारे में भी कुछ कहना है। यह सही है कि इसमें कोई बड़ी नुमायां तब्दीलियां नही हैं। जहां तक प्रोबेट आफ बिल, लेटर आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन या सक्सेशन सार्टिफिकेट का ताल्लुक है, उनके लेने में जो कुछ भी कोर्टफीस किसी शख्स को देना होगी, वह वही है जो पहले थी लेकिन सक्सेशन ऐक्ट में जो पहले ड्यूटी लगाई गई थी उसका उसूल यह था कि अगर किसी मरने वाले आदमी की जायदाद किसी को मिलती है तो सरकार को भी उसका कुछ न कुछ हिस्सा मिलना चाहिये और यह चीज सक्शेसन ऐक्ट के मातहत आ जाती है लेकिन डेथ ड्यूटी की वजह से अब एक नुमायां तब्दीली और पैदा होती है कि जिस की जायदाद ५०हजार से ज्यादा कीमत की है, ख्वाह वह हार्ड कैश हो या प्रापर्टी हो, उसे डेथ ड्यूटी देना पड़ती है। तो इसका भी आब्जेक्ट यही है कि मरे हुये इन्सान की जायदाद का कुछ हिस्सा स्टेट को मिलना चाहिये और वह मकसद उस कानून से पूरा हो जाता है। जो आप चाहते हैं उससे पता चलता है कि सिर्फ क्लाजेज (ए), (बी) तक तो डेथ ड्यूटी से आप एग्जेम्प्ट करते हैं और बाकी जिन लोगों से आप कोर्ट फीस लेंगे वह वही आदमी होंगे जिनसे आप डेथ ड्यूटी भी लेंगे। जो आपका आब्जेक्ट था, वह तो सिर्फ डेथ ड्यूटी लेकर ही पूरा हो जाता है। इसलिये बेहतर होगा कि इस मसले पर जो यह आप का एक चैप्टर है, वह बिलकुल डिलीट हो जाय।

इस के बाद तीसरी बात यह है कि जो चैरिटेबिल ट्रस्ट हैं या जिनका आब्जेक्ट है ...

श्री अधिष्ठाता—आप ज्यादा डिटेल में न जायं। आप केवल इस पर बोलें कि यह सेलेक्ट कमेटी में क्यों भेजा जाय।

श्री सैयद जरगाम हैदर—मैं यह बता रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन के बारे में इस विधेयक में कोई रोशनी नहीं है, जिस के बारे में यह बिल बिलकुल खामोश है। मैं वह असबाब बता रहा हूं कि जिनकी बिना पर यह सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये।

मैं यह कह रहा था कि जो चैरिटेबिल ट्रस्ट हैं या कोई इसके लिये बिल करता है तो उस पर कोर्टफीस न लगना चाहिये। हमें देखना होगा कि डेथ ड्यूटी के एन्फोर्समेंट के बाद आया प्रोबेट आफ बिल पर, लेटर आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन पर या सक्सेशन सार्टिफिकेट पर कोर्ट फीस ली जाय या नहीं। एक बार जो कानून हाईकोर्ट के जरिये से अल्ट्रावायरस हो चुका है, आया

[श्री सैयद जरगाम हैदर]

अब भी ऐसा है या नहीं कि आगे अगर वह फिर हाईकोर्ट जाय तो वहां जायज हो। यह मसला ऐसा है कि जो ऐवान के सामने इस वक्त ठीक से डिस्कस नहीं हो सकता, इस वक्त कांस्टीट्यूशन की पूरी दफात हमारे सामने नहीं हैं, सेलेक्ट कमेटी में हम अपने तमाम एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं, उनके जरिये से ...

श्री अवधेशप्रताप सिंह--प्वाइंट आफ आर्डर सर, मैं श्रीमन्, आपका ध्यान नियमावली के रूल ९६ की ओर आकर्षित करूंगा। वह यह है कि "जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय, स्वीकृत हो जाय तो कोई भी सदस्य यह मांग कर सकता है कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जायें, और इन पत्रों की मांग उस दशा में नहीं की जायगी जब विधेयक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को भेजे गये हों।"

श्रीमन्, इस बिल के सम्बन्ध में, जिस आधार पर यह लाया गया है वह हाईकोर्ट का जजमेंट है और वह कोई गोपनीय चीज नहीं है। दूसरे इससे पहले कि आप कोई रूलिंग दें आप हमारी कठिनाई पर भी विचार कर लें। आप हाउस के हर माननीय सदस्य की ओर से यह मांग देख रहे हैं और उनको यह कठिनाई हो रही है कि जब तक यह जजमेंट न हो कोई वाद-विवाद सही रूप से नहीं किया जा सकता। ऐसी हालत में मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं कि इस विधेयक पर वादविवाद बन्द किया जाय। वह जरूरी कागजात मेज पर रख दिये जायं तब यह पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--इस विषय पर माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने, मुझे याद है, इस सदन में जब एक दूसरा बिल पेश हुआ था तो इसी प्रकार का तर्क दिया था। हाईकोर्ट का जजमेंट पब्लिक डाकूमेंट है। ला जरनल में पब्लिश होता है और दूसरे जरनल्स में पब्लिश होता है। उसके लिये आप इसरार नहीं कर सकते .....

श्री अवधेशप्रताप सिंह--अगर आप रूलिंग दे देंगे तो कह न पाऊंगा, इसलिये एक मिनट में सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--मैं आपका ध्यान दिलाऊं, जो पब्लिक डाकूमेंट है और आप को आसानी से मिल सकता है, उसके लिये आप इसरार नहीं कर सकते कि माननीय मंत्री जी उस डाकूमेंट को पेश करें। आप जाकर लाइब्रेरी में देख सकते हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--एक मिनट में गुजारिश कर दूं, तब आप रूलिंग दे दें।

श्री अधिष्ठाता--मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

श्री सैयद जरगाम हैदर--श्रीमन्, मैंने पहले ही इस सिलसिले में कह दिया था कि मैं आपके सामने इस बात का मतालबा नहीं करूंगा। मगर मेरा मकसद इसी रूल से था। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर हाईकोर्ट का रेफरेंस किया जाय तो कम से कम उस केस का नम्बर और किस जरनल में है, यह एम्स एन्ड आब्जेक्ट्स में शाया कर दिया जाय। यह कहा जा रहा है कि पब्लिक डाकूमेंट है। लेकिन हमें इत्तला तो मिले कि कहां पर वह मिलेगा। अनफारचुनटली, ला जरनल्स हमारी लाइब्रेरी में आते भी नहीं हैं। इसलिये हमें लखनऊ के किसी वकील के दफ्तर में ही देखना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता--हैदर साहब, आप तो वकील हैं। आपके यहां इलाहाबाद ला जरनल तो आता ही होगा ?

श्री सैयद जरगाम हैदर--दुश्वारी तो यह है कि मेरा मकान बहराइच में है और कानून लखनऊ में पेश होता है।

बिल के एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स में यह भी नहीं लिखा है कि यह ऐक्ट अल्ट्रावायरस हो गया है या इस नम्बर का केस फलां जरनल में, ए० आई० आर० जरनल में ५२६ पेज पर लिखा हुआ है। तो हमारी दुश्वारी रफा हो जाय।

दूसरी बात यह है कि चैरिटेबिल बाडीज में सक्सेशन ऐक्ट ऐप्लाई नहीं करेगा। एक आदमी ने बिल के जरिये वक्फ क्रियेट कर दिया। मोहम्डन ला वक्फ और ट्रस्ट को रिकगनाइज करता है। इंडियन ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, इंडियन ट्रस्ट ऐक्ट रिकनाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि महाराजा बलरामपुर ने एक ट्रस्ट क्रियेट कर दिया। लेकिन इस वक्त का जो कोर्टफीस ऐक्ट है, स्टैम्प ऐक्ट है, उसमें लाखों रुपये नहीं, करोड़ों रुपये के वैलुएशन का सवाल है। उन्होंने ट्रस्ट क्रियेट कर दिया है। उनके मरने के बाद टैक्सेशन का सवाल होगा, प्रोबेट पर कोर्टफीस का सवाल होगा। लाखों रुपया जो चैरिटेबिल बाडी के लिये जाता है वह गवर्नमेण्ट के खजाने में चला जायगा। इसलिये मेरी गुजारिश यह है, जिसकी वजह से मैं ताईद करता हूं कि प्रवर समिति में जाय कि इन सब चीजों के लिहाज से बहुत जरूरी हो गया है कि हम संजीदगी के साथ गौर करें कि डेथ ड्यूटी के इन-फोर्समेण्ट के बाद प्रोबेट पर कोर्ट फीस लेना मुनासिब भी है या नहीं। ट्रस्ट के मामले पर हमें गौर करना चाहिये। माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से मालूम है कि जब से डेथ ड्यूटी का इनफोर्समेंट हुआ है तब से बहुत से लोग, जब उनको पता चला कि उनके मरने के बाद डेथ ड्यूटी लगेगी तो उन्होंने सोच लिया कि हम बिल के जरिये ट्रस्ट कर दें। तो अगर गवर्नमेण्ट भी ऐसा कोई स्टेप ले लेती है जो इनडाइरेक्टली असिस्ट करती है तो हमारे ख्याल में यह एक ऐसी गवर्नमेण्ट के लिये जो सोशलिस्टिक पैटर्न का दावा करती है जो पब्लिक के फायदे के काम करने की मुद्दई है, जो हमेशा प्रेस, प्लेटफार्म और ऐवान में यह कहती है कि हम पब्लिक के डेवलपमेण्ट के लिये, एजूकेशनल डेवलपमेण्ट के लिये, सब चीजों के लिये रुपया सर्फ करते हैं, तो यह उस गवर्नमेन्ट के लिये बहुत मुनासिब और जायज होगा। लिहाजा इन सब बातों की बिना पर मैं अपने माननीय सदस्य की जिन्होंने इस बात का प्रस्ताव किया है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर दिया जाय, ताईद करता हूं और खास तौर पर ऐट दि रिस्क आफ रिपीटीशन कहूंगा कि डेथ ड्यूटी के इनफोर्समेन्ट के बाद मुझे यकीन है कि यह ऐस्पेक्ट गवर्नमेण्ट ने नजरन्दाज कर रखा है। ट्रस्ट का मसला उनके जहन में आया ही नहीं है। जिस तरीके से, मुझे इजाजत दें तो मैं कहूं, माननीय मंत्री जी ने हाईकोर्ट की रूलिंग का हवाला दिया है मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि उन्होंने इस बिल को पेश करने से पहले उस हाई कोर्ट की नजीर को पढ़ने की फिक्र नहीं की है वरना उसके इम्प्लीकेशन्स को ऐवायड करते हुये जितनी स्पीच दी है वह नहीं हो सकती थी। इसलिये मैं सेलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव की ताईद करता हूं।

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, जो मोशन इस वक्त सदन के सामने इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बाबत है, मैं उसका विरोध करता हूं। जो तकरीरें सेलेक्ट कमेटी को भेजने की ताईद में हुईं उनसे खुद यह नतीजा निकलता है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजना चाहिये। जिन साहबों ने तकरीरें की हैं उनका इरशाद यह है कि इस बिल के प्रिंसिपल्स जो हैं उनको वह नहीं मानते और दूसरे यह कि उसके स्कोप में भी वह एक चौड़ाई और ब्राडनेस पैदा करना चाहते हैं। यह मुस्तकिल उसूल है कि कोई बिल कभी सेलेक्ट कमेटी को नहीं जा सकता है जब तक कि किसी हाउस ने, जो उसको वहां भेजना चाहता है, उसके अण्डर लाइंग प्रिन्सिपल्स जो हैं उनको तस्लीम न कर लिया हो। जब यह हाउस मानता हो कि यह बिल अपनी जगह पर ठीक है, इस बिल को जिस बिना पर लाया गया है वह ठीक है, जो उसूल इसके अन्दर नहीं हैं वे भी हम मानते हैं, तब वह किसी गरज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

से उस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास इसलिये भेजता हूं कि उसकी जो मुस्तकिल दफात हैं, उनमें जो कुछ मुनासिब तब्दीली हो वह कर दी जाय। किसी सेलेक्ट कमेटी को यह अख्तियार नहीं है कि जो बिल हाउस ने भेजा है उसके अन्दर कोई और तरमीम ऐसी कर दे जिससे उसका स्कोप बढ़ जाता हो। मसलन मैंने अभी एक बात सुनी यहां तकरीर में कि चैरिटेबिल इंस्टीट्यूशन्स या चैरिटेबिल परपजेज के लिये जब कभी प्रोबेट की जरूरत हो तो उसके अन्दर कोर्ट फीस ली जाय या नहीं। यह इस बिल के अन्दर कहीं नहीं है। जब यह बिल किसी सेलेक्ट कमेटी में जायगा, उसको यह हक नहीं होगा कि वह उसके अन्दर इस किस्म की तरमीम करके किसी और चीज को इसके अन्दर शामिल कर दे। तो मैं नहीं समझा कि सेलेक्ट कमेटी में इस बिल को उन साहबान की तकरीर के लिहाज से क्यों भेजा जाय। जो साहब इसकी मुआफिकत में तकरीर करते हैं, जिन्होंने यह अमेंडमेंट पेश किया है उन्होंने खुद जितनी तकरीर की है उसका खुलासा ही इससे बिलकुल दूसरा है। जब आप कोर्ट फीस को ही गलत मानते हैं तो किसी बिल को जिसका ताल्लुक कोर्ट फीस से हो, उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने का क्या सवाल है ?

रही यह बात कि यह बिल है और मैं समझता हूं कि इसको भी समझने की शायद पूरी कोशिश नहीं हुई। हाई कोर्ट का जजमेंट अखबारों में भी छपता है, जरनल्स में भी छपता है, एक पब्लिक डाक्यूमेंट है। जिस वक्त डेलीवर होता है तो पब्लिकली डेलीवर होता है और जैसा कि अभी कहा गया, उसके मुताल्लिक किसी कागजात के गवर्नमेण्ट से तलब करके पेश करने की कतअन जरूरत नहीं है। फैसला क्या है वह मैं समझता हूं। इस स्पीच में बतलाया गया है कि प्रोबेट के लिये जो कोर्ट फीस इस ऐक्ट में है, जो सन् ५२ में १८७० का ऐक्ट है यह, इसमें सन् ५२ में यहां तरमीम हुई, यहां से मतलब मेरा इस वक्त इस सदन से नहीं बल्कि उस वक्त जो गवर्नमेण्ट थी और उस वक्त जो हाउस था उसने उसमें तरमीम किया। उस तरमीम में आर्टिकल ११ और १२ जो है, आर्टिकल ११ का ताल्लुक है प्रोबेट से और आर्टिकिल १२ का ताल्लुक है सक्सेशन सार्टिफिकेट से। सक्सेशन सार्टिफिकेट तो हिन्दू और मुसलमान हासिल करते हैं जिनके यहां सक्सेशन के जरिये से जायदाद एक के मरने के बाद दूसरे को पहुंचती है और कर्जे वगैरह वसूल करने की जरूरत होती है तो वह कर्जा कोई वारिस वसूल नहीं कर सकता जब तक कि वह सक्सेशन सार्टिफिकेट हासिल न करे। तो आर्टिकल १२ उससे ताल्लुक रखता है और आर्टिकल ११ जो है यह गालिबन ईसाइयों में ज्यादातर होता है जिनके लिये प्रोबेट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, वह वहां से लिया जाता है जिसके लिये कोर्टफीस उसमें लगायी जाती है। लेकिन बाद का जो ऐक्ट है सन् ५२ का, उसके अन्दर जो लिखा हुआ है, जो क्लाज उसका है। मसलन सौ रुपये से लेकर या एक हजार रुपये से लेकर १० हजार तक, १ हजार तक शायद मुस्तसना है, एक हजार से दस हजार तक इतना, दस हजार से २५ हजार तक इतना, २५ हजार से ५० हजार रुपये तक इतना, और ५० हजार से लेकर के १ लाख तक इतना और एक लाख से फिर २ लाख तक इतना और ३ लाख तक इतना, इस तरह से यह क्लाज है जिसमें कि वह कोर्टफीस लिखी हुई है कि इतना देना होगा। उसमें एक जो है नम्बर तीन या चार उसको कोई पढ़े तो मालूम होगा, उसमें लिखा है कि १ लाख रुपये से ज्यादा इतने तक इतनी फीस। अब एक केस के मातहत एक चीज उसमें हाई कोर्ट में यह पैदा हो गई और हाईकोर्ट ने रूलिंग यह दे दी कि इसके पढ़ने से तो यह मालूम होता कि है कि १ लाख रुपये तक तो कोर्ट फीस लगेगी नहीं और १ लाख रुपये से ऊपर जब होगा और जितनी रकम होगी उसके ऊपर लगेगी। यह एक रूलिंग हाईकोर्ट ने दी।

अब जहां तक हाईकोर्ट की रूलिंग का ताल्लुक है उसकी निस्बत हमको यह मालूम है कि यह हमारे बनाये हुये कानून जो हैं यह अल्ट्रा वायरस कैसे हो जाते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह हाईकोर्ट जो फैसले करती है यह सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कैसे मुश्तरद होते हैं ? एक डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला हाईकोर्ट में आकर के कैसे मुश्तरद

होता है और हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाकर कैसे मुसतरद होता है यह कोई वकालत करता हो और किसी ने कानून पढ़ा हो तो मैं जानता हूं कि वह अच्छे तरीके से इस बात को समझ सकता है और समझता है कि करेक्टेस्ट पासिबिल ओपीनियन जो एक शख्स कायम करता है उसके खिलाफ भी राय कायम हो सकती है और दूसरी राय उसके मुआफिक हो सकती है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील कर रखी है लेकिन मुद्दतें उसमें लगती हैं और कोर्ट फीस का मामला है। कोर्ट फीस के न वसूल होने से, अब जिस दिन से यह फैसला हुआ उस दिन से जितनी प्रोबेट की दरख्वास्तें हैं वह सब की सब बगैर कोर्ट फीस के गुजर रही हैं और आज भी गुजरेंगी जब तक कि मुकदमा तय न हो। इसलिये जो इन्कम का नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिये हमने यह मुनासिब समझा कि यह तो हमको हर वक्त हक है कि हम अपने कानून को तरमीम कर लें। लिहाजा जिस शुबहा की बिना पर यह हाईकोर्ट ने फैसला दिया हम उस शुबहे को दूर करने जा रहे हैं और इस दोनों को मुकाबला करके कोई पढ़ेगा तो उसे मालूम होगा कि अब इसको ऊपर से लेकर नीचे तक इंटरडिपेंडेंट कर दिया है ताकि अब यह बात न पैदा हो कि लाख से ऊपर जब होगा तब जाकर के कोर्ट फीस देनी होगी। बस इतना सा और इस मकसद को हासिल करने के लिये जो मैंने मेम्बरान की खिदमत में आपके जरिये से अर्ज किया, यह बिल है तो मैं समझता नहीं कि इसको, किस काम के वास्ते, क्या चीजें इधर-उधर की हासिल करने के लिये, प्रवर समिति में या सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय? सेलेक्ट कमेटी इसमें सिवाय इसके जितना काम हमने रखा है और कुछ उसके अन्दर बढ़ा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। मैं तो यह समझता हूं कि मेरे दोस्त ने जो प्रवर समिति का मोशन दिया है उसकी बात उनके दिमाग में भी पहले नहीं थी। एजेंडे पर जैसा लिखा हुआ है उससे मैं यही समझा कि मेरे दोस्त के दिमाग में कभी प्रवर समिति का आइडिया भी नहीं था।

श्री अधिष्ठाता---उन्होंने बाद में संशोधन किया।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उसके बाद किसी तरीके से यह आइडिया आया। पहले तो वे इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजना चाहते थे। मैंने सोचा कि १८७० से यह कानून बना है तब से लेकर आज तक पब्लिक ओपीनियन क्या बनी है वह तो सभी को मालूम है। जब उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया तो बाद में यह कर दिया कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय। उनकी समझ में यह बात आई कि इसको पब्लिक ओपीनियिन के लिये भेजने की जरूरत नहीं है। प्रवर समिति का उनका अमेंडमेंट मंजूर हो गया। ये दोनों अमेंडमेंट्स इस प्रकार से इनकांसिस्टेंट हो गये। मेरे नजदीक तो वे इनकांसिस्टेंट अमेंडमेंट्स मंजूर नहीं होने चाहिये, लेकिन क्वेश्चन करने का हक मैं रखता नहीं और मुझे उस पर कोई एतराज भी नहीं है जब कि चेयर ने उसे मंजूर कर लिया हो। यह बिलकुल सही है कि मेरी राय गलत और चेयर की राय सही। लेकिन मेरे नजदीक ऐसा करना बिलकुल गलत है। मैं अपने भाई अवधेश प्रताप सिंह को ऐसा समझता हूं कि अगर कोई माकूल से माकूल बात होती है तो वे मानने में कभी इंकार नहीं करते हैं। इसलिये वे अपने अमेंडमेंट को वापस ले लेंगे और इस किस्से को खत्म करेंगे।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज प्रातः काल जब मैंने आज के एजेंडे को देखा और इस संकल्प को जो माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने प्रस्तुत किया है उसको पढ़ा, तो मेरे विस्मय की सीमा न रही। मैंने दोबारा इस संशोधन को पढ़ा और मैं इस नतीजे पर आया कि या तो मैं उस संकल्प को समझ ही नहीं सका या कदाचित् माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने इसमें प्रप्रोशंस को भूलने की बात की। जनमत लेने का मौका तो किसी ऐसे सैद्धांतिक विषय पर होता है जिसमें वाकई सारी जनता

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

के बड़े मौलिक हितों का सम्बन्ध हो। मैं समझता था कि कोई भी विचारशील व्यक्ति अवश्य दोबारा इस बिल को पढ़ने के बाद अपनी राय बदल देगा और मुझे खुशी हुई इस सदन में आने के बाद, जब मैंने उनके संशोधन को सुना। मैं उससे समझा कि माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी को स्वयं वही अनुभव हुआ जो कदाचित् मुझे हुआ था। लेकिन श्रीमन्, मेरा यह अनुभव जरूर है कि कदाचित् पुनर्विचार करने पर और इतना विचार-विनिमय जो इस सदन में हो चुका, उसके सुनने के बाद वह इस निश्चय पर आ चुके होंगे कि उस संशोधन की भी आवश्यकता नहीं थी, जो उन्होंने प्रस्तुत किया। यह संकल्प प्रवर समिति क्यों जाय? क्या आवश्यकताएं हैं? इस पर तो हम उनके भाषण में कुछ अधिक प्रकाश पा नहीं सके, लेकिन उन्होंने कुछ सिद्धांतों की बात कही, कुछ दूसरे बिलों की चर्चा की। वह सिद्धांत अपनी जगह सही हो सकते हैं, इसके अन्तर्गत कहां तक युक्तिसंगत थे, मैं नहीं जानता।

श्रीमन्, जहां तक इस बात का ताल्लुक है, जैसा कि माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने बताया, कि सन् १९५४–५५ में यू० पी० में, हमारे प्रदेश में कोर्टफीस से १,७८,००,००० रुपये की आय थी और १,३७,००,००० रुपये का खर्चा था, अगर हम इन्हीं आंकड़ों की तुलना दूसरे सूबों के आंकड़ों से करें तो हम इस नतीजे पर आयेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में यह अनुपात दूसरे सूबों के मुकाबिले में किसी तरह से अधिक नहीं है। क्योंकि श्रीमन्, अगर हम मद्रास को देखें तो हम देखेंगे कि वहां १,३५,००,००० की आय होती है, रिसीट्स होती हैं और १,२८,००,००० का खर्चा होता है। अपने पड़ोसी सूबे बिहार को देखें तो १,०२,००,००० की आय है और उस पर ९७,००,००० का व्यय होता है। तो इस तुलना से हम इस निष्कर्ष पर आयेंगे कि हमारे प्रदेश की कोर्टफीस का स्केल अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में अधिक नहीं है। मैं इस सिद्धांत को स्वीकार करता हूं और मानता हूं कि कोर्ट फीस इस नीयत से हरगिज नहीं लगानी चाहिये कि उससे कोई लाभ हो या फायदा हो। कोर्ट फीस अगर लगाना आवश्यकीय है तो इसलिये लगानी चाहिये कि जितना न्याय में व्यय होता है वह उससे प्राप्त हो सके।

अगर हम अपने देश के इतिहास को देखें तो हम देखेंगे कि १७९५ में सब से पहले भारतवर्ष में कोर्ट फीस का सिस्टम शुरू हुआ। उसके बाद १८७० में कोर्ट फीस ऐक्ट बना और उसके आधार पर विभिन्न प्रान्तों में यह लागू रहा और समय-समय पर इसमें संशोधन होते रहे।

अब श्रीमन्, एक दूसरी बात यह भी कही गयी कि इस तरह के संकल्पों को प्रस्तुत करके हाई कोर्ट के फैसले की हम अवहेलना करते हैं, सदन करता है और सरकार करती है। श्रीमन्, बड़े आदर से और बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उनमें से हूं जो विश्वास करते हैं कि हमें जुडिशियरी के फैसले का पूरा सम्मान करना चाहिए और मेरी धारणा है कि जुडिशियरी के फैसलों के मानने में ही हमारी मान और मर्यादा है। लेकिन इसके होते हुए भी, मुझे विस्मय होता है, जब समय और बे समय और बिना जाने हुए, दुहाई देते हैं। हम जो संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं उससे जुडिशियरी की वास्तव में मर्यादा बढ़ रही है या उसके फैसलों की अवहेलना हो रही है? हमारे सदन में कई संकल्प प्रस्तुत हुए हैं, जिनका अभिप्राय यही है कि जुडिशियरी ने जिन कमियों की ओर संकेत किया है उनकी पूर्ति करें। हम जुडिशियरी के फैसलों का निरादर नहीं करते हैं।

अभी इस विवाद में जिक्र किया गया कि सेल्स टैक्स में एक रूलिंग हो गयी है कि डिजालव्ड फर्म्स पर टैक्स नहीं लग सकता है। इसके लिए हम बिल ले आये। मैं समझता हूं कि यह विवाद इस समय असंगत है। लेकिन अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि हमने जुडिशियरी के फैसलों का आदर किया है। उच्चतम न्यायालय ने जिन कमियों की ओर संकेत किया है हमने उसकी पूर्ति करने का प्रयास किया है। इसी तरह से इस विधेयक में भी यही यत्न है कि जुडिशियरी ने जिस कमी की ओर संकेत किया है, उसकी पूर्ति की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी संकल्प के जो उद्देश्य और कारण होते हैं, उनसे यदि और स्पष्टीकरण हो सके तो ज्यादा अच्छा है।

इस बिल में जो गलतफहमी हुई उसके कारण ही जनमत की मांग आयी, प्रवर समिति में भेजने की मांग आयी। मैं समझता हूं कि कदाचित् उसका मौका नहीं होता अगर उद्देश्य और कारणों में थोड़ा-सा प्रकाश और मिल जाता। इस सिलसिले में, जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा कि कोई भी रूलिंग, कोई भी फैसला देखा जा सकता है, पब्लिक डाकूमेंट है। ठीक है। लेकिन जब चर्चा आयी तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि सदस्यों से यह आशा करना कि वह बाहर जाकर फैसले देखें या लाइब्रेरी में खोज करें, तो यह उनके साथ न्याय नहीं है। मैं समझता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाय कि हमारे पुस्तकालय में ऐसी चीजें प्रस्तुत रहें। मैं समझता हूं कि इस समय लाइब्रेरी में प्रस्तुत नहीं हैं और समय-समय पर जो रूलिंग्स होती हैं वह खोजने पर भी नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं और मैं आशा करता था कि इस कोर्ट फीस ऐक्ट का जब संशोधन आयेगा तो और भी बातों पर ध्यान दिया जायगा। हमारा अन्तिम कोर्ट फीस ऐक्ट १९५२ में अमेंड हुआ, इसके बाद टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आयी, उसमें कुछ बातों की तरफ संकेत किया गया जिनको सिद्धान्ततः हमारी सरकार भी मान चुकी है। इसके अतिरिक्त अनुभव ने भी वैसा ही बताया होगा। तो मैं यह विचार करता था कि इस तरफ अवश्य ध्यान दिया जायगा, लेकिन इस संशोधन विधेयक का एक सीमित ही दायरा है और उसके बाहर ध्यान नहीं दिया गया। मैं माननीय मन्त्री जी से बड़े विनम्र शब्दों में यह प्रार्थना करूंगा कि आगे वे कृपा करके इस ओर ध्यान दें। मैं संकेत रूप में यह कह दूं कि अभी भी कोर्ट फीस का बचाना सम्भव है, और वह सम्भव है कोर्ट फीस ऐक्ट की धारा के डिफेक्ट के कारण, जिसका जिक्र सेल्स टैक्स इन्क्वायरी कमेटी ने भी किया था। उसमें आज स्थिति यह है कि जब वादी कोई वाद लाता है तो उसका मूल्यांकन वह जैसा चाहे स्वयं कर सकता है। यदि कोर्ट को यह अधिकार हो कि वह स्वयं मूल्यांकन कर सके, तो वह सही असेसमेंट होगा। हमारे देश में कई प्रान्तों ने, जिनमें बम्बई उल्लेखनीय है, इस तरफ कदम उठाया है। ऐसा करने से साल में कई लाख रुपये के इवेजन को वे रोक सके हैं। इसलिए मन्त्री महोदय भी इस ओर ध्यान दें और उचित समय से कोई और संशोधन बिल लायें जिसमें इस ओर ध्यान दिया गया हो।

एक बात का मैं और निवेदन करूंगा कि अभी इस बात का भी वाद-विवाद में जिक्र आया कि हमारा लेजिस्लेशन एक हेस्टी लेजिस्लेशन होता है। अगर मुझे क्षमा किया जाय तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कहीं तक सत्य तो है। आज जिस स्पीड से हमें लेजिस्लेशन बनाना पड़ रहा है उसमें हम यह देखते हैं कि समय-समय पर दिक्कतें आती हैं। मैं यह तो नहीं मानता कि हमारा कोई भी ऐक्ट अन्तिम हो सकता है, जैसा माननीय मन्त्री जी ने बड़े सुन्दर शब्दों में कहा कि, एक हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है, सुप्रीम कोर्ट की सिंगिल बेंच का फैसला डबल बेंच बदल सकती है, तो हम कोई कानून पास करें, और उसमें कोई गलती न निकल सके, ऐसा दावा करना तो उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारा यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि आज जिस स्पीड से लेजिस्लेशन चल रहा है उस को देखते हुए हमें कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे जो गलतियां समय-समय पर निकलती हैं वे कम निकाली जा सकें। इसलिए मेरा सुझाव तो यह है कि जैसे गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने एक ला कमीशन बना रखा है, वैसे ही यू० पी० गवर्नमेंट को भी एक ला कमीशन बनाना चाहिए। वह परमानेंट होना चाहिए और उसका यह कर्त्तव्य हो कि जितने भी बिल प्रस्तुत हों, उनको वह एग्जामिन करे और कानून की कसौटी पर हर सम्भव क्रिटिसिज्म को सामने रखते हुए देखे। उसका परिणाम यह होगा कि हम बहुत-सी अनावश्यक दिक्कतों से बच सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मेरा निश्चित मत है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजने से हम कोई लाभ नहीं कर सकते और जो भी प्रस्तावक महोदय ने या

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

दूसरे वक्ताओं ने कहा उसमें कोई ऐसी कंक्रीट बात नहीं बतायी जिसको प्रवर समिति में रख कर हम सुधारने की आशा कर सकते।

श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---मैं सदन के समक्ष माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी का संशोधन पेश करता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५७ इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट १५ अक्तूबर, १९५७ तक पेश कर दें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २-५

परिभाषाएं। २---इस अधिनियम में--

(१) "कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७०" का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७०।

(२) "हाई कोर्ट" का तात्पर्य है इलाहाबाद में स्थित हाई कोर्ट आफ जुडिकेचर और इसके अन्तर्गत लखनऊ बेंच भी है।

ऐक्ट सं० ७, १८७० की अनुसूची १ के अनुच्छेद ११ का संशोधन।

३---कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० की अनुसूची १ के अनुच्छेद ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और उसे २२ अक्तूबर, १९५२ से रखा हुआ समझा जाय :--

Number		Proper Fee
"11. Probate of a will or letters of administration with or without will annexed.	(*a*) When the amount or value of the property in respect of which the grant of Probate or Letters is made exceeds one thousand rupees; but does not exceed ten thoudand rupees;	Two and a half per centum on such amount or value.
	(*b*) when such amount or value exceeds ten thoudand rupees, but does not exceed fifty thousand rupees ;	Three and one-fourth per centum on such amount or value.
	(*c*) When such amount or value exceeds fifty thousand rupees, but does not exceed one lakh rupees ;	Three and three-forth per centum on such amount or value.

(*d*) When such amount or value exceeds one lakh of rupees, but does not exceed two lakhs of rupees ;	On one lakh of rupees the fee payable under clause (*c*) and on the remainder five per centum.
(*e*) When such amount or value exceeds two lakhs of rupees, but does not exceed three lakhs of rupees ;	On two lakhs of rupees the fee payable under clause (*d*) and on the remainder six and one-fourth per centum.
(*f*) When such amount or value exceeds three lakhs of rupees, but does not exceed four lakhs of rupees ;	On three lakhs of rupees the fee payable under clause (*e*) and on the remainder seven and a half per centum.
(*g*) When such amount or value exceeds four lakhs of rupees, but does not exceed five lakhs of rupees ;	On four lakhs of rupees the fee payable under clause (*f*) and on the remainder eight and one-fourth per centum.
(*h*) When such amount or value exceeds five lakhs of rupees ;	On five lakhs of rupees the fee payable under clause (*g*) and on the remainder eight and three-fourth per centum.

Provided that when, after the grant of a certificate under Part X of the Indian Succession Act, 1925, or under the Regulation of the Bombay. code, no. VIII of 1827, in respect of any property included in and estate, a grant of probate or letter of administration is made in respect of the same estate, the fee payable in respect of the latter grant shall be reduced by the amount of the fee paid in respect of the former grant."

ऐक्ट सं० ७,१८७० की अनुसूची १ के अनुच्छेद १२ का संशोधन।

४---कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० की अनुसूची १ के अनुच्छेद १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

Number		Proper Fee
"12. Succession certificate under the Indian Succession Act, 1925.	(*a*) When the amount or value of the debt or security or the aggregate amount of the debts or securities to be specified under section 374 does not exceed twenty thousand rupees ;	Two and a half per centum on such amount or value.
	(*b*) When such amount or value exceeds twenty thousand rupees, but does not exceed fifty thousand rupees ;	On twenty thousand rupees the fee payable under clause (*a*) and on the remainder three and one fourth per centum.
	(*c*) When such amount or value exceeds fifty thousand rupees, but does not exceed a lakh of rupees ;	On fifty thousand rupees the fee payable under clause (*b*) and on the remainder three and three-fourth per centum.
	(*d*) When such amount or value exceeds one lakh of rupees, but does not exceed two lakhs of rupees ;	On one lakh rupees the fee payable under clause (*c*) and on the remainder five per centum.
	(*e*) When such amount or value exceeds two lakhs of rupees, but does not exceed three lakhs of rupees ;	On two lakhs of rupees the fee payable under clause (*d*) and on the remainder six and one-fourth per centum.
	(*f*) When such amount or value exceeds three lakhs of rupees but does not exceed four lakhs of rupees;	On three lakhs of rupees the fee payable under clause (*e*) and on the remainder seven and a half per centum.

Number	Proper Fee
(*g*) When such amount or value exceeds four lakhs of rupees, but does not exceed five lakhs of rupees ;	On four lakhs of rupees the fee payable under clause (*f*) and on the remainder eight and one-fourth per centum.
(*h*) when such amount or value exceeds five lakhs of rupees ;	One five lakhs of rupees the fee payable under clause (*g*) and on the remainder eight and three-fourth per centum.
Provided that the fee payable in the case of an application under section 376 of the Act shall be worked out in the following manner :— (i) Ascertain the aggregate amount of the debts or securities specified already in the certificate and the debts or securities to be specified on the application aforesaid. (ii) Calculate the fee payable on this aggregate amount in accordance with the provisions of clauses (*a*) to (*h*) above subject to the condition, however, that in respect of the amount in excess of the amount of debts or securities specified on application under section 372 of the Act the ratesin the said clauses (*a*) to (*h*) shall respectively be deemed to be three and three-fourth per centum, four and three-fourth per centum, five and three-fourth per centum, seven and a half per centum, nine and a half per centum, eleven and one-fourth per centum, twelve and a half per centum and thirteen and one-fourth per centum. (iii) Out of the total amount of fee so worked out, deduct the court fee already paid for specification	

Number	Proper Fee
	of debts or securities on the application under section 372 and on the applications, if any, under section 376 of the Act. The remainder shall be the fee payable on the application under consideration.
	Notes-(1) The amount of a debt is its amount, including interest on the day on which the inclusion of the debt in the certificate is applied for, so far as such amount can be ascertained.
	(2) Whether or not any power with respect to a security specified in a certificate has been conferred under the Act; and where such a power has been so conferred, whether the power is for the receiving of interestor dividends on, or for the negotiation transfer of the or security, or for both purposes, the value of the security is its market-value on the day on which the inclusion of the security in the certificate is applied for, so far as such value can be ascertained."

कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन।

५--(१) यदि दिनांक २२ अक्तूबर, १९५२ को अथवा तत्पश्चात् वसीयत का प्रमाण-पत्र (Probate) अथवा प्रबन्ध-पत्र (letters of

adiministration) के प्रदान के लिए किसी प्रार्थना-पत्र, जिस पर इस अधिनियम द्वारा संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० के अनुच्छेद ११ के अधीन देय कोर्ट फीस नहीं दी गयी है, के सम्बन्ध में उसके हाई कोर्ट में गृहीत अथवा अभिलिखित किये जाने की आज्ञा हो चुकी है तो तत्समय प्रचलित किसी विधि में कोई बात होने पर भी वह अधिकारी जिसका कर्त्तव्य हो कि वह यह सुनिश्चित करे कि उक्त अधिनियम के अध्याय २ के अधीन देय शुल्क दे दिया गया है, तथा ऐक्ट की धारा ५ के अधीन अभिदेश किये जाने की दशा में वह प्राधिकारी जिसने न्याय शुल्क देने की आवश्यकता अथवा उसकी धनराशि के प्रश्न पर अंतिम निर्णय दिया है ऐसे प्रार्थना-पत्र के गृहीत अथवा अभिलिखित करने से सम्बद्ध अपने आदेश अथवा निर्णय का पुनर्वीलोकन करेगा तथा उस अवधि के भीतर जो निर्दिष्ट की जाय उस प्रार्थना-पत्र पर ऐसे न्याय शुल्क (कोर्ट फी) की मांग करेगा जिसे वह देय और भुगतान योग्य समझे तथा समनुगामी अवधि पर्यन्त इस प्रार्थना-पत्र पर अग्रेतर कार्यवाहियां (further proceedings) जिसके अन्तर्गत वसीयत का प्रमाण-पत्र (Probate) अथवा प्रबन्ध-पत्र (letters of administration) का प्रदान भी है, स्थगित रहेगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन मांगे गये न्याय शुल्क की अदायगी में चूक होने पर, गृहीता अथवा अभिलिखित किये जाने की पूर्व आज्ञा के होते हुए भी प्रार्थना-पत्र पर सब प्रकार से उसी प्रकार कार्यवाही की जायगी मानों कि वह ऐसा प्रार्थना-पत्र हो जिस पर समुचित न्याय शुल्क नहीं दिया गया है और यदि वसीयत का प्रमाण-पत्र (Probate) अथवा प्रबन्ध-पत्र (letters of adiministration) पहले से ही दे दिया गया हो तो उपधारा (१) के अधीन देय पाया गया न्याय शुल्क (कोर्ट फी) चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू अथारिटी के प्रमाणपत्र पर उसी प्रकार किसी कलेक्टर द्वारा वसूल की जा सकेगी, जैसे कि वह मालगुजारी की बकाया हो।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड २, ३, ४, तथा ५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना व खंड १

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५७

कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० को उत्तर प्रदेश में इसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में और संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० को और संशोधित किया जाय--

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारंभ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर सीताराम—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५७ पारित किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी का प्रस्ताव इस प्रकार होना चाहिये कि जैसा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—चूंकि इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है इसलिये वह शब्दावली ठीक है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—तो भी प्रस्ताव के लिये शब्द यही हैं।

श्री अधिष्ठाता—जब कोई संशोधन हुआ ही नहीं तो इन शब्दों के रखने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५७ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७

*माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को उसके विचारार्थ निर्दिष्ट कर दिया जाय। संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

१—श्री खुशी राम
२—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट
३—श्री गोविन्द सिंह
४—श्री मोहन सिंह मेहता
५—श्री घनश्याम
६—श्री चन्द्रसिंह रावत
७—श्री रामप्रसाद नौटियाल
८—श्री जगमोहन सिंह नेगी
९—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन
१०—श्री सूरतचन्द रमोला
११—श्री नारायणदत्त तिवारी
१२—श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट
१३—श्री बलदेव सिंह आर्य
१४—श्री वसी नकवी
१५—श्री गुलाब सिंह
१६—श्री रामलखन मिश्र

संयुक्त प्रवर समिति में २५ सदस्य होते हैं, १६ यहां के होंगे, ८ लेजिस्लेटिव कौंसिल के।

अधिष्ठाता महोदय, यह विधेयक जिसके लिये मैंने संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा है, पुराना विधेयक है। यह पिछली विधान सभा में पेश हुआ था और प्रवर समिति के सुपुर्द हो गया था, लेकिन इस बीच में जनरल एलेक्शन आया और वह विधान सभा बदल गई। तो वही विधेयक फिर गालिबन १ महीना हुआ यहां पुरःस्थापित हुआ था और आज उसी विधेयक के सिलसिले में मेरा यह प्रस्ताव है कि यह एक ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

इस बिल की जो मोटी-मोटी बातें हैं वह इस प्रकार हैं :—

पहली बात यह है कि यह विधेयक जब पास हो जायगा तो कुमायूं डिवीजन के सारे इलाके में एकदम नाफिज नहीं किया जायगा बल्कि वहां जिस-जिस तहसील में रिकार्ड और सर्वे का जो

---

† १८ अप्रैल, १९५७ को कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम चल रहा है वह काम खत्म होता जायगा उस-उस तहसील में वह लागू किया जायगा। वहां के भूमि अभिलेखों की, लैंड रिकार्ड्स की, बहुत असन्तोषजनक अवस्था है। बहुत पुराना बन्दोबस्त वहां का हो चुका है। १८६२ के करीब वह बन्दोबस्त हुआ था। उसके बाद गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल के जिलों में कुछ आपरेशन्स हुए लेकिन उनको पूरे तौर पर सैटिलमेंट आपरेशन्स नहीं माना जा सकता और जो आपरेशन्स हुए भी वह सारे जिलों में नहीं हुए। इसलिये जो कागजात, लैंड रिकार्ड्स हैं, वह अधिकतर पुराने बन्दोबस्त यानी १८६२ के आधार पर बने हुए हैं। वहां की खेवट और खतौनी, जिसको मुन्दगीब और फांट कहते हैं, उनमें इतनी जगह भी नहीं रह गयी है कि लोगों के कब्जे में, हक में, जो तब्दीली होती है उनके इन्दराज उन कागजात में किये जा सकें। इसलिये वहां रिकार्ड और सर्वे के आपरेशन्स हो रहे हैं, जो लगभग २ या डेढ़ साल से जारी हैं। हमारा अन्दाजा है कि ८४, ८५ लाख रुपया इन आपरेशन्स में खर्च होगा। कुछ रुपया इसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया ने दिया है लेकिन जितना शुरू में उनसे हमको उम्मीद थी उतना नहीं मिला। लेकिन यह काम हमको पूरा करना है। चूंकि कागजात के सही न होने के कारण वहां की सही तस्वीर सदन या गवर्नमेंट के सामने नहीं आ पाती है, इसलिये केवल जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था के सम्बन्ध में ही कोई कायदा और नियम बनाने के लिये यह आवश्यक नहीं है, उसके लिये यह कंडीशन नहीं है कि वहां के कागजात दुरुस्त हो जायं बल्कि और भी योजना के काम होते हैं उनके लिये जरूरत होती है कि कितना रक़बा काश्त में है, कितना मजरुआ है, कितना गैर मजरुआ है और जिसमें काश्त होती है उसमें कौन जिन्स बोई जाती है, कितने में आबपाशी होती है, कितने में आबपाशी नहीं होती है, जमीन की क्या किस्म है, जब यह आंकड़े गवर्नमेंट के सामने होते हैं तभी उस इलाके को उन्नत करने के लिये सही फैसला कर सकते हैं। इसलिये हर सूरत में वहां के रिकार्ड अच्छे हों यह आवश्यक है। उसके लिये वह कार्यवाही हो रही है। तो जैसा मैंने निवेदन किया कि जिस तहसील में यह काम मुकम्मल होता जायगा उस तहसील में यह ऐक्ट इन्फोर्स होता रहेगा।

अब इसकी बड़ी-बड़ी बातें यह हैं कि जो गवर्नमेंट आख्यान हैं उनमें जैसा कि यह बिल है जब यह अधिनियम बन जायगा, तो वहां पर यह ज्यों का त्यों लागू नहीं होगा बल्कि कुछ संशोधनों के साथ लागू होगा।

दूसरी बात यह है कि खंड ४ के अनुसार खायकरी जमीन में हिस्सेदार के जो अधिकार हैं उनको गवर्नमेंट एक विज्ञप्ति के द्वारा हस्तगत कर लेगी और जिस तरह से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ६ के रिक्वीजिशन के जो नतायज होते हैं वही नतायज वहां भी हो जायेंगे यानी वही कान्सीक्वेन्सेज इफेक्ट में आ जायेंगे, लेकिन उस नोटीफिकेशन का यह मंशा नहीं होगा कि अगर कोई आख्यान वहां पर है उसमें किसी ऐसे आदमी के अधिकार पर, जो उस आख्यान को वर्क करता है, ठेकेदार वगैरह है, उस पर कोई असर नहीं होगा और हिस्सेदार को खायकर से, जो उस तारीख से पहले लगान वसूल करने का जो हक होगा, वह वसूल कर सकेगा। निजी जंगलात पर इस बिल के मातहत कोई असर नहीं पड़ता है। हमने मैदान में निजी जंगलात को भी एक्वायर कर लिया है। गवर्नमेंट उनकी मालिक हो गयी है। लेकिन जैसा कि यह विधेयक है, इसके मुताबिक़ कुमायूं में हम प्राइवेट फारेस्टस् को नहीं लेंगे। मैं आपकी इजाजत से यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा विचार इस सिलसिले में बदल गया है। अगर यह प्रस्ताव सदन से स्वीकार हो गया तो मैं सेलेक्ट कमेटी में यह दरख्वास्त करूंगा कि प्राइवेट फारेस्ट्स भी ले लिये जावें। पहले हमारे सामने पूरे वाक़यात नहीं थे। हमारे राज्य कर्मचारियों का यह खयाल था कि वहां प्राइवेट फारेस्ट बहुत कम हैं। लेकिन अब तहकीकात से मालूम हुआ कि ८,००० एकड़ और शायद इससे भी बड़ा रकबा है। निजी कुएं, वृक्ष, इमारतें जो खायकर की जमीन पर हैं, खायकर उनके मालिक पूर्ववत रहे आवेंगे, जैसा कि मैदान में है। खायकर और हिस्सेदार आगे से भूमिधर कहलावेंगे। पहाड़ के कुछ लोगों में इस बारे में बड़ी ग़लतफहमी है।

[श्री चरण सिंह]

वे ऐसा समझते हैं कि हिस्सेदारी बहुत बड़ा अधिकार और हैसियतवाली टैन्योर है जो कि भूमिधरी नहीं है। यह ख्याल गलत है यह भूमिधरी नाम हम इसलिये रख रहे हैं कि सूबे के एक कोने से दूसरे कोने तक एक सी शब्दावली होजाय। कोई अन्तर "हिस्सेदार" और "भूमिधर" शब्दों में नहीं है। आगे को जमीन इकट्ठी न की जा सके। जैसे हमने मैदान में ३० एकड़ रखा है, वैसे वहां भी रक़बा रखा जायगा, जिससे आगे ज़मीन न एक्वायर की जा सके चाहे इन किसानों का नाम हिस्सेदार हो या भूमिधर हो। केवल उस शब्द से मोह है वरना उसमें कोई युक्ति नहीं है। इस ऐक्ट से सीरतान असामी हो जावेंगे और हिस्सेदारों को उनके स्वत्व या अधिकार का १२ गुना अपने लगान का प्रतिकर के तौर पर मिलेगा, जो लगान उनको मिल रहा है उसका १२ गुना मिलेगा। उसके बाद भूमिधर को वहां एक और भी अधिकार दिया जा रहा है। अगर उसके मकान के मुताल्लिक उसकी अपनी जमीन किसी सीरतान के पास होगी, जो अब असामी कहलावेगा, जिससे कि उसका रास्ता बन्द हो जाय, मकान से निकल न सके, ढाई नाली ज़मीन, वह लगान का २ गुना मुआवजा देकर, उससे ले सकता है ताकि उसे एक रास्ता अपने मकान से बाहर निकलने का, आम सड़क पर या दूसरे मकानों में आने जाने का, मिल जाय। ढाई नाली का मतलब है ६०० मुरब्बा गज। वहां एकड़ के बजाय बीसी होती है जो ज़मीन की नाप है। एकड़ में ४,८४० मुरब्बा गज होते हैं और बीसी में ४,८०० मुरब्बा गज। बीसी में बिस्वा, बिस्वान्सी नहीं होते हैं बल्कि २० नाली होती हैं। तो एक नाली २४० मुरब्बा गज की हुई और ढाई नाली हुई ६०० मुरब्बा गज की। तो इतनी जमीन भूमिधर को सीरतान या असामी से हस्तगत करने का अधिकार होगा, जो जमीन उसके मकान से मिली होगी जिस दिन हम हिस्सेदार के अधिकार को हस्तगत करेंगे उसके साल भर के अन्दर असामी को भी अधिकार होगा और भूमिधर को भी होगा और इस सिलसिले में एक बड़ी उसूली बात है। यह विधेयक मैदानी इलाकों के कानून से भिन्न है। यदि असामी चाहे और भूमिधर चाहे, तो असामी जो अभी तक अपने भूमिधर को लगान देता रहा, अर्थात् खायकर को या हिस्सेदार को, उसका १५ गुना देकर उस असामी को भूमिधर बनाया जा सकता है, जो मालगुजारी भूमिधर गवर्नमेंट को दे रहा था तो आगे को इस नये भूमिधर को जो अब तक सीरतान था और इस कानून से असामी हो गया, यह असामी भूमिधर हो जायगा और इसे अपने क्षेत्रपति को मालगुजारी का आधा देना पड़ेगा। यह नहीं कि स्वयं के लगान का आधा, बल्कि उसका लैण्ड लार्ड जो मालगुजारी गवर्नमेंट को दे रहा था उसका आधा। साल भर तक यह अधिकार इस्तेमाल करने का हक़ होगा। जब साल भर बीत जाय तो असामियों को या सीरतानों को सीरदार डिक्लेयर कर दिया जायगा और गवर्नमेंट में यह अपने लगान का १० गुना दाखिल करके आधा देने का जिम्मेदार होगा और भूमिधर हो जायगा। आज उनका लगान मालगुजारी से ३ गुना है। उसका मतलब यह हुआ कि मालगुजारी का डयोढ़ा, ३ का आधा, यानी डेढ़। जब हमने सीरतानों को सीरदार डिक्लेयर कर दिया तो भूमिधर, हिस्सेदार और खायकरों को, जो भूमिधर हो गये थे, जो लगान वे असामियों से पा रहे थे, उसका १२ गुना मुआवजा मिलेगा। मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं क्योंकि शायद मैं बहुत स्पष्ट कह नहीं पाया हूं। जिस समय दफा ४ में पहले नोटीफिकेशन निकलता है, सारे सीरतान असामी हो जाते हैं। असामियों को अधिकार है कि अपने लगान का १५ गुना देकर, बशर्ते कि भूमिधर राजी हो जाय, भूमिधर बन जावें और इनका लगान जो भूमिधर आज गवर्नमेंट को दे रहा है, मालगुजारी दे रहा है, उसका आधा हो जायगा, अर्थात् बहुत कम, क्योंकि मालगुजारी का ३ गुना जो लगान दे रहा है वह मालगुजारी भी आधी हो जायगी। तो इससे मतलब यह है कि ऐक्ट में जो मालगुजारी हो जायगी वह आज के लगान को १/६ हो जायगी। उसको तो यह फायदा है और भूमिधर को रजामन्दी देने के लिये यह आर्ग्यूमेंट है कि उसको लगान का १५ गुना मिल जाता है। लेकिन एक साल के अन्दर अगर दोनों फरीक फायदा उठाना नहीं चाहते हैं या नहीं उठा पाते हैं तो भूमिधर को १२ गुना मिलेगा और यह दस गुना देगा, लेकिन उसका लगान बजाय मालगुजारी के आधा होने के डेढ़ गुना हो

जायगा। इसलिये इसमें दोनों का इंटरेस्ट है ताकि साल भर के अन्दर आपस में एग्रीमेंट कर लें और सारे सीरतान या असामी भूमिधर हो जायं। अगर नहीं होते हैं तो साल भर के बाद दोनों को नुकसान रहेगा। ऐसा हमको, कानूनी मशविरे की बजह से, अपने कानून सलाहकार की सलाह के मुताबिक करना पड़ा। जिस तरह मैदान में दफा ४ के मुताबिक सारे प्राइवेट एस्टेट्स एक्वायर कर लिये हैं, उस तरह कुमायूं में हम नहीं कर रहे हैं। कुमायूं में दफा ४ के मातहत जो नोटीफिकेशन होगा उसके जरिये से खायकर और हिस्सेदार के रिश्ते की जंजीर स्नैप की जा रही है। प्राइवेट एस्टेट्स को एक्वायर नहीं किया जा रहा है, उसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हम कोई ऐसा आल काम्प्रीहेंसिव प्राविजन नहीं बना रहे हैं जैसा कि मैदान में हमने बनाया है जिसके जरिये से मैदान की सारी जमीन ऐक्वायर कर ली गयी है। पहली स्टेज में तो हम इस रिश्ते को मुनक़िता कर रहे हैं और उन दोनों को मौका दे रहे हैं कि वे कोई सेटिलमेंट कर लें और उसके न होने पर दोनों का नुकसान होगा और बाद में वह कंपलसरी हो जायगा। हमारे रास्ते में कुछ हरडिल हैं जिनको दूर करने के लिये ऐसा किया गया है और इसमें दोनों का फायदा होगा, और खास तौर से सीरदार का।

जो खायकर या हिस्सेदार ऐसे थे जो उस समय डिसएबिल्ड थे, जब कि उन्होंने अपनी जमीन सीरतान को उठायी, वैसी हालत में जिस तरह मैदान में असामी या अधिवासी को बेदखल करा सकता है, उसी प्रकार वह भी सीरतान को बेदखल करा सकता है, उसका सीरतान सीरदार नहीं बन सकता, मुस्तौजिब बेदखली रहेगा क्योंकि उनके मुताल्लिक यह प्रिजम्पशन किया जाता है कि उन्होंने एक्सप्लायट करने के लिये जमीन नहीं दी थी, बल्कि उनकी मजबूरी थी, इसलिये दूसरे को जमीन उठायी।

मैं आपकी इजाजत से बहुत काफी बता चुका हूं लेकिन एक दो चीजें रह गयी थीं कि किन लिहाज से यह कानून मैदानी कानून से मुख्तलिफ है, वे ५–६ प्वाइन्ट्स हैं।

फारेस्ट के मुताल्लिक तो मैं कह ही चुका हूं कि हम फारेस्ट्स नहीं ले रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि मैदान में हमने लैण्ड होल्डर को या क्षेत्रपति को एक इंच जमीन भी काश्तकार से वापस लेने की इजाजत नहीं दी, लेकिन यहां ढाई नाली जमीन वापस लेने की इजाजत दे रहे हैं। माननीय नरेन्द्रसिंह जी को यह ढाई नाली वाली बात चाहे पसन्द न आयी हो, लेकिन आप कहते हैं कि वहां जमीन बहुत थोड़ी है लेकिन उसमें से भी हम रास्ते के लिये दे रहे हैं।

तीसरा प्वाइन्ट यह है कि मैदान में नेट असेट्स, यानी पक्की निकासी का ८ गुना मुआविजा दिया जायगा लेकिन वहां जो लैण्डलार्ड वसूल करता रहा है उसका १२ गुना मुआविजा दिया जा रहा है। जो उसकी पूरी आमदनी है उसमें से खर्चा निकाल दिया जाय, जो आउट स्टैंडिंग हैं वह निकाल दिया जाय, लोकल रेट को मिन्हा कर दिया जाय, एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स जो दिया जाता है उसे मिन्हा कर दिया जाय और १५ गुना मैनेजमेंट कास्ट भी मिन्हा कर दिया जाय, तो औसत १०० रु० में ४५ रु० जाकर नेट एसेट पड़ता है। तो उसका आठ गुना यानी अगर किसी जमींदार की लगान की आमदनी १०० रु० है तो उसकी आठ गुना के हिसाब से ४५ × ८ = ३६० रु० आमदनी हुई। लेकिन पहाड़ में, माननीय नारायण दत्त जी के इलाके में, अगर किसी का लगान १०० रु० है तो उसको १,२०० रु० का मुआविजा मिलेगा।

अधिष्ठाता महोदय, चौथा फर्क यह है कि यहां ५० रु० तक नकद और बाकी रकम ४० साल के दस्तावेज में बेबाक की जायगी, लेकिन पहाड़ों में नकद रुपया दिया जायगा, या तो सारे का सारा या दस सालाना किस्त में। जहां तक मुझे याद है दस ही है, सबजेक्ट टु करेक्शन, मैं बोल रहा हूं।

पांचवां फर्क यह है कि जिस तरह जमींदारी एबालिशन ऐंड लैण्ड रिफार्म्स ऐक्ट की दफा २३७ के मुताबिक अधिवासी अपने क्षेत्रपति के लगान का पन्द्रह गुना देकर, सर्किल रेट का

[श्री चरण सिंह]

१५ गुना देकर भूमिधर बन सकता है और उसका लगान अपने लगान से आधा होगा। यहां पन्द्रह गुना तो बेशक है लेकिन लगान जमींदार की मालगुजारी से आधा होगा। यह कि सीरतान बहुत गरीब हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनके साथ अगर एक फैसला हो जाय, साल भर के अन्दर पन्द्रह गुना देकर भूमिधर बना दें तो उससे हिस्सेदारों का भी और भूमिधरों का भी फायदा है। यह सीरतानों के साथ एक बड़ी रियायत होगी और इससे उनको बहुत आराम पहुंचेगा।

छठवीं बात यह है कि बारह गुना तो जो खायकरवाली जमीन पर हिस्सेदारों का हक था उसका मुआविजा मिलेगा और बारह गुना मुआविजा मिलेगा भूमिधर को या हिस्सेदार को उस जमीन का जिसमें कि उसका सीरतान है। इस तरह से क्षेत्रपति को वहां १० गुना के बजाय बारह गुना मिलेगा। अधिष्ठाता महोदय, यह एक रिआयत है, जिसमें यहां से बड़ा फर्क है, भले ही इसको कोई रिआयत माने या न माने।

ये ६ मेन प्वाइन्ट्स डिफरेंसेज के हैं जो वहां के प्राविजन्स में, जो इस विधेयक में हैं और जो यहां के अधिनियम हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कथन का समर्थन करता हूं और उम्मीद यह करता हूं कि मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जायगा और जो इसमें त्रुटियां रह गयी हैं, मुझे मालूम है कि कुछ त्रुटियां हैं और हमारे सेटिलमेंट कमिश्नर ने लिख कर भेजा है कि इसमें कौन-कौन तरमीम करने की जरूरत है उन तरमीमों के ऊपर माननीय मित्रों की तरफ से जब सुझाव आवेंगे तो उन सुझावों पर विचार कर लिया जायेगा।

मैं आखिर में आपसे एक बात और अर्ज करने की इजाजत चाहता था कि आमतौर पर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के लिए २ मास का समय होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें आप ४ मास का समय दे दें, अगर हो सकेगा तो रिपोर्ट पहले भी आ सकती है, क्योंकि अभी तो यह कौंसिल में जायगा और फिर यहां आयेगा और इस तरह से पहली मीटिंग ही अक्तूबर या नवम्बर में हो पायेगी।

श्री घनश्याम डिमरी (जिला गढ़वाल)---अधिष्ठाता महोदय, यह बिल जो सदन के सन्मुख उपस्थित है उसके बारे में मेरा प्रस्ताव है कि कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ को जनता की राय के लिए प्रसारित कर दिया जाय। इसमें मैं शुरू में अवधि लिखना भूल गया था, वह मैं अब निवेदन करता हूं कि जनमत संग्रह के लिए ३ मास की अवधि मुकर्रर की जाय।

मुझे बड़ा खेद है कि मूल बिल होते हुए भी यह सेल्फ कन्टेन्ड नहीं है। इसको समझने के लिए कई एक पुराने ऐक्टों को देखने की आवश्यकता हो रही है और इन ऐक्टों का अध्ययन किये बगैर कोई भी माननीय सदस्य इस पर अपनी राय नहीं कायम कर सकता। कुमायूं लैन्ड टैन्योर, यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, यू० पी० जमींदारी अबालिशन ऐक्ट, १९५० नियमों सहित, जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४, यह ५-६ ऐक्ट हैं कि जिन का अध्ययन अगर कोई न करे तो इस विधेयक पर अपनी राय कायम नहीं कर सकता। इसलिए मेरे खयाल से यह सेल्फ-कनटेन्ड नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप इसे चाहे जनमत संग्रह के लिए भेजें या प्रवर समिति में भेजें, लेकिन इसके खंडों में जिन ऐक्टों की धाराओं का हवाला दिया गया है उन्हें कम से कम इसमें जरूर उद्धृत कर दिया जाय, क्योंकि जब तक ऐसा न होगा तब तक यह बिल किसी की समझ में नहीं आ सकता।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध खायकरों और सीरतानों से है मैं उसका स्वागत करता हूं और इसके लिए माननीय मन्त्री जी को धन्यबाद देता हूं लेकिन इसमें जो "विनाश" शब्द का प्रयोग किया गया है वह बहुत अन्डिजायरेबिल है, क्योंकि जब से कानूनों में "विनाश" शब्द का प्रयोग हुआ है तब से हम इकानामिकली, मोरली व सोशली गिर गये हैं और विनाश को

ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए इस "विनाश" शब्द को आप केवल इसी बिल से न हटा दें बल्कि जो यू० पी० जमींदारी विनाश तथा लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट है, उससे भी आप इस को हटा दें। हमारा उद्देश्य तो केवल इतना है कि हमारा जो वीकर सेक्शन आफ दि सोसाइटी है उसको कुछ रिलीफ मिल जाय। केवल लैन्ड रिफार्म्स शब्द रखने से ही हमारी उस सोसाइटी को रिलीफ मिल जाता है। अगर हम इसका नाम केवल कुमायूं भूमि व्यवस्था विधेयक ही रखें तो उचित होगा।

श्री अधिष्ठाता--आप ने पढ़ा होगा, उद्देश्य और कारणों में उसका नाम है "उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम"। उस में दोनों चीजें हैं "जमींदारी विनाश" भी और "भूमि व्यवस्था" भी।

श्री घनश्याम डिमरी--मेरा मन्त्री जी से निवेदन यह है कि इसके नाम में २ चीजों का जिक्र है--एक तो जमींदारी विनाश और दूसरा भूमि-व्यवस्था। तो जहां तक लैन्ड रिफार्म्स बिल का मतलब है वहां तक तो ठीक है। आखिर हमारा उद्देश्य यही है कि जो वीकर सेक्शन आफ सोसाइटी है उसको किसी तरह से रिलीफ दें। उनका पोजीशन को स्टेबिल बना दें। उस ध्येय की पूर्ति लैन्ड रिफार्म्स नाम के रखने से हो जाती है। इसलिए इस अनडिजायरेबिल शब्द "विनाश" का प्रयोग ही क्यों किया जाय। मेरा अनुभव है और मुझे विश्वास है कि मेरा ही नहीं माननीय सदस्यों का भी अनुभव होगा कि जब से स्टैटचूट बुक पर "विनाश" शब्द लाया गया है तब से नैचुरल कैलेमिटीज बहुत बढ़ गयी हैं, हर साल फ्लड्स आते हैं और फेमिन स्ट्रिकेन दशा लोगों की होने लगी है। इसलिए माननीय मन्त्री जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि इसको इसी बिल से नहीं बल्कि जहां-जहां भी यह स्टैटचूट में दर्ज हो वहां से इसको हटा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--आप का मतलब है कि प्राकृतिक प्रकोप जो हैं वह बन्द हो जायेंगे?

श्री घनश्याम डिमरी--श्रीमन्, यह बिल जो माननीय सदस्यों के सन्मुख पेश है इसको अच्छी तरह से एग्जामिन करने के लिए, इस पर राय प्रगट करने के लिए आवश्यक है कि कुमायूं में जो एग्जिस्टिंग लाज हैं उनका पूरी तरह से अध्ययन कर लिया जाय, उनकी पूरी तरह से जानकारी कर ली जाय। विशेष वर्णन न करते हुए संक्षेप में मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि इस वक्त कुमायूं में तीन क्लासेज हैं--हिस्सेदार हैं, खायकर हैं और सीरतान हैं। हिस्सेदार को एक प्रकार से प्रोप्राइटर्स कहते हैं। उन पर मिताक्षरा कानून विद स्लाइट माडिफिकेशन लागू है और उनको अपनी जमीन को गिरों और फरोख्त करने की राइट्स हासिल हैं। खायकरों की दो किस्में हैं--पक्के खायकर और कच्चे खायकर। पक्के खायकर के कुछ गांव हैं। वहां हिस्सेदार का कुछ इन्टरफियरेंस नहीं होता है। सिर्फ मालिकाना पाने का अधिकार होता है। बाकी सक्सेशन और परमानेंट एलिमिनेशन आदि-आदि बातों में हिस्सेदार का पक्के खायकर के साथ इन्टरफियरेंस नहीं हो सकता है। कच्चे खायकर वह हैं कि हिस्सेदार भी उसी गांव में बसातत रहता है और खायकर भी उसी गांव में बसातत रहता है। उनके लिमिटेड राइट्स हैं। अगर वह पुत्रहीन है तो उसके मरने पर उसकी जमीन हिस्सेदार के पास लैप्स हो जाती है। कच्चा खायकर अपनी जमीन को परमानेंटली एलिमिनेट नहीं कर सकता है। तो यह कच्चे खायकर और पक्के खायकर में भिन्नता है। कच्ची खायकरी हैरिटेबिल है लेकिन तभी तक है जब तक कच्चे खायकर की पुश्त दर पुश्त पुत्र संतति होती रहे।

सीरतान, मौरूसी, मौडर्न और दूसरे कई किस्म के सीरतान हैं। लेकिन वह किसी भी किस्म के सीरतान हों, न उनको हेरिटेबिल राइट्स हैं और न राइट्स आफ ट्रांस्फर ही होते हैं। इस प्रकार इस वक्त कुमायूं में एग्जिस्टिंग लाज हैं। उन कानूनों को मद्देनजर रखते हुए अगर इस बिल को एग्जामिन करें तो मैं अर्ज करूंगा कि खायकर और हिस्सेदारों को तो भूमिधर बनाया गया है, कच्च और पक्के खायकरों को भी भूमिधर बनाया गया है, लेकिन जहां तक

[श्री घनश्याम डिमरी]

सीरतान का सम्बन्ध इस बिल से है, सीरतान के लिए एक प्रकार से प्रोसेस आफ एवोल्यूशन रखा गया है। बिल के पास होने पर सीरतान शुरू स्टेज में असामी बनेगा। फिर कुछ प्रोसेस के बाद, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा है एक साल के अन्दर उसको अधिकार है कि हिस्सेदार से भूमिधरी राइट्स खरीद ले। अगर हिस्सेदार न देता हो तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करेगी। उसके बाद दूसरी स्टेज में सीरदार बनेगा। उसके बाद, कुछ समय बाद अगर वह १५ टाइम्स लैन्ड रेंट का दे दे तो भूमिधर बन सकता है। इस प्रकार से जो यह प्रोसेस आफ एवोल्यूशन रखा गया है यह बिलकुल अनडिजायरेबिल है। इससे सीरतान को कुछ भी रिलीफ नहीं मिली है। मेरा तो यह निवेदन श्रीमन् के जरिये माननीय मन्त्री जी से है कि जैसे खायकरों को एकदम भूमिधर बनाया गया है वैसे ही सीरतानों को एकदम भूमिधर बनाया जाय, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सम्भव है कि जो लोग इस पक्ष में न हों वे यह दलील दें कि शायद सीरतान लोग जो असामी और सीरदार बन जायेंगे, वे १५ गुना लगान न दे सकें। तो इन्स्टालमेंट्स में उनसे लिया जाय ताकि वे सहूलियत से अपनी रेन्ट वैल्यू के १५ गुने को दे सकें। जब तक यह प्रोसेस आफ एवोल्यूशन नहीं खत्म होता है तब तक सीरतानों को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरा मन्त्री जी से नम्र निवेदन है कि वे मेरी इस तजवीज को मान जायं और यह प्रोसेस आफ एवोल्यूशन सीरतानों के लिए न रखें।

कम्पेन्सेशन की बाबत मन्त्री जी ने बताया कि खायकरों को १२ गुना देना पड़ेगा और सीरतानों को १५ गुना। इसके सिलसिले में मैं यह कह देना चाहता हूं कि कम्पेन्सेशन के जो फन्डामेंटल प्रिंसिपिल्स इस बिल में हैं उनकी अवहेलना की गयी है। फन्डामेंटल प्रिंसिपिल्स यह हैं कि जिस प्रोपोर्शन से किसी व्यक्ति को लास हो उसको मद्देनजर रखते हुए कम्पेन्सेशन मिलना चाहिए। जैसा मैंने अभी कहा पक्के और कच्चे खायकर हैं। कच्चे खायकरों में हिस्सेदार का इन्टरफियरेंस है लेकिन पक्के खायकर में हिस्सेदार का कोई इन्टरफियरेंस नहीं है जब तक कि उसकी मेल लाइन एक्सटिंक्ट न हो जाय, अगर ऐसा हो जाता है तो हिस्सेदार के हक में जमीन आ जाती है। तो इस तरह से पक्के खायकर से १२ गुना और कच्चे से भी १२ गुना लेना यह फन्डामेंटल प्रिंसिपिल्स आफ कम्पेन्सेशन के खिलाफ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम्पेन्सेशन में पक्के खायकर से अगर १२ गुना लिया जाता है तो कच्चे से कुछ और ज्यादा लिया जाना चाहिए और सीरतानों से कुछ और ज्यादा लिया जाना चाहिए।

श्रीमन्, मन्त्री जी ने प्राइवेट फारेस्टों का जिक्र किया। मुझे इसके बारे में यह कहना है कि हमारे यहां दो किस्म के प्राइवेट फारेस्ट हैं। कुछ तो अपनी असेस्ड जमीन पर बनाये हैं और कुछ प्राइवेट फारेस्ट ऐसे हैं जो कैसरे हिन्द जमीन पर व अन असेस्ड जमीन पर बनाये गये हैं। जो जमीन नपी और असेस्ड है उस पर कोई प्राइवेट फारेस्ट हो तो उस पर उन लोगों को अधिकार दिया जाना वाजिब है, जिनकी जमीन है। लेकिन जो प्राइवेट फारेस्ट कैसरे हिन्द जमीन पर हैं और वे व्यक्ति जो प्राइवेट फारेस्ट तैयार किये हुए हैं, गांव वालों को अगर किसी तरह से वे महरूम कर रहे हों तो उन्हें अधिकार नहीं मिलना चाहिए बल्कि गांव समाज के अधीन रह कर तमाम विलेज बाडी को उस पर अधिकार होना चाहिए।

एक निवेदन मुझे और कम्पेन्सेशन के सिलसिले में कर देना है। आम तौर से यह देखा गया है कि गरीब शिल्पकार जो वीकर सेक्शन आफ सोसाइटी के हैं, तो हिस्सेदारान ने उनसे रुपया लेकर दस्तावेज उनके हक में तहरीर किये हैं। अनफार्चुनेटली वे दस्तावेज किसी के रजिस्टर्ड नहीं हुए और वे लोग महज पजेशन के आधार पर सीरतान दर्ज हो गये। तो जिस वक्त कम्पेन्सेशन का सवाल आये, तो मन्त्री जी कम्पेन्सेशन आफिसर्स को इस प्रकार के आदेश भेज दें ताकि कम्पेन्सेशन देने के समय वह मान लिया जाय कि उन लोगों ने उसकी कीमत दे दी है और वे वास्तव में खायकर थे न कि सीरतान थे। बाकी जो भी मेरे सुझाव होंगे वे सेलेक्ट कमेटी में दूंगा।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, कुमायूं प्रदेश में जमींदार, खायकर और सीरतान के बीच की खाई को माननीय मन्त्री जी भरना चाहते हैं। हम उसका स्वागत करते हैं . . .

श्री अधिष्ठाता--माननीय प्रताप सिंह जी, आप अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री प्रतापसिंह--श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से कुमायूं जमींदारी उन्मूलन विधेयक में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं--

माल मन्त्री जी के प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय . . .

श्री अधिष्ठाता--जोड़ने का सवाल नहीं है। उन्होंने चार महीने का समय मांगा है। आप ३१ अक्तूबर तक का संशोधन लाये हैं। यह संशोधन आप पेश कर सकते हैं।

श्री प्रताप सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो माल मन्त्री जी ने चार महीने की बात कही है, उसके स्थान पर प्रवर समिति दो महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे।

जहां तक इस बिल के उद्देश्यों का सवाल है और इसके सिद्धान्त का सवाल है हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन दु:ख की बात यह है कि इस विधेयक में यह लिखा हुआ है कि पहला अध्याय अभी से लागू होगा और उसके बाद जैसे-जैसे कुमायूं के विभिन्न जिलों में सेटिलमेंट होता जायगा, वैसे-वैसे यह लागू होगा। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पहले अध्याय में तो सिर्फ परिभाषा ही लिखी हुई है। तो परिभाषा किन-किन जिलों में और किस-किस तरह लागू होगी, यह मेरी समझ में नहीं आया। अगर पहला ही अध्याय लागू करना था तो मैं समझता हूं कि इस वक्त हम यह जितना भी वाद-विवाद करेंगे यह इस आदरणीय सदन का समय ही नष्ट करना होगा, क्योंकि पहले अध्याय में भी कोई चीज नहीं है और आगे विधेयक साफ कहता है कि दूसरा अध्याय तब लागू होगा जब सेटिलमेंट हो जायगा।

श्रीमन्, जिस तरह से भौगोलिक परिस्थिति में कुमायूं अपनी भिन्नता रखता है, उसी प्रकार कुमायूं का जो भूमि कानून है वह भी अगर मैं यह कहूं कि एक बहुत काम्प्लीकेटेड ला बनने जा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। वहां की परिस्थिति भिन्न है। अभी मैं माननीय मन्त्री जी को सुन रहा था। खायकर और सीरतान की बात उन्होंने की। लेकिन सीरतान की परिभाषा क्या है यह इस विधेयक म कुछ भी नहीं बताया गया है। मैं चाहता था कि सीरतान की परिभाषा भी हमको बतायी जाती।

दूसरे, जैसा कि हमने स्वागत किया, हम समझते हैं कि सरकार कोई नयी बात करने नहीं जा रही है। सन् १९३७ में भी यह सुझाव आया था कि कुमायूं के लिए एक अलग कानून बनना चाहिए और श्रीमन्, कुमायूं लाज कमेटी की ओर मैं आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और जो कुमायूं लाज कमेटी की सिफारिश है उसकी दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--माननीय प्रताप सिंह जी, आप जरा बैठ जायं। यह उचित नहीं लगता कि इस तरह से चपरासी यहां आकर खड़े रहें या सदन में बहस होती रहे। कोई जरूरी काम हो तो आ जायं, अन्यथा जब कि सदन की कार्यवाही चल रही है और चपरासी बीच में आ जाते हैं तो इस तरह से यह ठीक नहीं प्रतीत होता है।

श्री प्रतापसिंह--"The Committee next considered the question of tenancy legislation for Kumaun and recommended that there should be a self-contained Act for the hill portions of Kumaun Division and that the plains portions should be governed by the proposed United Provinces Tenancy Act."

[श्री प्रताप सिंह]

श्रीमन्, कुमायूं लाज कमेटी भी इस में साफ है और मन्त्री जी ने भी हमारे सामने छः भिन्नतायें बतायी हैं। लेकिन जब इस ऐक्ट को हम देखते हैं तो मुझे कभी-कभी ताज्जुब होता है, इसमें यह भी लिखा है कि जहां पर कुएं हों या सिंघाड़े वाली जमीन हो, मैं समझता हूं कि पहाड़ में न तो सिंघाड़े होते हैं और न कुएं ही होते हैं . . .

श्री चरणसिंह---पहाड़ में न होते हों, लेकिन कुमायूं डिवीजन में होते हैं।

श्री प्रतापसिंह---कुमायूं के तराई भावर एरिया से यह सम्बन्धित नहीं है। इसका सम्बन्ध तो पहाड़ों से ही है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसमें जहां भी यह सिंघाड़े व कुएं का जिक्र आया है उसे निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---माननीय प्रताप सिंह जी, आप चेयर को ऐड्रेस करें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री प्रतापसिंह---माननीय मन्त्री जी बीच में टोकते हैं वह मुझसे बुजुर्ग हैं, मैं कुछ कह तो नहीं सकता।

श्रीमन्, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो पिछले सदन में इस बिल पर काफी बहस हुई और तब भी प्रवर समिति के लिये सुझाव हुआ कि उसके सामने जाना चाहिये और उस बिल को यहां पर काफी बहस होने के बाद बिल की कापियां समाचारपत्रों और विभिन्न जिलों को भेजी गईं उससे वहां की तमाम जनता को पता लग गया कि इस बिल का असर क्या पड़ने वाला है? यदि यह कहूं कि पिछले एक साल के भीतर, जिन लोगों के लिये हम यह कानून बनाने जा रहे हैं, उनको जमीन से हटाया गया है तो गलत न होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस बिल को बहुत पहले ही पास हो जाना चाहिये था। १९५७ में हम इसको पास करने जा रहे हैं यह बहुत न्याय-संगत नहीं है।

जहां तक सीरतान का प्रश्न है, सीरतान की परिभाषा इस बिल में कहीं नहीं दी है। कुमायूं नयाबाद एंड वेस्ट लैन्ड ऐक्ट पास किया गया था। श्रीमन्, आपकी इजाजत से उसमें जो सीरतान की परिभाषा है उसको पढ़ देना चाहता हूं :---

"Sirtan means a tenant recognized as a Sirtan by the Kumaun customary laws."

इससे भी सीरतान की परिभाषा का साफ पता नहीं चलता। दूसरा कुमायूं कृषक भूमि ऐक्ट, १९५४ में पास हुआ। उसमें लिखा है :---

"Tenant includes a Sirtan, but does not include a Khaikar Mauroosidar."

पिछले साल से कुमायूं में जो रेकार्ड आपरेशंस चल रहे हैं, रेकार्ड रूल्स जो हमारे पास हैं उन कागजात को देखने से भी सीरतान की परिभाषा का समन्वय नहीं होता। अगर कोई किसी अदालत में जाता है और सीरतान अदालत में न्याय मांगता है, उसको मांगते समय अगर न्यायालय हमारी विभिन्न किताबों को देखें तो सीरतान की परिभाषा का वे अच्छी तरीके से अन्दाजा नहीं लगा सकते और इस तरह से वहां सताये हुए लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। सीरतान की परिभाषा का प्रश्न उठता है तो उत्तर मिलता है कुमायूं लाज के मुताबिक वह है। तो कुमायूं लाज क्या हैं यह पहले हमारे सामने साफ होना चाहिये।

सर्वे रेकार्ड रूल्स में लिखा है कि शिकमी काश्तकार सब टेनेन्ट न हो और निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग में नहीं आना चाहिये और वे वर्ग हैं हिस्सेदार, फ्री सिम्पिल स्टेट के माफीदार तथा सोल्जर स्टेट के जागीरदार; दूसरा है खायकार; तीसरा है मौरूसीदार और चौथा रहा अधिवासी। चौथी परिभाषा और दी जा रही है जो इसमें लिखी हुई है। सीरतान की परिभाषा, जैसा मैंने निवेदन किया, हरएक में अलग-अलग

है। बहुत से लोग शायद यह समझें कि सीरतान, खायकरों और हिस्सेदारों को राइट्स दिये जा रहे हैं इससे किसी को नाराजगी है, इस बेसिस पर हम बिल का विरोध करें तो यह सही चीज नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अभी हमको बताया कि बहुत से लोगों को पहाड़ में इस बात की गलतफहमी है कि वे हिस्सेदारी को बनिस्बत भूमिधरी के ज्यादा सुपीरियर राइट समझते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि "हिस्सेदारी राइट इज मोर सुपीरियर दैन भूमिधरी राइट।" जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा अगर उसको हिस्सेदारी राइट रक्खें तो अधिकारों में कोई कमी नहीं होती है और भूमिधरी राइट रक्खें तो अधिकारों में बढ़ोत्तरी नहीं होती है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर भूमिधरी राइट के बदले हिस्सेदारी राइट नाम रक्खें तो इससे कोई नुकसान न माननीय मंत्री जी को ही होगा और न कोई शिकायत इस माननीय सदन के किसी सदस्य को ही हो सकती है। हां, पूरे प्रान्त में भूमिधर हैं इसलिये यही नाम हो तो ठीक है।

श्री चरणसिंह—अभी कुछ माननीय सदस्य शिकायत कर रहे थे कि इस तरह यह बड़ा काम्पलिकेटेड हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य बैठ नहीं रहे हैं। जब तक वे न बैठें तब तक आपका इंटरप्शन कोई मानी नहीं रखता।

श्री प्रताप सिंह—दूसरी चीज जो माननीय मंत्री ने बतलाई वह यह कि जो रेकार्ड आपरेन्शास होने जा रहे हैं उनमें ८५ लाख रुपये के करीब वे खर्च करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस विधेयक को हाउस में लाने के पहले कुमायूं, गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल के रिकर्ड का इन्तजाम पहले कर दिया जाय, क्योंकि मुझे याद है कि १९०२ के बाद यानी ५१ वर्ष से वहां कोई बन्दोबस्त नहीं हो पाया है। हमारे पास, जैसा कि माननीय मंत्री जी इससे इत्तफाक करते हैं और मैं भी उससे सहमत हूं, सही आंकड़े वहां के बन्दोबस्त के बारे में नहीं हैं। तो इसलिये जहां हम यह कहते हैं कि जैसे ही सेटिलमेंट पूरा होगा यह बिल तभी पूरा लागू होगा, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस बिल को बहुत पहले पास करना चाहिये था और इससे पहिले रेकार्ड आपरेशंस कम्पलीट हो जाते जिससे प्रवर समिति को भी इस पर उचित राय देने में सहूलियत होती। जहां तक प्रवर समिति का सम्बन्ध है और जितने भी विधेयकों के लिये प्रवर समिति में जाने की बात हो, मैं समझता हूं उसके सामने एक बहुत बड़ा काम होगा। मैं उसकी वर्किंग को तो हाउस में डिसकस नहीं कर सकता, लेकिन प्रवर समिति केवल लखनऊ और नैनीताल के सेक्रेटेरियट में बैठ कर इसमें सही राय नहीं दे सकती। उसे नैनीताल जिले के विभिन्न स्थानों में जाकर वहां की विभिन्न परिस्थितियों को देखना पड़ेगा, तभी हम जो भलाई नैनीताल की जनता की कागजी रूप में करने जा रहे हैं, उसकी कार्यरूप में भलाई कर सकेंगे।

जहां तक खायकर को हिस्सेदारी का अधिकार मिलने वाला है, इसके सम्बन्ध में तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती, यह तो न्यायसंगत है।

दूसरे यह है कि जो रेकार्डेड सीरतान हैं उनको अभी से हक मिलना चाहिये। क्या जरूरत है कि इस चीज का इन्तजार किया जाय कि जब आपरेशंस हो जायं तभी हक मिले। तो रिकार्डों के आधार पर उन सीरतानों को हिस्सेदारी या भूमिधरी, जो भी आप चाहें, वह अधिकार उनको मिल जाने चाहिये।

दूसरी चीज यह है कि जिस समय हमारे मैदानी इलाकों में जमींदारी उन्मूलन किया गया, अगर उसी समय सन् १९४६ में कुमायूं के लिये भी एक कमेटी बना दी जाती, तो मैं समझता हूं कि आज जितनी खामियां हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास न तो "सीरतान" की परिभाषा है और दूसरी परिभाषाओं में भी हमारे पास साफ आंकड़े नहीं हैं,

[श्री प्रताप सिंह]

तो यह दिक्कत दूर हो जाती और हम एक सही तस्वीर इस कानून की रखने में सफल हो पाते। श्रीमन्, जहां तक सीरतानों का सम्बन्ध है, मैं चाहूंगा कि खायकरों से ज्यादा प्रोटेक्शन उनको मिलना चाहिये और जहां तक कम्पेंसेशन का सवाल है तो कम्पेंसेशन सरकार को ही देना चाहिये। जिस प्रकार जमींदारी उन्मूलन के समय अधिवासी को सीरदार बनाने की बात की गयी, तो सीरतानों के लिये भी मैं यही चाहूंगा।

जहां तक माननीय मंत्री जी ने ढाई नाली उन हिस्सेदारों को देने की बात कही जो कि वापस वहां आयेंगे, इसके बारे में श्रीमन्, मैं पहाड़ की हालत को जानता हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि वहां पर जो भी और जिन लोगों की भी जमीन है वह उनकी दर-पीढ़ी से चली आ रही है और वह चाहते हैं कि येन केन--प्रकारेण उनका वहां अधिकार हो। कोई अगर १०-२० साल बाद देश के विभिन्न प्रान्तों में वापस जाना चाहता है तो वह तो यह चाहेंगे कि हमारी जो पुरानी जायदाद है उसमें जा सकें तो ज्यादा अच्छा है। यहां पर ढाई नाली का हिसाब है, हिमांचल प्रदेश में ५ एकड़ भूमि वह ले सकता है, अगर वापस आये और दूसरी जगहों पर, कश्मीर में, साढ़े बाईस एकड़ और आसाम में ५०० बीघा जमीन इस चीज के लिये रखी गयी है। अब यहां पर कितना होना चाहिये और वह कितना ले सकता है, मैं चाहूंगा कि इस पर सेलेक्ट कमेटी को सोचना होगा। यह सेलेक्ट कमेटी के लिये बहुत ही अहम मसला है और उसको इस पर सोचना होगा। श्रीमन्, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि चुनाव के समय सोचा जायगा, १९६२ के चुनाव को भूल जाना चाहिये, अगर वोट्स पाने के लिये एक पोर्शन के लोगों के लिये कोशिश करें तो यह न्याय संगत नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--(श्री प्रताप सिंह से) चुनाव से इसका कोई संबंध ही नहीं है। आप बिल पर ही आयें।

श्री प्रताप सिंह--श्रीमन्, मैं यह बतला रहा था कि हकीकत क्या है, इसको हमें देखना चाहिये। जिन लोगों के लिये हम यह बिल बना रहे हैं तो यह देखना चाहिये कि किस तरह से उनका भला हो सकता है यानी किस तरह से Greatest good of the greatest number हो सकता है, इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

दूसरी चीज यह कि सेलेक्ट कमेटी को यह भी सोचना होगा कि जो लोग भूमि न होने के कारण प्लेन्स में नौकरी करते हैं और चपरासी हैं, जिनके पास आधा पेट भरने के लिये जमीन है इसलिये दूसरी जगह जाकर उनको नौकरी करनी पड़ रही है, उनका भविष्य क्या होने जा रहा है। सेलेक्ट कमेटी को यह भी सोचना होगा कि एक चपरासी है उसके पास आधा हल भूमि है और वह जमीन पड़ोसी को देखभाल करने के लिये दे जाता है तो 'Tiller of the soil will be the master of the soil' के अनुसार उनका क्या होने जा रहा है? क्या उनकी जमीन छिन जायगी या किस तरह से करने जा रहे हैं, इस भी पर विचार करना होगा।

कुमायूं में हम ११ साल से देख रहे हैं कि खेती के अलावा और कोई इंडस्ट्री, बावजूद इसके कि सरकार प्रगतिशील है, भी डेवलप नहीं हो पायी है। कुमायूं का प्रमुख उद्योग-धंधा खेती रहा है। जब आप वहां पर भूमि सुधार करने जा रहे हैं तो वहां के दस हजार आदमियों को मैदानों में बसायें और उनको खेती के लिये भूमि दें, जिनके पास भूमि नहीं है। कुमायूं की जो जनता भूमिहीन है, जिसके ऊपर आपके इस बिल का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनके लिये अगर यह कानून लाया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि यह तभी हो सकता है जब आप वहां के दस हजार भूमिहीनों को प्लेन्स में या तराई भावर एरिया में बसा दें। तराई भावर जो खाम स्टेट है, वह भी समाप्त होनी चाहिये, यह कब तक रहे, यह हमारी समझ में नहीं आता है। जब इन भूमिहीन लोगों का बसाये जाने का प्रबंध होगा तभी उनका सच्चा हित हो सकता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस

ग्रोर ध्यान दिया जाय। जहां तक वहां के खायकरों का प्रश्न है वे उस समय से ग्राबाद हैं जब कि कुमायूं में बहुत बड़े-बड़े जंगल थे ग्रौर ग्रादमी वहां जाना भी पसन्द नहीं करते थे। तब से इन खायकरों ने वहां की भूमि को ग्राबाद किया है। उनके लिये जो मुग्राविजे वगैरह का प्रश्न है उस पर प्रवर समिति को सोचना चाहिये। हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी मेहनत से वहां की जमीन को ग्राबाद किया है, क्योंकि मैदान ग्रौर पहाड़ की जमीन में मेहनत करने में भी काफी ग्रन्तर है। पहाड़ों में छोटे-छोटे खेत बनाये जाते हैं, वर्षों तक उनमें खाद दी जाती है ग्रौर बदकिस्मती से ग्रगर बारिश नहीं हुई तो उन्हें भूखों मरना पड़ता है ग्रौर ग्रगर ग्राज की तरह बाढ़ ग्रा गयी तो वे सब खेत बह जाते हैं। तो ये सब दिक्कतें होती हैं। मैं मंत्री जी का बहुत ग्राभारी हूं कि वे कुमायूं के विषय में दिलचस्पी रखते हैं ग्रौर इस खाई को पाटने जा रहे हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि जिस खायकर ने सैकड़ों वर्षों से वहां की जमीन को ग्राबाद किया है उसको मुग्राविजा दिये जाने ग्रादि के प्रश्न पर प्रवर समिति गम्भीरता से विचार करे।

(इस समय ३ बजकर ३६ मिनट पर ग्रधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुए।)

ग्रब सवाल सीरतान का ग्राता है कि किसको मानें ग्रौर किसको न मानें। तो रेकार्डेड का मामला तो साफ है लेकिन कुछ लोगों के नाम रेकार्डेड नहीं हैं। एक ग्रादमी दो दिन से काबिज है ग्रौर एक वर्षों से काबिज है। इस बिल की परिभाषा के ग्रनुसार वह ग्राता तो जरूर है उसमें, लेकिन क्या हम जो वर्षों से ग्रादमी काबिज है उसको बराबर की श्रेणी में ले जायेंगे या नहीं? इस पर भी प्रवर समिति को विचार करना चाहिये।

श्री ग्रधिष्ठाता—माननीय प्रताप सिंह जी, मैं देख रहा हूं कि ग्राप केवल सुझाव दे रहे हैं। वे तो ग्राप लिख कर मंत्री जी के पास भेज सकते हैं। ग्राप केवल इतना ही कह रहे हैं कि चार मास के बजाय दो मास में इसकी रिपोर्ट ग्रा जानी चाहिये। प्रवर समिति को भेजे जाने को ग्राप ग्रपोज तो कर नहीं रहे हैं। ग्राप विधेयक के प्रिंसिपिल से भी सहमत हैं। तो ऐसी हालत में इतने लम्बे चौड़े भाषण की ग्रावश्यकता नहीं है। ग्राप ग्रपने सुझाव लिख कर भेज दीजिये।

श्री प्रताप सिंह—ग्रापकी ग्राज्ञा शिरोधार्य है, श्रीमन्। लेकिन प्रवर समिति में जाने से पहले यह बताना जरूरी है कि कुमायूं की विशेष परिस्थितियों में किस तरह का कानून बनाया जाय ग्रौर बीच की खाइयों को पाटने के लिये किन-किन चीजों की ग्रावश्यकता है, वही मैं कर रहा हूं।

श्रीमन्, मैं बोलने से पहले यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि मेरे सुझाव केवल सुझाव के रूप में ही न रखे जायं बल्कि उनका ध्यान रखा जाय, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो कानून ठीक तरह का नहीं बन सकता।

श्रीमन्, ग्राज की बीसवीं सदी में जब कि हम सामन्तवादी पद्धति को समाप्त कर रहे हैं हमारे लिये ग्रावश्यक है कि कुमायूं में भी हम इस तरह की प्रथाग्रों को, पद्धतियों को समाप्त कर दें क्योंकि वहां के सीरतानों ग्रौर खायकरों ने ग्रपनी गाढ़ी कमायी का पैसा लगा कर, मेहनत करके ग्रपनी जमीनों को ग्राबाद किया है ग्रौर यदि उसके बाद ग्राज उनको ग्रपनी जमीनों पर हक मिल रहा है तो उसका इस सदन के हर माननीय सदस्य को समर्थन करना चाहिये।

जहां तक कुमायूं की गरीबी का सवाल है, वैसे तो चारों के चारों जिले गरीबी के पैमाने पर पूरे उतरते हैं लेकिन ग्रल्मोड़ा ग्रौर गढ़वाल खासकर बहुत गरीब हैं ग्रौर इसीलिये सरकार को समय-समय पर वहां टेस्ट वर्क चालू करने पड़ते हैं।

जैसी कि मैंने १०,००० लोगों को जमीन देने की बात कही, कुमायूं की तराई में बड़े बड़े फार्म्स हैं जो ग्राबाद नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस बात पर विचार

[श्री प्रताप सिंह]

करें कि उन लोगों को इन्हीं फार्मों पर बसाया जाय। अगर वह कुमायूं में सच्चे मानों में कुछ भूमि सुधार चाहते हैं तो वह उन बंजर फार्मों को वहां के गरीब लोगों को दे दें। यह बड़े उपकार का काम होगा।

जहां तक सीलिंग का सवाल है, मैं समझता हूं कि कुमायूं की परिस्थिति कुछ इस प्रकार की है कि अगर आप कोई सीलिंग वहां फिक्स करना चाहते हैं तो वह आपको बहुत सोच समझकर फिक्स करनी पड़ेगी। एक रुपया लगान देने वाला भी वहां हिस्सेदार है और १०० रुपये देने वाला भी, इसलिये कुमायूं की परिस्थिति में सीलिंग हो या नहीं यह एक बड़ा मसला है। मैं समझता हूं कि प्रवर समिति इस पर विचार करेगी कि वहां क्या सीलिंग हो सकती है, क्योंकि वहां की परिस्थिति कठिन है। बदकिस्मती से मैं प्रवर-समिति का सदस्य नहीं हूं किन्तु यदि आप चाहेंगे तो अपनी राय दे सकूंगा।

सीरतानों की संख्या के सही आंकड़े मुझे नहीं मिले लेकिन मैं समझता हूं कि करीब १,११,००० के करीब सीरतान वहां हैं।

गढ़वाल में जहां तक यह सीरतानों और खायकरों का प्रश्न है वहां पर मौरूसीदार खायकर और सीरतान हैं। इस ऐक्ट में उनका हवाला होना चाहिये था। गढ़वाल में मौरूसीदार इस तरह से हैं जैसे कि नैनीताल और अल्मोड़ा में हिस्सेदार हैं और इस ऐक्ट में उनका कहीं भी जिक्र मैंने नहीं देखा। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि वहां साझी भी होते हैं। मैं समझता हूं कि शायद मंत्री जी इस शब्द से परिचत होंगे। वह जमीन पर काम करते हैं और हम से रुपया लेते हैं। किसी साझी को हम आधा हिस्सा देते हैं, किसी को तिहाई। वह जमीन पर एक तरह से किसान है और जमीन उनके कब्जे में रहती है। उन साझियों का इस कानून के बनने के बाद क्या होगा यह मेरी समझ में इस विधेयक को पढ़ने के बाद भी नहीं आया।

जहां तक जंगलों की बात है उसके विषय में इस विधेयक में कुछ नहीं था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उनके विषय में कहा कि इरादा बदल गया है। मैं समझता हूं कि उनका इरादा सही बदला है। मेरा सुझाव यह है कि वे लोग जंगलों को प्राइवेट प्रापर्टी की तरह से रखते हैं। जब हमारे यहां गांव-समाज है तो क्यों न वे जंगल गांव-समाज को दे दिये जायं और वे इनका इन्तजाम करें। गांव-समाज जंगलों का इन्तजाम सही तरीके पर कर सकते हैं। इस तरह से प्राइवेट प्रापर्टी खत्म हो सकती है।

अन्त में, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो इस समय रिकार्ड आपरेशन्स हो रहे हैं उनकी जांच प्रवर समिति को अपनी राय देने से पहले होनी चाहिये। पहले वहां पर यह बदकिस्मती रही है कि रिकार्ड आपरेशन्स जो वहां पर शुरू किये उनके लिये किसी तरह का प्रचार नहीं किया गया। जनता को किसी तरह से उनके विषय में नहीं बतलाया गया। भले ही आपने वहां पर अच्छे अफसरों को भेजा हो और प्लेन्स में उन लोगों ने भले ही जमींदारी अबालिशन का काम किया हो लेकिन वहां पर जिनको भेजा गया है वह कुमायूं की रीतिरिवाजों को नहीं जानते हैं। वहां पर ८० साला रिकार्ड है जिनको यहां प्लेन्स में काम करने वाले अफसर नहीं समझ पाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि वहां पर कुमायूं के लोगों को रखा जाय। कहीं के भी लोग हों लेकिन वह ऐसे होने चाहिए जो वहां की रीति रिवाजों को समझते हों। जब मैं वकालत करता था तब मैं उनको एक दिन पढ़ रहा था, लेकिन वह मेरी समझ में नहीं आये। यह मैं नहीं कहता कि वहां पर जो अफसर बन्दो-बस्त का काम कर रहे हैं वह गलत हैं या भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो कुमायूं के रीति रिवाज को समझते हों, वहां के कस्टमरी लाज को न समझते हों, वह बन्दो-बस्त सही तरीके से नहीं कर सकते हैं चाहे कितनी ही बढ़िया ट्रेनिंग आपने उनको क्यों न दी हो।

आपने इस बिल में यह भी रखा है कि जब सब रिकार्ड ठीक होजायेंगे तब यह ऐक्ट वहां पर लागू किया जायगा। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि पहले वहां पर

जांच होनी चाहिये कि किस तरह से वह आपरेशन्स हो रहे हैं। बहुत जगहों पर ऐसी गलत-फहमी है जिससे लोगों में झगड़े हो रहे हैं। अभी नैनीताल में दो भाइयों में झगड़ा हो गया और एक भाई का खून हो गया। यह केवल गलतफहमी की वजह से हो रहा है। लोगों से यह कहा गया कि यह जो रिकार्ड आपरेशन्स हो रहे हैं यह कुमायूं भूमि-सुधार कानून में भी होंगे। इस तरह की गलतफहमी से लोगों में आपस में झगड़े हो रहे हैं। इसलिये यह तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको सोचने की बात है।

दूसरी चीज यह है कि इस कानून के सम्बन्ध में १०० साल के रिकार्ड जो अभी तक नैनीताल में थे उनको हल्द्वानी लाया गया है। लोगों को इसमें बड़ी कठिनाई होती है। जिसको रिकार्ड की जरूरत होती है उसको हल्द्वानी आना पड़ता है और फिर नैनीताल जाना पड़ता है। यह कानून तो हिल के जिलों के लिये बनाया जा रहा है। इसलिये कागजात देखने के लिये जो आदमी नैनीताल में रहता हो उसको वहां आने में बहुत दिक्कत होती है। जो लोग वहां बाप-दादे के जमाने से रहते आये हैं अगर उनको कागजात के देखने की जरूरत होती है तो हल्द्वानी आना पड़ता है। इसलिये मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि १०० साल से जो चीज नैनीताल में थीं उनको वहां से हटाने की क्या आवश्यकता थी। इसलिये अब इन १०० साल पुराने रिकार्ड को नैनीताल में ही लाने की कोशिश की जाय। अगर रिकार्ड आपरेशन्स किसी के गलत हैं तो वह उन पुराने रिकार्ड्स को देखकर सही कर सकता है, जनता नैनीताल जाती है और फिर उसे हल्द्वानी जाना पड़ता है और फिर नैनीताल। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जो १०० साल का दफ्तर नैनीताल में था उसको फिर से नैनीताल में ही रक्खा जाय।

मैं इस बिल के उद्देश्य और मंशा का हृदय से स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं तथा प्रवर समिति के सदस्यों और माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि यह कोई मामूली कानून बनने नहीं जा रहा है इसलिये इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

यदि कुमायूं को देखा जाय तो प्रान्त में वह एक छोटा सा इलाका मालूम होता है। जहां तक इस कानून का सम्बन्ध है आप किसी भी धारा को देखिये उसमें यह कह दिया गया है कि जमींदारी कानून की फलां-फलां धारा को देख लीजिये। अगर प्रवर समिति में ऐसा किया गया तो ठीक नहीं होगा क्योंकि लोग बर्षों से इन्तजार कर रहे हैं कि उनको अधिकार मिलने जा रहे हैं इसलिये जिनको आप रोटी देने जा रहे हैं उनके लिये जो प्रवर समिति के सदस्य हैं उनके पास जायं यानी नैनीताल, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा जिलों में दौरा करें और उसके बाद सही तरीके से अपनी राय दें, तभी सच्चे मानों में यह कानून बन सकेगा।

मैं इस कानून के उद्देश्य का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दो महीने के अन्दर इस हाउस में पेश करे।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत बिल का समर्थन करता हूं और इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव आया है, उसका भी समर्थन करता हूं। इस कानून का सुझाव जब कि सन् १९३७-३९ में कांग्रेस ने असेम्बली में पदार्पण किया था, हमारे सामने आया था और आज इतने वर्षों के बाद सदन में पेश हो रहा है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं। वे इस बात के बड़े इच्छुक रहे हैं कि जमींदारी अबालिशन जो प्लेन्स में हुआ है उसको जल्द से जल्द कुमायूं के जिलों में भी लागू कर दिया जाय। अक्सर लोग यह समझते हैं कि कुमायूं में जमींदारी नहीं है और जो जमींदारों के अत्याचार प्लेन्स में थे वे कुमायूं में नहीं हैं और कुमायूं के गरीब लोग उतने दुःखी नहीं हैं। मैं माननीय सदन के सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि बड़े लोगों के बड़े जुल्म होते हैं लेकिन वह इतने दुःखदायी नहीं होते जितने छोटे लोगों के छोटे जुल्म। उनसे उनकी जिन्दगी बराबर खायी जाती रहती है और लोग सताये जाते रहते हैं। ये छोटे काम, छोटी करतूतें गो कि छोटे पैमानों पर होते हैं वहां की गरीब जनता के लिये अधिक दुःखदायी

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

होते हैं। इसलिये यह नितान्त आवश्यक था कि उनके इन छोटे-छोटे जुल्मों को जल्द से जल्द दूर किया जाता। इस बिल के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं।

यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने, विरोधीदल के लोगों ने आपने कुछ तर्क प्रस्तुत किये, लेकिन जहां तक माननीय डिमरी जी के तर्क हैं उनमें उन्होंने कच्चे और पक्के खायकरों का जिक्र किया और कहा कि पक्के खायकरों को कच्चे खायकरों से ज्यादा अधिकार होते हैं इसलिये उनको अधिक कम्पेन्सेशन हो। मैं माननीय डिमरी जी को यह बता देना चाहता हूं कि पक्के खायकरों का स्टेट्स पहले फुल प्रोप्राइटर का था। उसके डाक्यूमेंट्स मौजूद हैं लेकिन चन्द लोगों ने अपनी पोजीशन का फायदा उठा कर, प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपने प्रभाव का लाभ उठा कर, उनको बन्दोबस्त में खायकर कर दिया। जो लोग पहले से हिस्सेदार थे उनके साथ और जुल्म किया गया। उनकी जायदाद और स्टेट्स को छीन कर उनको पक्का खायकर बना दिया गया। इसलिये उस जोर जुल्म को कंपेन्सेट करना इस सदन का काम है कि वह उसको अनडू कर दे। "इन जस्टिस डन मस्ट बी अनडन"--मैं समझता हूं कि जो उनके साथ अन्याय हुआ है उसको दुरुस्त किया जाय। जहां तक कम्पेनसेशन का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि न्याय की नजर में उनका क्या अधिकार है, मानव समाज की नजरों में क्या अधिकार है, जिन्होंने मानव जाति के उसूलों को तोड़ कर, उनके ऊपर जोर और जुल्म कर उनके स्टेटस को डिस्ट्राय किया, सरकार उन पर मुहर और सील लगाये कि उनको कम्पेनसेशन भी दिया जाय। क्या इसलिये कि उन्होंने बेईमानी की? मैं समझता हूं कि इस तरह की चीटिंग करने वालों का समर्थन करना और उस पर मुहर लगाना अपने को और मानवता को गिराना है। मैं समझता हूं कि आज के संसार में जिनके साथ अन्याय किया गया उनके साथ अवश्य न्याय होना चाहिये। आज यहां पढ़े-लिखे इन्सान जो इस सदन में बैठे हुए हैं क्या वे चाहते हैं कि उनके साथ अन्याय हो? क्या आप चाहते हैं कि जो चोरी-डकैती करने वाले हैं उन पर अपनी मुहर लगावें और उनको जायज करार दें? क्या हम इस सदन में इसीलिये बैठे हुए हैं? मैं स्पष्ट बतला देना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उनकी तारीफ करता हूं कि वे उनकी दिक्कतों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं और मैं समझता हूं कि काफी डाकूमेंट्स और लिटरेचर्स कुमायूं सेटिलमेंट्स के मौजूद हैं, जिससे मालूम होता है कि उन हिस्सेदारों के स्टेट्स को डिस्ट्राय किया गया है।

अब एक दूसरी खास बात खायकर और सीरतानों की है। उनकी भी कई किस्में हैं। एक खायकर तो वे हैं जिन्होंने हिस्सेदारों से जमीन की कीमत अदा करके खरीदी है और उसके रजिस्टर्ड डाकूमेंट्स भी मौजूद हैं, किसी ने प्राइवेट तौर से लिया तो उनके अनरजिस्टर्ड डाकूमेंट्स भी हैं। गुजिस्ता जमाने में उस खायकर का नाम दर्ज था लेकिन हिस्सेदारों ने चाल-बाजी से काम लिया और उनको प्राइवेटतौर से लिखित डाकूमेंट्स ही बजाय रजिस्टर्ड के दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि जब वह मामला कोर्ट के सामने गया और उन डाकूमेन्ट्स के ऊपर लीगल बहस की गयी तो अनरजिस्टर्ड डाकूमेन्ट्स होने की बेसिस पर उसे लीगली एफेक्ट नहीं दिया गया। जब कि खायकरों ने उसकी कीमत अदा की फिर भी उनसे काफी नाजायज फायदा उठाया गया और इस तरह से वे बराबर नाजायज फायदा उठाते आ रहे हैं।

कुछ खायकर और सीरतान ऐसे भी हैं जिनके कब्जे में अभी भी जमीनें चली जा रही हैं लेकिन जमीन पर उनका नाम दर्ज नहीं है। बावजूद रिटेन डाकूमेंट्स के उन पर जमींदारों का ही नाम दर्ज है। इतनी कीमत अदा करने के बाद भी वे इस तरह से परेशान किये जा रहे हैं, फिर इसके लिये एक स्टेटमेंट माननीय मंत्री जी की तरफ से क्यों नहीं दिया जाता कि उनका नाम दर्ज होना चाहिये क्योंकि वे कानून का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जिन लोगों ने अपने भाइयों से रुपया पैसा लेकर दगा किया है और फिर भी उनका नाम दर्ज है, तो इस बीसवीं सदी में भी क्या इस तरह का अन्याय होता ही रहेगा? कोई भी व्यक्ति जिसक अन्दर

न्याय का प्रकाश है, वह इस प्रकाश की किरणों के खिलाफ अपने दिमागी खिड़कियों के दरवाजे को बन्द करके चुप्पी नहीं साधेगा ? मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के कम से कम ६० प्रतिशत केसेज कुमायूं डिवीजन में हैं कि जिनमें लोगों ने नाजायज फायदे उठाये हैं, प्राइवेट लोगों ने एक्सप्लायटेशन किया है और पांच-पांच और सात-सात हजार रुपया खाकर वह जायदादों के मालिक बने हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वह अपनी सपोर्ट न्याय के पक्ष में दें और अन्याय को कुचलने का प्रयास करें, क्योंकि अब वह जमाना आगे आ रहा है कि हमारी आज की यहां की स्पीचेज के ऊपर, हमारे आज के कारनामों पर आगे आने वाले लोग गौर करेंगे और देखेंगे कि हमारे बापदादों ने किस तरह से इस देश को उन्नति की ओर अग्रसर किया, उन्होंने प्रकाश की ओर देश को बढ़ा कर अपने कदम आगे बढ़ाये या अन्याय का साथ देकर मुल्क को गिराया। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यह चीज हमारा पूरा जुडीशियल कंसीडरेशन चाहती है और हमें इस तरह के केसेज को बड़े ध्यान से देखना और समझना चाहिये और हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे मामलों में एक सही निर्णय लें।

इसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पहाड़ के इलाके में एक जमाने में बहुत अंग्रेज आकर बसे और उन्होंने वहां पर अपनी स्टेट्स बनाईं और वहां पर टी-प्लान्टेशन किया। कई-कई गांवों में जमीनें उन्होंने अपने इन स्टेट्स में शामिल कीं और उन्होंने अन्धाधुन्ध तरीके से गांव के लोगों को थोड़ा बहुत मुआवजा देकर या वह भी न देकर जमीनों को अपने कब्जे में किया और उन कदीमी रहने वालों को गांव से निकाल कर बाहर किया। उसके बाद अब समय आया कि जब उन अंग्रेजों को अपनी जायदाद बेचकर जाना पड़ा। उनसे हमारे देश के ही रहनेवालों ने उन टी-स्टेट फार्म्स को लिया और उन सब जमींनों पर जिनमें पड़ोस के और नजदीक के गांव के लोगों का हकूक इस्तमाली था, वहां की लकड़ी पर वहां की घास पर, दरगुजर का हक था, उसके ऊपर उन पर जुर्माना होता है, वह भी चाहे चोरी करें, चाहे जुर्माना दें, उन पर चाहे कितनी भी ज्यादती हो लेकिन हक इस्तेमाल की चीजें वह अब भी निकालते हैं। उन स्टेट्स में चाहे छोटे-छोटे हिस्से जोत के हों, या कल्टीवेशन में हों या बड़े-बड़े जंगल हों वह लोग नाजायज तौर पर काबिज हैं और वहां की घास और लकड़ी के लिये जो गरीब हैं वह तरसते हैं। जिनका वाकई में जहां पर हक है, उनसे लकड़ी और घास के ड्यूज लिये जाते हैं जब कि उस जमीन को किसी ने रिक्लेम नहीं किया, किसी तरह का उस पर किसी का स्वामित्व नहीं था लेकिन आज उस जंगल की तमाम घास, लकड़ी और प्रोडयूस को वह बेंचते हैं और नाजायज लाभ उठाते हैं। जिनका हक इस्तेमाली उस जमीन और जंगल में कदीम से चला आता है उनको वह महरूम करते हैं और उनको जरा-जरा सी घास और लकड़ी के लिये इन नाजायज स्वामियों की शरण में आना पड़ता है। इस चीज का बहुत ही खेद है और उनके साथ यह घोर अन्याय है।

मंत्री जी ने प्राइवेट फारेस्ट का जिक्र किया। मैं उनको उनके सुझाव के लिये बधाई देता हूं और उसका स्वागत करता हूं। यह पहाड़ में टी-स्टेट्स है और वह जमीन जिसको कैसरे हिन्द जमीन कहते हैं जो कि अनअसेस्ड होती है, न कोई उस पर रकम होती है, न उसका नकशा होता है, न उसकी कोई नाप होती है और वह जमीन सरकार की होती है। जो पास के गांव के रहने वाले हैं उनके अधिकार उसकी घास और लकड़ी पर हुआ करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने पिछले जमाने में नाजायज फ़ायदा उठा कर उन जमीनों पर अपना अधिकार जमा लिया है और चारों तरफ एक दीवार घेर दी है और जो लाभ गरीब लोग उठाते थे उससे उनको महरूम कर दिया और तमाम एनक्लोजर्स घेर दिये हैं। मेरा ऐसा खयाल है कि कोई भी ऐसा सदन का सदस्य न होगा कि जो ऐसे लोगों का सपोर्ट देगा। इसको हमें केवल चोरी या डकैती ही नहीं कहना चाहिये बल्कि इसे हाई हैन्डेडनेस या ओपेन राबरी कहना चाहिये। एक दीवार खड़ी करके सारी कम्युनिटी को उनके अधिकारों से डिबार कर दिया है, उनको खत्म कर दिया है। मैं समझता हूं मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें। यह मसला काबिले गौर है और उन गरीबों के ऊपर जो ज्यादतियां होती हैं, उनकी औरतों के सर

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

की चादरें उतार देती हैं, उनसे डयूज लिये जाते हैं, उन पर जुर्माने किये जाते हैं। यह हमको कहां तक शोभा देता है? वह जमीनें जिन पर सारे कानूनी अधिकार थे, एक इनक्लोजर वाल (enclosure wall) बना कर नाजायज तरीके पर, एक आदमी की पाकेट में उसका सारा नाजायज फायदा जा रहा है। उन्हीं बेईमानों के हवाले हमने उस जमीन को कर दिया है। यह सदन किसलिए यहां बैठा हुआ है? हम आज जनता का प्रतिनिधित्व कैसे इस सदन में कर सकते हैं? वह जिम्मेदारी जो हमारे कंधों के ऊपर इन्साफ करने की है, यह सदन उस इन्साफ का मूल स्थान है।

श्री चरणसिंह—क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि कुछ फायर और जोश सेलेक्ट कमेटी के लिए छोड़ दें?

श्री चन्द्रसिंह रावत—इस प्रकार की ज्यादतियां जहां कहीं भी पायी जाती हैं, चाहे पहाड़ों की चोटियों में हों, या मैदानों में हों, या तराई और भावर के जंगलों में हों, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की ज्यादतियां मंत्री महोदय आज हमसे स्वीकार कराने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस इंजस्टिस को अनडू करना ही होगा।

इसके साथ-साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि डिप्रेस्ड क्लास की पहाड़ों में बड़ी बुरी दशा थी। पहाड़ों में केवल तीन ही क्लास के लोग रहा करते हैं। बनिया क्लास, वहां पर इक्का दुक्का मिलेगा जो व्यापार करने के लिए चले गये। वहां पर या तो ठाकुर और पंडितों की बस्ती है या डिप्रेस्ड क्लास की बस्ती है। डिप्रेस्ड क्लास पर उन लोगों ने बड़े जुल्म ढाये हैं। इसके लिए हम बड़ा पश्चाताप करते हैं। उन लोगों से गांवों में फ्री सर्विसेज ली जाती थीं। उनको कपड़े सिलने पड़ते थे। शादियों में बाजा बजाना पड़ता था। इस प्रकार के व्यवहार को देखकर मानवता रोती हुई नजर आती थी। इन्सान का बच्चा इन्सान के बच्चे के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है। पहाड़ की चोटियों पर चट्टानों को तोड़ कर वह उस जमीन को पैदा करे—कहा जाता है कि कानूनी सबूत चाहिए, मैं कहता हूं कि पूरा सबूत है। उन्होंने उन चट्टानों को तोड़ा है। वहां पर उनकी गोशाला मौजूद है। उनका बगीचा मौजूद है। हल मौजूद है, छः पुश्तों से उस पर काबिज हैं। इस से ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? उस इलाके के अन्दर किसी की भी एक इंच जमीन नहीं है। उसका एकाधिकार है। तीन बन्दोबस्त गढ़वाल में हुए। चौथा बन्दोबस्त १९३७ में हुआ, लेकिन वह जमीनें ठाकुरों और पंडितों के कागजों में दर्ज कर दी गयीं। उन बेचारे गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हुई। उन अफसरों में अधिकतर ठाकुर और पंडित थे और जो मुसलमान थे वह भी ठाकुरों और पंडितों के साथ साइड करना पसन्द करते थे। वह उन गिरे हुए लोगों के साथ अपने को शामिल करना अपनी बेइज्जती समझते थे। इस प्रकार जिन लोगों ने अपना पसीना बहा कर, अपनी मेहनत से चट्टानों को काट कर खेतों को बनाया और छः-छः पुश्तों से उन पर काबिज हैं, अगर उन लोगों को वही स्टेट्स दी जाती हैं जो कि हमारी इन्स्ट्रक्शन्स हैं और जो कि ऐप्रिहेन्ड किया गया था, इस बिल में, उनका कोई स्टेट्स है ही नहीं तो उनके लिए और कोई चारा ही नहीं है, सिवाय इसके कि अपने सीरतानी के स्टेट्स को रिकग्नाइज कराने के लिए कोर्ट में जायं। मैं कहता हूं अगर उनके ऊपर ज्यादती होगी अगर उनको कानून की शरण लेनी पड़े तो गांव का कोई आदमी उन के फेवर में सबूत देने को तैयार नहीं है। सरकारी अफसरों को भी हमदर्दी उनके साथ नहीं है। वे लोग भी ठाकुरों और पंडितों के साथ हमदर्दी दिखाते हैं। जहां इस प्रकार के केसेज हों, उनके लिए मैं एक सुझाव देता हूं, एक आफिसर जिसको फर्स्ट क्लास असिस्टेंट कलेक्टर की पावर्स हों, उसको समरी पावर्स देनी चाहिए कि आन दि स्पाट अगर वह देखता है, कि इन जमीनों के ऊपर शिल्पकार काबिज हैं और वे लोग पुश्तों से उस पर काबिज हैं तो समरी प्रोसीडिंग्स के आधार पर वहीं फैसला हो जाना चाहिए और वह फैसला फाइनल हो। उससे उन गरीबों को राहत मिल सकती है और सेटिलमेंट आपरेशन्स में वह जमीन उनकी खुदकाश्त में दर्ज की जा सकती है। अगर ऐसा नहीं है

तो मैं समझता हूं उन लोगों को इस कानून के जरिये से बेदखल किया जायगा और कहीं भी कोई राहत उनको नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे पहाड़ी इलाकों में जहां कहीं भी ऐसी जमीनें हों, और बहुत बड़ी तादाद में हैं, जिनका सम्बन्ध गरीबों से है . . . .

श्री चरणसिंह---आपकी इजाजत से अधिष्ठाता महोदय, एक बात अपने मित्र को बता देना चाहता हूं। अब तक के जो कागजात हैं उनके हिसाब से ५ ही फी सदी सीरतानों का नाम दर्ज है। लेकिन रिकार्ड आपरेशन्स से १५, २० और २५ फी सदी तक नाम दर्ज हो रहे हैं। लिहाजा यह अन्देशा कि सेटिलमेंट में नाम दर्ज हो जायेंगे दूसरों के सही इन्दराज नहीं होंगे, यह निराधार है। इस आपरेशन के खिलाफ जो वावेला है उसका एक कारण यही है कि सही इन्दराज हो रहे हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत---मुझे खुशी है कि मन्त्री जी ने सही पिक्चर मुझे बतायी। गढ़वाल के उस हिस्से में और पहाड़ों के उन इलाकों में जहां सेटिलमेंट आपरेशन्स हो चुके हैं या जारी हैं उनकी जो कैफियत है उसको देखकर हमें बड़ा दुख होता है। हम आपको केसेज बतायेंगे कि वह जमीन उनके कब्जे में नहीं दिखलायी गयी, ठाकुर और पंडित इतने तगड़े हैं कि कोई ऐसी बात रिकार्ड हो जाना उन गरीबों के हक में नामुमकिन दिखायी देती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिम्मेवार अफसरों को सेटिलमेंट आपरेशन्स के पहले ऐसी पावर दी जाय कि आन दि स्पाट जाकर समरी प्रोसीडिंग्स में फैसला देने का अख्तियार हो। इससे मैं समझता हूं उन गरीबों को फायदा होगा। इतना ही नहीं, मैं और बताना चाहता हूं कि जिन लोगों क नाम पर खायकरी और सीरतानी दर्ज है काबिज होते हुए भी उनके नाम खायकरी और सीरतानी में दर्ज नहीं है। ऐसे केसेज आज भी मौजूद हैं। इसी सदन के एक माननीय सदस्य के गांव में एक किस्सा हुआ और उनके सारे इलाके में, क्योंकि अभी अपर गढ़वाल में आपरेशन्स हुए, वहां जो मुसीबतें और दिक्कतें, उन गरीबों के सामने आयीं और जिनका उन्हें मुकाबला करना पड़ रहा है उसका मुझे खेद है। यह ठीक है कि कानूनन उन्हें फायदा होना चाहिए, लकिन जोर और जबरदस्ती का सामना कानून क्या करेगा या तो वे कानून की शरण में जायें या फिर चुप बैठे रहें, जो ज्यादातर होता है। अगर कानून की शरण में जाते हैं तो उनका कोई साथ देने को तैयार नहीं है, दुनिया भर के आदमियों को अपनी तरफ पहले करें, इतनी बड़ी मशीनरी को मूव करना गरीबों के बस की बात नहीं है। इसलिए समरी प्रोसीडिंग्स से कोई राहत उनको दी जा सकती है, तो उससे फायदा हो सकेगा।

इसके साथ मन्त्री महोदय को कुछ फैक्ट्स और बताना चाहता हूं। बहुत से लोगों ने कई गांवों के अन्दर जंगलों को अपने नाम दर्ज करा लिया। वह जमीनें अभी जंगल की जंगल पड़ी हुई हैं, फारेस्ट का क्लियरेंस नहीं हुआ है। उसको न तो खेत की शक्ल दी गयी है और न तो कोई उपज उगायी गयी है। इसलिए मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ऐसे फिक्टीशस इन्दराज, इस तरह के गलत इन्दराज, बन्दोबस्त के दौरान में हमारे सरकारी अफसरों ने कर दिये हैं। मुझे खेद है एक आदमी ने जो बहुत जिम्मेदार आदमी हैं, कई गांव की जमीन अपने नाम दर्ज करा ली। आज भी वह इन्दराज उनके नाम मौजूद है। वह उसका लैण्ड रेवेन्यू पे करते हैं और उस जमीन के वह मालिक बने हुए हैं जब कि आज तक उस जमीन को उन्होंने रिक्लेम नहीं कराया, वह जंगल का जंगल वैसे ही पड़ा है। जैसी उसकी हालत पहले थी, वैसी ही अब भी है। मैं समझता हूं कि इस तरह के फर्जी इन्दराजों को खत्म किया जाना चाहिए। इसके लिए एक पाजिटिव डाइरेक्टिव हमारे अफसरान को होना चाहिए कि इस तरह के फर्जी इन्दराज फौरन खारिज किये जायं और उस लैण्ड को उसी स्टेट्स को रिवर्ट होना चाहिए जो कि उसका स्टेट्स आन दि स्पाट है, फर्जी इन्दराज के पहले जो उसका स्टेट्स था वही स्टेट्स होना चाहिए।

यहां पर हमारे माननीय सदस्य प्रतापसिंह जी ने बहुत से तर्क रखे। मुझे इसका खेद है कि उनके आर्ग्युमेंट्स बहुत ही मडिल-हेडेड आर्ग्युमेंट्स हैं जो उन्होंने इस सदन में पेश

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

किये। कुमायूं में क्या लैण्ड रिफार्म होना चाहिए इसका कोई क्लियर पिक्चर उन्होंने नहीं पेश किया . . .

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रख रहा हूं। क्या मडिल हेडेड शब्द पार्लियामेंटरी है।

श्री अधिष्ठाता—मडिल हेडेड तो पार्लियामेंटरी है।

श्री चन्द्रसिंह रावत—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि उनकी हमदर्दियां उन सीरतानों के प्रति जो कुमायूं में रहते, बड़े जोरों से उमड़ आयीं। आपने सीलिंग फिक्स करने की बात कही और दूसरे दूसरे स्टेटों का उदाहरण दिया। हिमांचल प्रदेश का आप ने बताया और और जगहों का बताया जहां कि पांच-पांच सौ, छः-छः सौ, चार-चार सौ नालो पर सीलिंग फिक्स की गयी है। कहने का मतलब यह है कि अगर हिस्सेदार के पास उतनी नालियां नहीं हैं तो सीरतानों को डिसपजेस करके जमीन दी जाय। मैं बताना चाहता हूं कि आपने जो दूसरे स्टेटों के उदाहरण रखे तो क्या आपका दृष्टिकोण यह नहीं था कि हमारे कुमायूं डिवीजन में भी सीलिंग फिक्स होनी चाहिए? मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक वोट कैचिंग डिवाइस है। अगर हम वोट कैचिंग डिवाइस को प्रैक्टिस करते हैं, इस दृष्टिकोण से हम अपने भाषण को इस सदन में रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम अपने राष्ट्र के साथ एक बड़ा विश्वासघात करते हैं। हमें न्याय के स्केल पर उन बातों को तौलना होगा। आज उन हिस्सेदारों के पास ४० नालियां जमीन भी नहीं है। २० नाली का एक एकड़ होता है। दो एकड़ से भी कम उन हिस्सेदारों के पास है। एक रुपया रकमी जमीन, जिसका कि एक नाली पर एक रुपया पड़ता है, इस तरह के एक रुपये से कम के हिस्सेदार हमारे पहाड़ों के अन्दर ९५ प्रतिशत हैं। हां, चन्द लोग जिनको कि जमींदार कह सकते हैं, उनके पास कुछ जमीन है। हालांकि वह असली जमींदार नहीं हैं, लेकिन उनको अपनी उस छोटी सी जमींदारी पर नाज है। हम मानते हैं कि वह जमींदार हैं लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वहां सीलिंग की बात आप करेंगे तो मैं माननीय प्रतापसिंह जी को निमन्त्रण देता हूं कि सीलिंग की बात कुमायूं में करिये और बताइये इस सरकार के रेकर्ड से कौन सी जमीनें हैं जिनमें कि सीलिंग फिक्स होनी चाहिए। क्या सीलिंग की बात आप करते हैं? ९५ फी सदी लोगों को मौरूसी जमीन जायदाद को उनके कब्जे से महरूम करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह नहीं होना चाहिए और न यह कानून की मंशा है। यह एक वोट कैचिंग डिवाइस है जो बहुत सी तकदीरों का फैसला करने जा रहा है। यह वोट कैचिंग डिवाइस का तरीका है जिस को हम नहीं मानेंगे। हम उन्हीं बातों को मानेंगे जिनके अन्दर तथ्य है, सत्यता है, जो सच्चाई के पक्ष में हैं। हम अन्याय के पक्ष की ओर अपना मत नहीं दे सकते चाहे वह कोई भी पक्ष हो। हम ईमानदारी और सत्यता को देखते हैं। मानवता को देखते हुए हम अपने डिसीजन व आर्ग्युमेंट का फुलफोर्स डाइरेक्ट करेंगे। इसलिए, अधिष्ठाता महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि एक ओर तो सीरतानों के साथ हमदर्दी बतायी जाती है और दूसरी ओर सीलिंग की बात कही जाती है। ये दोनों बातें एक दूसरें से इन्कान्सिस्टेंट हैं।

श्री प्रताप सिंह—प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन। जहां तक मुझे याद है, मैंने सीलिंग की बात नहीं कही। मैंने तो रिज्यूम की बात कही थी, कितनी जमीन वापिस ले सकता है, इस सम्बन्ध में कहा था।

श्री चन्द्रसिंह रावत—एक दलील और पेश की जाती है कि सन् १९३९ से लेकर आज तक यह कुमायूं लैण्ड रिफार्म्स ऐक्ट पड़ा रहा, अब तक इसको पास हो जाना चाहिए था, क्योंकि उससे सैकड़ों, हजारों और लाखों जिन्दगियों पर असर पड़ता है और जितनी देरी सन् १९३९ से लेकर आज तक हुई उस में बहुत से गरीबों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि यह कानून

जल्दी से जल्दी पास नहीं हुआ। यही मैं उनकी दलील व तकरीर का मतलब समझता हूं। लेकिन इसके साथ ही यह भी दलील व तकरीर दी जाती है क्योंकि पहाड़ में सेटिलमेंट नहीं हुआ, रेकार्ड तैयार नहीं हुए, जब तक वे तैयार न हो जायं, तब तक उस बिल को सदन में पेश नहीं करना चाहिए था।

एक ओर मांग होती है कि इस कानून को जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए और दूसरी ओर उसी मांग को थ्रू दि बैक डोर वापस लिया जाता है और कहा जाता है कि इस कानून को तो तभी पास होना चाहिए जब सेटिलमेंट आपरेशन्स कम्पलीट हो जायं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की इन्कान्सिस्टेंट दलीलों को इस सदन में कोई स्थान नहीं है, कोई भी अक्लमन्द आदमी, इस बात को कबूल नहीं कर सकता कि जो दलीलें और तकरीरें दी जा रही हैं, वे न्यायोचित हैं। जो न्याय करना जानते हैं वे यही कहेंगे कि हम ऐसी तकरीर को पसन्द नहीं करेंगे और ऐसे आर्ग्युमेंट्स को कोई वेट नहीं देंगे जो साइमल्टेनियसली एक दूसरे के इन्कांसिस्टेंट हों। जो बिल माननीय मन्त्री ने यहां इन्ट्रोडयूस किया है मैं उस का स्वागत करता हूं। एक कदम उन्होंने उठाया जिसको उठाना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं, मैं इससे सहमत हूं, कि यह कदम देर में उठा। चाहे कोई भी इसका कारण हो, लेकिन यह कानून ला कर माननीय मन्त्री ने काफी हमारी इमदाद की। उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं।

इसके अलावा, मैं यह भी मन्त्री महोदय को, आपके द्वारा, बताना चाहता हूं कि जहां तक कम्पेन्सेशन का प्रश्न है बहुत सी जमीनों के मुताल्लिक वह दिया जा सकता है। बहुत सी जमीनें खायकरों और सीरतानों के पास हैं। वे एक बिलकुल सेपरेट गांव में रहते हैं हिस्सेदार २० मील, ४० मील, ८०-८० मील दूर रहते हैं। उन्होंने कभी उस जमीन को देखा नहीं। जो खेतों पर काबिज थे, उन्होंने उससे फायदा उठा कर कागजात में अपना नाम दर्ज करा लिया। हिस्सेदारों की न वह जमीन रही और न उनका कब्जा रहा। अगर यह कहा जाय कि कम्पेन्सेशन इसलिए दिया जाना चाहिए कि जमीन पर उन्होंने रुपया इन्वेस्ट किया, मेहनत की, तो यह बात समझ में आती है। ऐसी जमीनों का अवश्य कम्पेन्सेशन होना चाहिए, जिनको जमींदारों ने ऐट देयर ओन कास्ट कल्टीवेट किया हो, रिक्लेम किया हो, रुपया खर्च किया हो, मेहनत की हो। परन्तु इस प्रकार की जमीनें जो शायद रेकार्ड में भी मौजूद हैं और जो मौके से भी जान पड़ता है कि किन-किन गांवों में उनके मकान थे, खुदकाश्त थी, इस प्रकार की जमीनों की जो टेनेंसी हैं, उन पर किसी भी कम्पेन्सेशन की बात करना मैं समझता हूं वह न्याय के प्रतिकूल होगा, वह न्यायसंगत नहीं होगा।

श्री चरणसिंह--यह तो आप पहले भी कह चुके हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत--क्षमा चाहता हूं, अगर मैंने रिपीट किया है। इस लिए मन्त्री महोदय इन बातों को अवश्य नोट कर लें और मैं चाहता हूं कि जब यह बिल सेलेक्ट कमेटी के पास जाता है तो इन प्वाइंट्स के ऊपर अवश्य कार्य होना चाहिए ताकि वहां जो ये छोटे-छोटे जोर जुल्म हैं जो कि लोगों को दुखी बनाये हुए हैं वह खत्म किये जा सकें।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक कम्पेंसेशन का प्रश्न है और मैंने सुना है, बन्दोबस्त में यही हो रहा है कि जिनका ४-६ साल का कब्जा है उनके नाम पर कब्जा दर्ज किया जा रहा है, इसके लिए मैंने पहल भी दरख्वास्त की थी और फिर कहता हूं कि जिन लोगों की जमीनें बहुत छोटी हैं, जो कि प्लेन्स में थे--पुलिस में और फौज में थे--कुल फौज में तो खैर प्रोटेक्शन है--लेकिन दूसरी नौकरियों में जो रहते हैं, जिन्होंने अपनी छोटी जमीनों को अपने किन्समेन के हवाले किया है कि वह उनकी गैर-हाजिरी में आबाद करें, मैं चाहता था कि उन गरीबों को उन जमीनों से महरूम न कर दिया जाय। इससे बड़ा डिस्कन्टेंटमेंट है और खासकर विरोधी पक्ष के लोगों ने इस बात को उड़ाया है कि सरकार उन गरीबों को उन छोटी जमीनों से महरूम करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि यह फाल्स प्रोपेगेन्डा उन लोगों का साबित होना चाहिए कि सरकार का कोई इस प्रकार का इरादा नहीं है। यही मेरी दरख्वास्त है।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं डिमरी जी के इस प्रस्ताव का कि यह बिल जनता की राय के लिये प्रसारित किया जाय, समर्थन करता हूं। विरोधी दल के भाषणों के बाद तो मुझे शंका थी कि सब जनता की ऐसी राय हो, लेकिन श्री चन्द्रसिंह जी के भाषण के बाद वह शंका दूर हो गयी है और ऐसा जान पड़ता है कि शायद इसमें कोई जनता की राय या और व्यक्तियों की राय नहीं ली गयी हैं और इस विधेयक को मंत्री महोदय ने अपनी विशेष राय से प्रस्तुत कर दिया है, क्योंकि उन्होंने भी सदन के सामने वही रायें प्रस्तुत कीं जो हम लोगों ने की थीं।

पहाड़ों में किसानों की दशा, चाहे वह हिस्सेदार हों, खायकर हों, सीरतान हों, सवर्ण हों या शिल्पकार हों, लगभग सब की एक सी है। सभी बहुत गरीब हैं सबके पास ४०–५० नाली के लगभग भूमि होती है और बहुत से लोग तो इतना भी नहीं पैदा कर सकते कि वहां के अन्न से ही अपना भरण-पोषण कर सकें। भावर में भूमि लिये हुये हैं और ऐसी खेती करते हैं कि ४–५ महीने खेत जोतकर प्लेन्स में आ जाते हैं और फिर यहां जोतते हैं। इस प्रकार दौड़-दौड़ कर खेती करते हैं। जब मैंने इस बिल की ओर देखा तो मुझे पता लगा कि उसी प्रकार वहां भी १० गुना और १५ गुना वसूल करने की व्यवस्था है, बल्कि उसमें एक प्रकार से समय में कमी कर दी गयी है। एक साल के अन्दर ही वह विशेष व्यवस्थायें सीरतान को या खायकर को दी गयी हैं कि उस वर्ष के अन्दर वह १५ गुना व १० गुना नहीं दे सकते, जो कि उनके लिये मेरे खयाल से बड़ा कठिन है, तो वह विशेष छूट जो कि जमींदार के लगान में आधा करने की है वह नहीं मिलने वाली है। जैसा कि यहां के रेकार्ड्स से पता चलता है, एक साल तो काश्तकार का पता ही नहीं चल पाता और एक साल तक वह अदालतों में मारा-मारा फिरता है और ऐसी दशा में जब कि ५०–६० वर्ष से पहाड़ों में कोई सेटिलमेंट नहीं हुआ तो वह कैसे जान सकेगा कि ५ प्रतिशत के बजाय १५ या २५ प्रतिशत जो भी हो, उसको क्या अधिकार प्राप्त होंगे और कौन सी विशेष सुविधा उसे होगी और किस प्रकार से १० गुना या १५ गुना लगान देकर वह उन अधिकारों को प्राप्त कर सकेगा, इसमें मुझे अवश्य शंका होती है। तो यह एक वर्ष का समय.....

श्री चरण सिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात अर्ज कर दूं। वैसे मैं कहना नहीं चाहता, शायद बुरी लगेगी। मैं कहना चाहता था और बिल में भी दिया हुआ है कि जैसे सेटिलमेंट्स आपरेशन्स होते जायेंगे, यह ऐक्ट लागू होता जायेगा और हर किसान को पर्ची मिलती जायगी जिससे उसे उसका राइट मालूम हो जायगा। इसमें लिटीगेशन का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—जैसा कि आपने अभी बताया कि हर किसान को पर्ची मि जायगी, लेकिन पर्ची पहुंचने की जो व्यवस्था है उसमें न जाने कितना समय लग जायगा जब कि सरकार के पास नौ रोज के बाद सूचना आई है कि एक गांव बह गया। मैं नहीं कह रहा था कि पर्चियां नहीं भेजेंगे और इस सम्बन्ध में कोई शंका नहीं कर रहा था, लेकिन जैसा कि मैं जानता हूं कि वहां के पटवारियों के पास काफी बड़ा क्षेत्र होता है और इसके अलावा उनको पुलिस का भी कार्य करना पड़ता है, इसलिये उनके लिये सम्भव नहीं है। क्योंकि उनके पास जो खतौनी और खसरा वगैरह रहते हैं, उसके लिये उनको समय नहीं मिल पाता है सिवाय इसके कि नक्शे पर इंदराज बना दिये गये हैं और कागजात पर इंदराज नहीं कर सके।

मैं अपने निजी अनुभव की बात बताता हूं। मैंने एक बार २५० परिवारों के सम्बन्ध में यह अनुभव करने के लिये कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन मैं किसी भी रूप में सरकारी आंकड़े से मिला नहीं पाया कि उनके पास किस प्रकार की कितनी भूमि थी। हां, तो मैं एक वर्ष के समय की बात कह रहा था जो रुपया वसूल करने के लिये रखी है। इन पहाड़ी इलाकों के लिये जहां कि लोगों के पास भोजन तक के लिये अन्न नहीं होता है एक दम से दस साल का लगान मांग लेंगे तो यह सीरतानों के ऊपर बड़ी ज्यादती होगी।

जहां तक शिल्पकारों का प्रश्न है, यह जानी हुई बात है कि वह लोग बहुत दिनों से भूमि पर मेहनत करते चले आये हैं लेकिन उनका नाम बहुत कम स्थानों पर दर्ज है। इसलिये जैसा कि आपने यहां कायदा रखा है कि जिसका नाम एक वर्ष या तीन वर्ष के रिकार्ड में होगा उसी तरह से वहां भी कायदा रखा होगा तो किस तरह से अपने अधिकार प्राप्त करेंगे। मेरी दिक्कत इसलिये और भी बढ़ गयी है जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि आपने जगह-जगह जमींदारी उन्मूलन का हवाला रख दिया है कि फलां धारा लागू होती है तो इससे बड़ी कठिनाई है या तो उसका अध्ययन किया जाय या उनको सदन की मेज पर रक्खा जाना चाहिये। मैं यह कह रहा था कि कुमायूं के लोगों की राय के लिये इस बिल को दो महीने के लिये भेजा जाय। यहां पर शायद सीरतानों में से कोई नहीं है और हम लोग इस सम्बन्ध में अधिक राय नहीं दे सकते। सीरतानों में से यहां कोई नहीं जो बता सके कि उनको क्या दिक्कत है? वहां के लोगों के जो कष्ट हैं उनको वही लोग रख सकते हैं इसलिये यदि उनको समय दिया जाय तो बड़ा अच्छा है।

इस रुपया लेने के सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि सरकार जब रुपया देती है। तो छोटी दर पर देती है शायद यहां बान्ड्स पर ढाई फीसदी रखा है। इसलिये वहां के काश्तकारों से किस्तों में से लेलें और पांच साल का समय इसके लिये रख दें और रुपये को छोटी रेट आफ इंटरेस्ट के साथ रखकर वहां के सीरतानों को और खायकरों को सुविधा दें तो अच्छा होगा। रावत जी ने अभी बताया कि वहां बहुत से खायकर ऐसे हैं कि जिनको हिस्सेदार के बराबर अधिकार होना चाहिये था, लेकिन कुछ बड़े व्यक्तियों के कारण और ऊपर के लोगों से उनका सम्बन्ध होने के कारण उन्हें पहले से हिस्सेदार के अधिकार नहीं मिल सकें हैं और वे अभी तक उससे महरूम रह गये हैं इस पर भी मंत्री महोदय को विचार करना चाहिये कि उनको अब कोई अधिकार मिलना चाहिये या नहीं।

कच्ची खायकरी के सम्बन्ध में भी वे लोग जिन्होंने जमीन खरीदी है उन्होंने उसका देना लेना लिखित रूप से किया हो यह तो बहुत ही मुश्किल है जब लैंड रिकार्ड ही नहीं ठीक थे। आसानी से जो उनके लिये सम्भव हो सका वह यही कि जिस खायकर का कब्जा हुआ उससे उन्होंने खरीद लिया। तो मेरे खयाल से यही इस बात का प्रमाण समझा जाय कि उनका उस खेत पर अधिकार है और उनको भी उस प्रकार के अधिकार होने चाहिये जो कि अन्य पक्के खायकरों को हैं।

अब मैं आप के सामने एक और बात, जो विशेष रूप से की है, वह रखना चाहता हूं। वहां के जो हिस्सेदार भी हैं उनके पास भी बहुत ही थोड़ी जमीन है। औसतन ४० या ५० नाली जमीन उनके पास है। जैसा कि अभी-अभी सीलिंग की बात चली है, मैं व्यक्तिगत राय प्रकट कर रहा हूं कि जितनी जमीन में एक व्यक्ति विशेष के परिवार के भोजन की तथा रहन-सहन की व्यवस्था हो सके वह अनुपयुक्त न होगा। उस से कम सीलिंग रखना, मैं समझता हूं, सरकार की ओर से विशेष ज्यादती होगी।

अन्त में मैं फिर, आपके द्वारा, मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जैसा कि डिमरी जी ने प्रस्ताव रखा है कि यह जनता की राय के लिये भेज दिया जाय उसको वे मान लें। उसके बाद भी उनको दो महीने का समय मिलता है जब कि यहां पर यह बिल आ सकेगा।

*श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश का एक भू-भाग अभी तक जमींदारी के शिकंजे में जकड़ा हुआ कराह रहा है। आज उसके उन्मूलन के लिये विधेयक लाया गया है। इसका मैं स्वागत करते हुये अपने उन भाइयों से निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि वे लोग इस बात की जिद छोड़ें कि इसका वितरण किया जाय। सेलेक्ट कमेटी के पास बिल को भेजने के लिये जब मंत्री महोदय ने रखा है तो फिर वितरण करने का प्रश्न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलक्षण तिवारी]

कुछ उचित नहीं प्रतीत होता। सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरों के पास या गवर्नमेंट के पास जो भी उचित सुझाव हों वे भेजे जा सकते हैं। वहां की जनता की ओर से जो लोग बोलने वाले हैं या जो कुछ काम करने वाले हैं उन लोगों को पूरा हक है कि वे इस विधेयक के सम्बन्ध में अपनी सम्मति सरकार के पास और सेलेक्ट कमेटी के सामने प्रस्तुत करें। इसलिये केवल यह कहना कि अगर कोई बिल उपस्थित हो तो पहले वह प्रवर समिति में भेजा जाय और अगर सरकार स्वयं उसको प्रवर समिति में भेजने को तैयार हो तो कहा जाय कि उसका वितरण कराया जाय और अगर वितरण कराने के लिये सरकार कहे तो कुछ और बात कह कर किसी न किसी रूप में विरोध किया जाय और हर चीज के लिये ऐसा किया जाय जैसे कि विरोध जरूरी है। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आती। आमतौर से प्रगतिशील विचार के लोग ही विरोधी पक्ष की बेंचेज पर बैठते हैं, बैठने का दावा करते हैं, लेकिन उन्हीं की ओर से इस तरह की दलील उपस्थित करना जिसमें बिल के पास होने में देर हो, यह कुछ उचित नहीं प्रतीत होता। मैं तो उन लोगों को पुकार कर कहना चाहता हूं कि वे लोग यथाशीघ्र इस कलंक को मिटाने के लिये इस बिल को, जैसा सरकार प्रस्ताव लायी है, प्रवर समिति में भेजने के लिये उसका समर्थन करें और पास करायें और जो उनके सुझाव हों उनको वे प्रवर समिति के सामने भेजें। हमारे उत्तर प्रदेश में यह कलंक का टीका अभी लगा हुआ है कि कुमायूं से अभी तक जमींदारी विनाश नहीं हुआ, हमको चाहिये कि उसको मिटाने में हम सरकार के सहायक बनें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस बिल का समर्थन करता हूं और विरोधी पक्ष के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि समय को पहचान करके, उसके तकाजे को समझ कर, जल्दी के लिये वह इस बिल का समर्थन करें और सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये जो सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करें। बिल की जो और बातें हैं, उन पर बहुत से भाइयों ने यहां पर बोलना शुरू कर दिया, लेकिन जब यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जा रहा है तो इसको पुनः यहां आना है उसके पहले इसकी धाराओं पर और अन्य चीजों पर विवाद करना मैं अनुपयुक्त और असामयिक समझता हूं। मैं आशा करता हूं कि सभी भाई एकमत होकर इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजकर के इसको यथाशीघ्र पारित करने की चेष्टा करेंगे।

श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अधिष्ठाता महोदय, जो बिल आज यहां पर प्रस्तुत है उसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं और उनके प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। यह बिल बहुत महत्व रखता है और मैं मंत्री जी की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने गढ़वाल में जमींदारी विनाश की ओर ध्यान दिया। वैसे तो यह बहुत दिनों से पड़ा हुआ था किन्तु अब इस ओर ध्यान दिया गया है इसके लिये मैं गढ़वाल की ओर से मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं।

हमारा गढ़वाल जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है और उसमें हर तरह की कमी है। अक्सर भुखमरी की सी हालत वहां रहती है। जमीन बिलकुल नहीं के बराबर वहां है, जो खेत हैं वे जमीन से खोदकर निकाले जाते हैं और सीढ़ीनुमा बनाये जाते हैं। उनके लिये हर समय डर लगा रहता है कि किसी दैवी प्रकोप से नष्ट न हो जायं। जिस प्रकार तलवार के नीचे बकरे की गर्दन रहती है उसी प्रकार का हाल वहां के खेतों का रहता है। मेरा आप से यह निवेदन है कि कुमायूं में जमींदारी-विनाश के लिये जो कार्यवाही कर सकते हों करें और पुराने कागजात जो आये हैं, जिन पर गौर नहीं किया जा सका है उन पर मेरा निवेदन है कि गौर किया जाय। हमारे गढ़वाल में गरीबी है और लोगों के पास रोजगार नहीं है इस कारण वे यहां मैदानों में छोटी-छोटी नौकरी करने चले आते हैं। यदि उनको वहीं रोजगार मिल जाय तो उनको यहां आकर रोजगार तलाश करने की जरूरत नहीं रहेगी। वह एक पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां हर चीज की कमी है। वहां की आवश्यकताओं पर जैसे-जैसे मौका मिलेगा मैं प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगी। मैं नहीं कहती कि जादू की लकड़ी फेर देने की तरह से वहां पर उन्नति

हो जाय किन्तु जितना भी धीरे-धीरे हो सकता है, किया जाय । वहां पर बहुत कुछ उन्नति हो चुकी है । आगे के लिये मैं आशा करती हूं कि वहां उन्नति के लिये सरकार अपन कदम बढ़ायेगी ।

अन्त में मैं पुनः इस बिल के उद्देश्यों का समर्थन करती हूं और माननीय मंत्री को धन्यवाद देती हूं ।

उत्तर प्रदेश के मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के सम्बन्ध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९५७ को स्थगित करने की प्रार्थना

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--क्या आज के एजेन्डा पर मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के सम्बन्ध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९५७ लिखा हुआ है । मैं आप से यह निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि इसे अनिश्चित काल तक क लिये स्थगित करने की आज्ञा प्रदान करें । उसका कारण यह हुआ है कि भारत सरकार की ओर से इस बिल के सम्बन्ध में कुछ नये सुझाव आ गये हैं । उन पर विचार करने का अभी अवसर नहीं मिला है । इसलिये इसको पोस्टपोन करने की आज्ञा प्रदान करें कि यह सम्प्रति एजेन्डे से हटा दिया जाय ।

श्री नारायणदत तिवारी (जिला नैनीताल)--वैसे तो मुझ इस बिल क सम्बन्ध म कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन मेरे विचार से इस कुमायूं जमींदारी बिल पर विचार समाप्त हो जाने के बाद अगर यह प्रस्ताव करते तो ज्यादा उचित होता । इस बिल के बीच में अकस्मात् इस तरह का प्रयास, मैं समझता हूं, हमारे सदन की परम्परा के अनुसार उचित नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--आप कई दफा इस तरह का ऐतराज उठा चुके हैं । यहां पर इस तरह की परम्परा चली आयी है कि बीच में इस तरह की बातें आ जाती ह ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के सम्बन्ध म असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९५७ अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कुमायूं जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ (क्रमागत)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--आज जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बतलाया है कि इतने दिनों के बाद आज कुमायूं डिवीजन के अन्दर हम जमींदारी-विनाश करने जा रहे हैं । माल मंत्री महोदय ने जो बिल पेश किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं इसलिये कि यह व्यवस्था जो हमारे देश के अन्दर सदियों से चली आ रही है उसके अन्दर आज भी कुछ हिस्से में किसान कराह रहे थे । जैसा कि हमारे साथी ने बतलाया कि माननीय मंत्री जी को इस बात की कोशिश बहुत पहले से करनी चाहिये थी । लेकिन देर में ही सही अब यह विधेयक सदन क सामने आ चुका है कि कुमायूं में जमीदारी का खात्मा हो । मैं मंत्री महोदय से आप के जरिये एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे इस प्रदेश के अन्दर जमींदारी-विनाश का बिल लाया गया है और उसको पास करने में बहुत ज्यादा देर लगी और यहां के जमींदारों ने परती, बन्जर, तालाब, जंगल और इस तरह की जो जमीन थी उसका उन्होंने बन्दोबस्त

[श्री ऊदल]

कर दिया जिससे गांव में रहने वाले किसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी, तो इस तरह से कुमायूं के इलाके में जितनी ऐसी जमीन हैं जो सार्वजनिक कार्यों में आती हैं उनका वहां के जमींदार प्रबन्ध न कर दें जिससे वहां के किसानों के लिये कुछ खतरा पैदा हो।.....

श्री चरणसिंह---इस तरह की बात कहने से पहले माननीय सदस्य को यह मालूम करना चाहिये कि वहां पर इस तरह की जमीन है या नहीं। इस तरह की जमीन की मालिक वहां पर सरकार है। इसलिये वहां पर इस तरह का सवाल नहीं उठता।

श्री ऊदल---दूसरी बात जो मुझे कहनी है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वहां पर ५ फीसदी लोगों के नाम रिकार्ड में दर्ज हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जो २५ फीसदी लोगों के नाम दर्ज कर रहे हैं यहां उत्तर प्रदेश के लिये भी मंत्री जी ने सीरदारी का कानून बनाया था। उसी तरह से वहां भी भूमि-व्यवस्था के लिये तीन तरह की नवैय्यत भूमिधर, सीरदार और असामी की होगी। हमारे सूबे में २४ लाख के लगभग सीरदार थे जिनमें से २१ लाख से या तो इस्तीफा ले लिया गया या उनको जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया। केवल कानून बना देने से ऐसे लोगों को लाभ होने वाला नहीं है। कहीं सीरदारों की वही हालत पहाड़ों में भी न पैदा हो जाय, इसलिये वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों का कब्जा लिखा जाना चाहिये और उनको सरकार की तरफ से उसका सर्टीफिकेट मिलना चाहिये। इससे उनकी जमीनों पर किसी प्रकार का खतरा नहीं आने पावेगा। इन बातों के लिये मंत्री महोदय को सावधान होने की जरूरत है। आखिर में माल मंत्री जी को मैं फिर बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी कुमायूं में इस व्यवस्था को खत्म करने की कृपा करें।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अधिष्ठाता महोदय, मैं माल मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बावजूद इसके कि कुमायूं से कई प्रकार की विचारधारायें उनके पास आती रहीं, फिर भी अपना पूरा समय और परिश्रम लगा कर वहां की व्यवस्था को सोचने और समझने की कोशिश की और वहां की जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिये वह यह बिल लाये हैं। बहुत सी बातें सेलेक्ट कमेटी में होंगी, इसलिये मैं उनको यहां कह कर सदन का समय नष्ट नहीं करूंगा। मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अच्छा होता यदि यह बिल उस समय सदन में लाया गया होता जब कुमायूं के सभी माननीय सदस्य यहां उपस्थित हो सकते और वादविवाद में हिस्सा ले सकते। पंडित हरगोविन्द जी पन्त के निधन से वहां पार्लियामेंट का बाई-इलेक्शन हो रहा है जिसमें सभी माननीय सदस्य लगे हुये हैं। आपने देखा भी कि प्रस्तावक श्री गोविन्द सिंह तथा जंगबहादुर सिंह विष्ट अनुपस्थित हैं और कई माननीय सदस्य जो इस विषय में दिलचस्पी रखते थे, अपनी जानकारी से कोई लाभ नहीं दे सके। इसलिये मैं चाहूंगा कि सेलेक्ट कमेटी के सामने पर्वतीय प्रदेश वालों की अच्छी तरह से जानकारी हो जाय, क्योंकि यह मामला पहाड़ी प्रदेश की २५ लाख जनता से संबंध रखता है। मैदानी हिस्सों के लोग, आवागमन की असुविधाओं के कारण, वहां की हालतों से अच्छी तरह जानकारी नहीं कर सके हैं और पर्वतीय प्रदेश अभी तक एक वाटर टाइट कम्पार्टमेंट सा ही रहा। मुझे हर्ष है कि माननीय मंत्री जी ने बहुत सोच-समझ कर हर किस्म के लोग सेलेक्ट कमेटी में रखे हैं जो कि पूरी जानकारी करा सकेंगे जिस पर यह बिल बनेगा। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं, जैसा कि विरोधी दल के एक भाई ने भी कहा कि सेलेक्ट कमेटी को जाने का एक बड़ा लाभ हमको यह उठाना चाहिये कि हम फर्स्ट हैंड इनफार्मेशन गैदर करें तथा कमेटी के मेम्बरों को उन चारों जिलों में जाना चाहिये और पूरा समय सेलेक्ट कमेटी को इन्क्वायरी करने का मिलना चाहिये।

मुझे हर्ष है कि माननीय मंत्री जी ने यह मान लिया है कि ४ महीने का समय दिया जायगा। इस चार महीने के समय में पूरी-पूरी जानकारी इस प्रदेश की हमको हासिल करनी चाहिये और अच्छे रूप से इस अधिनियम को लाने का प्रयत्न करना चाहिये।

सदन से मुझे एक आवश्यक बात कहनी है कि अभी वहां सेटिलमेंट्स हो रहे हैं इसलिये उसके पहले कोई काम करने से गलतियां होने का अन्देशा है। इसलिये मैं सोचता हूं कि सरकार को इस बात पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि जब तक लैण्ड रिकार्ड्स तैयार न हो जायं तब तक इस बिल को पास कर लेना चाहिये या नहीं। साथ ही जब बिल पास हो जायगा तो उसको कार्यरूप में तभी लाया जायगा जब कि लैण्ड रिकार्ड्स तैयार हो जायेंगे। इन दोनों चीजों में मुझे एनामली मालूम होती है। इसलिये पहले हमको लैण्ड रिकार्ड्स को तैयार कर लेना चाहिये फिर उसके आधार पर बिल को बनाया जाना चाहिये।

मैं इस बिल के सम्बन्ध में अपनी विचारधारा स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं कि यह बहुत ही अच्छा बिल है तथा बहुत ही अच्छी विचारधारा से बनाया जा रहा है। मैं इसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े जमींदार हैं वे अवश्य ही खत्म होने चाहिये और जो लोग उस जमीन को नहीं कमाते हैं, जो दूसरों के पसीने की कमाई खाते हैं, मैं सोचता हूं कि उनको कोई भी अधिकार उस कमाई को खाने का नहीं है। साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता कि एक भूखे की जमीन छीन कर दूसरे भूखे को दे दी जाय। अमीरों से जमीन लेकर गरीब को देना तो मुनासिब मालूम होता है, लेकिन यह मुनासिब नहीं कि एक भूमिहीन की जमीन दूसरे भूमिहीनों को दी जाय। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी ध्यानपूर्वक इस चीज को सोचने की कृपा करेंगे, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश जिसमें कि गढ़वाल, टेहरीगढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा चार जिले हैं, इसी प्रकार से हिमांचल प्रदेश और कश्मीर है, उन इलाकों में भी जमींदारी अबालीशन हुआ है, वहां बहुत सोच समझकर जमींदारी अबालीशन किया गया है,। प्लेन्स की परिस्थितियों से पहाड़ की परिस्थितियां भिन्न हैं। कश्मीर में जो जमींदारी अबालीशन हुआ उसमें भूमिपति को २५ एकड़ जमीन दे दी गयी। उसको यह च्वायस दी गयी कि वह २५ एकड़ जमीन छांट ले और बाकी सरकार को सरेंडर कर दे। कोई भी कम्पेनसेशन सरकार ने उनको नहीं दिया और उससे यह हुआ कि भूमिपति २५ एकड़ जमीन लेकर कमाने लगा और ज्यादा जमीन उसने गरीबों को दे दिया, जो खेती करके उससे अपनी रोजी कमाने लगा। ऐसे ही हिमांचल प्रदेश में भी हुआ। वहां एक सीलिंग रख दी गयी और यह मुकर्रर कर दिया गया कि एक परिवार का जीवन निर्वाह कितने से हो सकता है। ऐसी स्थिति में मैं यह चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय प्रदेशों में बहुत कम हिस्से में खेती होती है, वहां सिंचाई के साधन भी कम हैं और खाद के भी साधन नहीं हैं। जमीन भी उपजाऊ बहुत कम है।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
३ सितम्बर, १९५७।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८ पर)

इटावा जिले में जनवरी से जुलाई, १९५७ तक विभिन्न कार्यों के लिये तहसीलवार सीमेन्ट के वितरण की सूची

तहसील का नाम	साधारण जनता के लिये	कृषि के लिये	नियोजन कार्यों के लिये	योग
	बोरी	बोरी	बोरी	बोरी
इटावा	१,२२४	२,८०४	१,०३१	५,०५९
भर्थना	९८५	३०२	१,२१९	२,५०६
विधूना	१,१५०	१,७३४	१,३७८	४,२६२
औरैया	५४१	४२०	८११	१,७७२
योग ..	३,९००	५,२६०	४,४३९	१३,५९९

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६ पर)

उन जिलों की सूची जिनमें रबी खाद्यानों की उगाही नहीं की गई

१--अल्मोड़ा
२--आजमगढ़
३--बलिया
४--बस्ती
५--वाराणसी
६--देहरादून
७--देवरिया
८--फैजाबाद
९--गढ़वाल
१०--गाजीपुर
११--गोरखपुर
१२--जौनपुर
१३--मिर्जापुर
१४--नैनीताल
१५--प्रतापगढ़
१६--सुल्तानपुर

संसद पुस्तकालय भवन

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८ पर)

मिर्जापुर जिले की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित कच्ची सड़कों को पक्का करने का आयोजन किया गया है :

१--चालू योजनायें--		
(क) कच्ची सड़कों को पक्का किया जाना--		मील
(१) चोपन-कोटा-कोन		२१
२--नई योजनायें--		
(क) नई पक्की सड़कों का निर्माण--		
(१) अदलहाट-भुइली-शंखां		७
(२) राबर्ट्सगंज-दूधी (मील ४२-४५)		३
योग ..		१०
(ख) कच्ची सड़कों को पक्का किया जाना--		
(१) राबर्ट्सगंज-अहरौरा		२१
(२) मुधीन कुलवारी घोरावल		१४
(३) चुनार कछवा		१२
योग ..		४७

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११३ पर)

विभिन्न जिलों में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों का साप्ताहिक विक्रय तथा प्रतिदिन प्रति दूकान से खाद्यान्नों के विक्रय की सीमा की तालिका

रीजन	जिला	चालू दूकानों की संख्या	जिलेवार साप्ताहिक विक्रय	प्रतिदिन प्रति दूकान से बिकने की सीमा
			मन	मन
लखनऊ ..	फैजाबाद ..	१०	८६०	२०
	प्रतापगढ़ ..	१०	१,७०५	२५
	नैनीताल ..	१४	१,०४७	२०
	अल्मोड़ा ..	११६	२,०९२	सूचना प्राप्त नहीं
	गढ़वाल ..	१९७	३,२५२	सूचना प्राप्त नहीं
	योग ..	३४७		
मेरठ ..	देहरादून ..	५८	५,३५०	२०
	सहारनपुर	१७	२,९६०	३०
	टेहरी-गढ़वाल ..	११८	१,७४०	३०
	योग ..	१९३		
वाराणसी ..	वाराणसी ..	१६०	४५,९३०	३०
	मिर्जापुर ..	६०	३,३८०	३०
	जौनपुर ..	१६०	९,१५०	३०
	गाजीपुर ..	१२४	१०,५९०	३०
	बलिया ..	१४५	१३,७८०	३०
	आजमगढ़ ..	२३६	३४,८२०	३०
	देवरिया ..	१८६	१३,६७०	३०
	गोरखपुर ..	१७५	१९,३३०	३०
	बस्ती ..	१६६	९,७५०	३०
	गोंडा ..	१२	उपलब्ध नहीं	३०
	योग ..	१,४२४		
	कुल योग ..	१,९६४		

नोट---साप्ताहिक विक्रय की औसत संख्यायें, जो ऊपर स्तंभ ४ में दी गई हैं, जुलाई, १९५७ ई० के प्रथम तीन सप्ताहों के विक्रय के आधार पर बनाई गई हैं । इस अवधि में प्रति दूकान की दैनिक विक्रय की सीमा स्टाक कम होने के कारण १५–२० मन ही थी । राज्य के पूर्वीय जिलों में जुलाई के अन्तिम सप्ताह से मोटे अनाज का विक्रय प्रारम्भ किया गया था । तभी से विक्रय की सीमा ३० मन कर दी गई थी ।

राज्य सरकार द्वारा खोली गयी सस्ते गल्ले की दकानों से बेचे गये खाद्यान्नों तथा स्टाक की मात्रा की जिलेवार तालिका

जिला	७ अगस्त, १९५७ ई० तक बेचे गये कुल अन्न की मात्रा	स्टाक ७, अगस्त १९५७
लखनऊ रीजन--		
१--फैजाबाद	६९,१४५	१२,४३६
२--प्रतापगढ़	७६,०३१	५,३८२
३--सुल्तानपुर	५४,५३९	७,५२४
४--बरेली	१,२४,२६१	१८,६४०
५--मुरादाबाद	५२,४७५	१३,४०८
६--उन्नाव	३९,२७१	२,६८२
७--सीतापुर	४१,०४९	..
८--शाहजहांपुर	५०,४१७	..
९--रामपुर	१०,३८५	..
१०--बदायूं	७,९७०	..
११--बाराबंकी	२३,१७८	५,०८०
१२--पीलीभीत	२२,७५८	१४,७९८
१३--लखनऊ	६,२६,०३०	८,२६०
१४--नैनीताल	४३,०१५	७१,५७१
१५--अल्मोड़ा	१,८२,६२१	४५,३६१
१६--गढ़वाल	१,५६,०१५	२५,९५६
योग ..	१५,७९,५२२	२,३१,०९८
मेरठ रीजन--		
१--देहरादून	१,८५,२६३	२८,४३२
२--सहारनपुर	२,३९,३१५	१२,८४८
३--मेरठ	६,७५,७३६	६३,१८७
४--बुलन्दशहर	१,४९,१२५	..
५--आगरा	३,१८,७३१	..
६--मुजफ्फरनगर	१,८३,७००	१,६६७
७--टेहरी गढ़वाल	७८,९७१	६,७८१
योग ..	१८,३०,८४१	१,१२,९१५
वाराणसी रीजन--		
१--वाराणसी	९,६६,१५४	१,२०,२०४
२--मिर्जापुर	१,८७,८८४	६०,०८६
३--जौनपुर	२,८४,४३४	५०,३६९
४--गाजीपुर	३,९३,७०६	५९,१३०
५--बलिया	४,५३,९२०	५४,९६४

जिला			७ अगस्त, १६५७ ई० तक बेचे गये कुल अन्न की मात्रा	स्टाक ७, अगस्त १६५७
वाराणसी रीजन--				
६--आजमगढ़	..	..	५,४६,७८०	४६,११५
७--देवरिया	..	..	३,८०,००१	५५,७७६
८--गोरखपुर	..	..	६,५०,०३३	६६,२५०
६--बस्ती	..	..	३,८१,७०२	६२,४६२
१०--गोंडा	..	..	३६,५६२	८,४६८
११--बहराइच	..	..	३,२०६	..
	योग	.	४२,८७,४१५	६,१६,८२४
कानपुर रीजन--				
१--कानपुर	..	..	७,१७,२५१	१४,३०७
२--इलाहाबाद	..	..	४,१८,६२३	६,१३३
३--फर्रुखाबाद	..	..	५,४२६	३,३०६
४--झांसी	..	..	१,३८,०७१	८६,०१६
५--जालौन	..	..	..	२५,०७०
६--इटावा	..	..	..	४०,८८१
७--हमीरपुर	..	..	..	४,३३८
८--बांदा	..	..	..	२७२
	योग	..	१२,७६,६७४	१,८६,३२६

पी० एस० यू० पी० ए० पी०--१३६ एल० ए०--१६५७--७६६ ।